



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251579
CG-DL-E-24012024-251579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945

No. 51]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/ MAGHA 3, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

प्रस्तावना

सं.-एल-1/2064/2022-सीईआरसी.—विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) में अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और दिए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन किए जाने से संबंधित उपबंध है;

और विद्युत विनियामक आयोग, 1998 की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को अधिनियम के उद्देश्य के लिए डीम्ड माना गया था;

और अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) में उपबंध है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अपनी बैठकों (अपनी बैठकों में कोरम सहित) में कारोबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो;

और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 55 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कारबार संचालन के लिए समय-समय पर यथा संशोधित उक्त विनियमों और अधिनियम की धारा 185 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अनुसार सहेजा गया था;

और समय-समय पर अधिनियमित और संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने को सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज के माध्यमों और इलेक्ट्रॉनिक संचारों और सूचना के भंडारण के अन्य माध्यमों द्वारा किए गए संव्यवहारों के लिए विधिक मान्यता से संबंधित उपबंध है;

और अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कारोबार के संचालन के लिए क्रियाविधि से संबंधित विनियमों को अद्यतित करने आवश्यक हो जाता है;

अब, इसलिए अधिनियम की धारा 92(1) के साथ पठित धारा 178(2)(यख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद, और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व अधिनियमों या किए गए कार्यों या किए जाने में लोप से संबंधित को छोड़कर, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद् द्वारा अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए कार्य पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय I

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रारंभ-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 है।
- (2) ये विनियम संपूर्ण भारत में लागू होंगे।
- (3) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग

सभी कार्यवाहियाँ, चाहे इन विनियमों के आरंभ की तारीख से पूर्व लंबित हो, या बाद में की जाती हैं, इन विनियमों द्वारा संचालित होंगी।

3. परिभाषाएँ:-

इन विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी विरुद्ध न हो,

- (1) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं.36) अभिप्रेत है;
- (2) 'न्यायनिर्णयन' से आयोग को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (3) 'स्वीकृति' से याचिका पर विचार या उसकी सुनवाई का चरण अभिप्रेत है जहाँ आयोग के समक्ष आगे की कार्यवाहियों के लिए उसके रखरखाव का निर्णय, आयोग की अधिकारिता, याचिका दायर करने की सीमा, और आयोग द्वारा सुसंगत माने गए ऐसे अन्य कारकों का सम्यक ध्यान रखते हुए लिया जाता है और इसमें याचिका में उठाए गए मामलों पर गुणागण पर कोई निर्णय शामिल नहीं है;
- (4) 'अधिवक्ता' से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए पात्र व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (5) 'अपीलीय अधिकरण' से अधिनियम की धारा 110 के अधीन यथा स्थापित विद्युत के लिए अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (6) 'कोड' से समय-समय पर यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं.5) अभिप्रेत है;
- (7) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (8) 'सीबीआर 1999' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 और उसके संशोधन अभिप्रेत है;

- (9) 'परामर्शी' से आयोग के रोजगार में असम्मिलित ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संगम अभिप्रेत है, जो अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को सलाह या सहायता देने के लिए परामर्शी विनियमों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है;
- (10) 'परामर्शी विनियमों' से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 या उसका कोई उत्तरवर्ती अधिनियमन अभिप्रेत है;
- (11) 'उपभोक्ता प्रतिनिधि' से वह व्यक्ति या व्यवसायिक निकाय या गैर-सरकारी संगठन अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्यों को प्रस्तुत करने और आयोग की कार्यवाहियों में सहभागिता करने के लिए अनुमति दी गई है;
- (12) 'उपभोक्ता संघ' से समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत और आयोग के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में संघ के सदस्यों के हितों या परिप्रेक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों का संघ अभिप्रेत है;
- (13) 'कोरम' से आयोग के सदस्य अभिप्रेत हैं जो यथास्थिति, किसी विशिष्ट तारीख या सत्र में आयोग द्वारा सुनवाई या सुनी जा चुकी सूचीबद्ध याचिकाओं के लिए अधिसूचित हैं;
- (14) 'डिजीटल हस्ताक्षर' से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (त) या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन के अधीन परिभाषित डिजीटल हस्ताक्षर अभिप्रेत हैं;
- (15) 'फीस' से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन के उपबंधों के अनुसार अधिनियम के प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा लगाई गई फीस अभिप्रेत है;
- (16) 'प्रथम सुनवाई' से मामलों के निपटान के लिए याचिका की सुनवाई और उसका कोई स्थगन अभिप्रेत और शामिल है;
- (17) 'अंतिम सुनवाई' से वह चरण अभिप्रेत है, जब अभिवचनों के समापन के बाद, आयोग द्वारा बनाए गए मामलों सहित, यदि कोई हो, याचिका में उठाए गए मुद्दों की योग्यता अनुसार याचिका पर सुनवाई की जाती है;
- (18) 'मध्यस्थ' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो याचिका में पार्टी के रूप में व्यवस्थित नहीं किया गया है, परंतु आयोग ने, यह संतुष्टि होने पर कि उस व्यक्ति का याचिका के परिणाम में निजी हित है, उस व्यक्ति को पार्टी के रूप में बिना व्यवस्थित किए उक्त याचिका की कार्यवाहियों में सहभागिता करने की अनुमति दी है;
- (19) 'सदस्य' से इन विनियमों के अधीन कारोबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अभिप्रेत और शामिल हैं;
- (20) 'अधिकारी' से आयोग के अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (21) 'याचिकाकर्ता' वह व्यक्ति अभिप्रेत है/हैं जिसने/जिन्होंने इन विनियमों या अधिनियम, सीबीआर 1999 के उपबंधों के अनुसार आयोग के समक्ष याचिका या आवेदन दाखिल किया है;
- (22) 'व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (49) में यथा परिभाषित है;
- (23) 'अभिवचन' में आयोग की अनुमति से किसी कार्यवाहियों में दाखिल याचिकाएं, आवेदन, उत्तर, प्रत्युत्तर, sur-प्रत्युत्तर, अनुपूरक एफिडेविट, लिखित निवेदन, और कोई अन्य संबद्ध दस्तावेज या सूचना शामिल हैं;
- (24) 'कार्यवाहियाँ' में सभी प्रकृति की कार्यवाहियाँ अभिप्रेत और शामिल हैं जिनका संचालन आयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में कर सकता है;
- (25) 'प्रोफॉर्मा प्रतिवादी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे याचिका में प्रतिवादी के रूप में व्यवस्थित किया गया है जिसके विरुद्ध कोई राहत नहीं मांगी गई है, परंतु जिसकी उपस्थिति याचिका में उठाए गए मुद्दे (मुद्दों) के प्रभावी और पूरे न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक समझी गई है;
- (26) 'कोरम' से उन सदस्यों की न्यूनतम संख्या अभिप्रेत है जिन्हें आयोग के समक्ष दायर याचिका को सुनने और निर्णय लेने के लिए उपस्थित होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है और इसमें अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों

के निर्वहन में मामलों पर निर्णय लेने के लिए आयोग की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सदस्य शामिल हैं;

- (27) 'रजिस्ट्री' से आयोग की रजिस्ट्री अभिप्रेत है;
 - (28) 'प्रतिवादी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे याचिका में विपरीत पार्टी के रूप में व्यवस्थित किया गया है और जिसके विरुद्ध राहत (राहतें) नहीं मांगी गई हैं;
 - (29) 'आयोग की सील' से आयोग में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक सील अभिप्रेत है जैसा आयोग समय-समय पर निर्देश दे सकता है;
 - (30) 'सचिव' से अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग के सचिव और सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग के अधिकारी अभिप्रेत और इसमें शामिल हैं।
 - (31) "इन विनियमों" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 अभिप्रेत है।
4. (1) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो यहाँ परिभाषित नहीं किए गए परंतु अधिनियम या आयोग के अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियमों में प्रदान किया गया है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ वह होगा जो कोड, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, परिसीमा अधिनियम, 1961, भारतीय संविदा अधिनियम, 1878, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, और साधारण खंड अधिनियम, 1897 द्वारा उन्हें दिया गया है।

5. अवधि के परिकलन का ढंग-

जहाँ दिनों की विशिष्ट संख्या इन विनियमों या अन्य विनियमों द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन निर्धारित होगी या किसी कार्य को करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित है, उस आरंभिक दिन को छोड़ दिया जाएगा जिससे उक्त अवधि की संगणना की जाएगी, और यदि अंतिम दिन का समापन उस दिन होता है जब आयोग का कार्यालय पूरे दिन या उसके कुछ समय के लिए बंद है, तो वह दिन और उसका कोई अगला दिन जब आयोग पूरे दिन या उसके कुछ समय के लिए बंद है, को छोड़ दिया जाएगा।

6. संचालन के लिए आदेश, नोटिस आदि किस प्रकार होगा-

प्रत्येक आदेश, नोटिस, या अन्य प्रक्रिया आयोग के नाम से होगा और सचिव या उनकी ओर से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के दिन, मास, और वर्ष के साथ हस्ताक्षरित होगा और आयोग की मुहर के साथ होगा।

अध्याय II

आयोग का कार्यालय, कार्यालय का समय, बैठक आदि

7. आयोग का कार्यालय-

- (1) आयोग के कार्यालयों का स्थान आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- (2) जब तक अन्यथा अधिसूचित न हो, आयोग के कार्यालय नई दिल्ली में होंगे।

8. कार्यालय का समय

आयोग का कार्यालय, 1330 बजे से 1400 बजे तक के भोजन अवकाश के साथ सभी कार्य दिवसों में 0930 बजे से 1800 बजे तक खुला रहेगा:

परंतु यह कि कार्य की आवश्यकता में, अध्यक्ष या, उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ सदस्य निर्देश दे सकते हैं कि आयोग के कार्यालय अवकाश दिवस में खुलेंगे।

9. आयोग के बैठने का स्थान और बैठने के घंटे

- (1) आयोग सुनवाईयों को नई दिल्ली में अपने कार्यालयों या आयोग द्वारा यथाधिसूचित किसी अन्य स्थान पर आयोजित कर सकता है।
- (2) आयोग आवश्यकता अनुसार दिवसों और बैठने के घंटों को अधिसूचित कर सकता है।

10. आयोग की बैठकों का स्थान

आयोग बैठकों को नई दिल्ली में अपने कार्यालयों में या आयोग द्वारा यथा निर्धारित किया अन्य स्थान पर आयोजित कर सकता है।

11. आयोग की कार्यवाहियों की भाषा

- (1) आयोग का कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। आयोग कार्यवाहियों को हिंदी में आयोजित करने की अनुमति दे सकता है।
- (2) आयोग के समक्ष दायर सभी याचिकाएँ अंग्रेजी में होंगी। हिंदी में दायर याचिकाओं के साथ अंग्रेजी में उसका अनुवाद होगा जो कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होगा।
- (3) हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा में याचिका के संबंध में प्रस्तुत किसी दस्तावेज (दस्तावेजों) या सामग्री के साथ अंग्रेजी में उसका अनुवाद होगा:

परंतु यह कि दस्तावेज का वह अंग्रेजी अनुवाद स्वीकृत होगा,

(क) जो कि सभी पार्टियों की सहमति से हो; या

(ख) जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त प्राधिकरणों/निकायों से आधिकारिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया हो;

(ग) जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से नियुक्त या अनुमोदित अनुवादक द्वारा तैयार किया गया हो।

12. आयोग की मुहर

- (1) आयोग की आधिकारिक मुहर और चिन्ह आयोग द्वारा यथा निर्धारित किया जाएगा और समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।
- (2) आधिकारिक मुहर, आयोग के सचिव की अभिरक्षा में रखी जाएगी।
- (3) आयोग द्वारा प्रत्येक आदेश, संप्रेषण, नोटिस, या किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति पर आयोग की मुहर लगाई जाएगी और सचिव द्वारा या आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा सत्यापित होगी।
- (4) ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या किसी अन्य विधा के माध्यम से पार्टियों को जारी की गई कार्यवाहियों का प्रत्येक आदेश या रिकॉर्ड पर आयोग की मुहर एम्बॉस की जाएगी या उस पर वॉटर-मार्क लगाया जाएगा।

13. आयोग की कार्यपालक शक्ति

- (1) अधिनियम की धारा 77 की उप-धारा (4) के अनुसार अध्यक्ष, आयोग के प्रमुख कार्यपालक होंगे।
- (2) आयोग की सभी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- (3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो ऐसी रिक्तता की अवधि के दौरान आयोग के वरिष्ठतम सदस्य आयोग की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

14. आयोग के अधिकारी

- (1) आयोग के पास अधिनियम के उपबंधों का पालन करने में आयोग को सहायता करने और समय-समय पर आयोग द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अन्य कार्यों के निष्पदान के लिए सचिव, प्रभागों के प्रमुखों, और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

- (2) आयोग के सचिव, प्रभागों के प्रमुखों, अन्य अधिकारियों, और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं, अनुभव, और अन्य निबंधन और शर्तों समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2007, या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।
- (3) आयोग, परामर्शी विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर अपने कार्यों के निष्पादन में विशेषज्ञ की राय और सहायता के लिए परामर्शी नियुक्त कर सकता है।
- (4) सचिव, आयोग के प्रधान अधिकारी होंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा। सचिव, अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।
- (5) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग को इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, अर्थशास्त्र, विनियामक मामले, प्रशासन एवं लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे कार्यात्मक प्रभागों द्वारा सहायता दी जाएगी।
- (6) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग, सचिव, विभिन्न प्रभागों के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों से ऐसी सहायता ले सकता है जैसी समुचित समझी जाए।
- (7) विशेष रूप से, और उपर्युक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यथा:
 - (क) आयोग के रिकॉर्ड और मुहर उनकी अभिरक्षा में रहेंगे;
 - (ख) वे आयोग को की गई सभी याचिकाएं, आवेदन या संदर्भों को प्राप्त करेंगे या प्राप्त करने का कारण बनेंगे;
 - (ग) वे सुनवाई से पूर्व याचिकाओं के विधिमान्यकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का सुनेंगे और निपटान करेंगे;
 - (घ) वे इस संदर्भ में आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक केस में पार्टियों द्वारा प्रस्तुत सभी अभिवचनों का संक्षिप्त और सार तैयार करेंगे;
 - (ङ) वे आयोग द्वारा प्रयोज्य शक्तियों से संबंधित कार्यवाहियों में आयोग की सहायता करेंगे;
 - (च) वे आयोग द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों का अधिप्रमाणन करेंगे;
 - (छ) वे आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों या आदेशों के अनुपालन के लिए विधि की विधिवत प्रक्रिया आरंभ करेंगे; और
 - (ज) उनके पास केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या अन्य कार्यालयों, कंपनियों और फर्मों या आयोग द्वारा यथा निर्देशित किसी अन्य पार्टी से ऐसी सूचना एकत्रित करने का अधिकार होगा जैसा कि अधिनियम के अधीन आयोग के कार्यों के दक्ष निर्वहन के उद्देश्य हेतु उपयोगी समझी जाए।
- (8) आयोग, सचिव या प्रभागों के प्रमुखों द्वारा इन विनियमों द्वारा अपेक्षित किए जाने वाले कार्यों सहित ऐसे कार्यों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अपने अधिकारियों को सौंप सकता है जैसा प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (9) आयोग के अनुमोदन से सचिव, इन विनियमों या अन्यथा द्वारा अपेक्षित किसी कार्य को, जो कि सचिव द्वारा किया जाना है, आयोग के किसी अधिकारी को सौंप सकते हैं।
- (10) सचिव की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित आयोग का ऐसा अन्य अधिकारी, सचिव के किसी या सभी कार्यों को कर सकता है।
- (11) आयोग के पास, सभी समय पर, किसी इच्छुक या प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छ से सचिव या आयोग के अधिकारियों द्वारा किए गए किसी आदेश या की गई कार्रवाई की समीक्षा, प्रतिसंहरण, पुनरीक्षण, आशोधन, संशोधन, परिवर्तन, या अन्यथा बदलाव करने, यदि आयोग इसे समुचित समझता है, का प्राधिकार है।

अध्याय III

याचिकाएं और अभिवचन

15. आयोग के समक्ष दायर की जाने वाली याचिकाओं का वर्गीकरण

(1) आयोग के समक्ष दायर की जाने वाली याचिकाओं को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:

- (क) 'टैरिफ याचिका' से अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंडों (क) और (ख) के अधीन कवर किए गए उत्पादन स्टेशनों के और अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के टैरिफ के अवधारण के लिए अधिनियम की धारा 62 के अधीन दायर याचिका अभिप्रेत है और इसमें टैरिफ के टूटिंग अप के लिए याचिकाएं शामिल हैं। टैरिफ याचिका में अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4) के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों की फीस और प्रभारों के अवधारण और उसके टूटिंग अप के लिए याचिका भी शामिल है;
- (ख) 'अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए याचिका' से विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार या अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 15 के अधीन दायर याचिका अभिप्रेत है;
- (ग) 'टैरिफ के अंगीकरण के लिए याचिका' से धारा 79 की उप-धारा (1) के खंडों (क) और (ख) के अधीन कवर की गई उत्पादन कंपनियों के संबंध में और अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (36) के अधीन यथा परिभाषित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणालियों के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से खोजे गए टैरिफ के अंगीकरण के लिए अधिनियम की धारा 63 के अधीन दायर याचिका अभिप्रेत है;
- (घ) 'विविध याचिका' से अधिनियम के किसी उपबंधों या आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष दायर याचिका अभिप्रेत है, परंतु इसमें अवधारण के लिए या टैरिफ के अंगीकरण, या अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए, या आदेश की समीक्षा के लिए याचिकाएं या इन विनियमों के अधीन यथा परिभाषित स्व:प्रेरणा याचिकाएं शामिल नहीं हैं;
- (ङ) 'विनियामक अनुपालन याचिका' से आयोग द्वारा अधिसूचित किसी विनियमों या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश के अधीन किसी आवश्यकता के अनुपालन के संबंध में डीम्ड अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों, या केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों सहित, पावर एक्सचेंजों या अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों या अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर याचिका अभिप्रेत है, परंतु इसमें सुसंगत विनियमों के अधीन यथापेक्षित आवधिक रिपोर्ट और रिटर्न शामिल नहीं हैं;
- (च) 'स्वप्रेरणा याचिका' से अधिनियम से उपबंधों या आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों या आयोग द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं अपनी प्रेरणा से आयोग द्वारा आरंभ की गई याचिका अभिप्रेत है, और इसमें अधिनियम की धारा 143 के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए याचिका शामिल होगी;
- (छ) 'समीक्षा याचिका' से आयोग के आदेशों या निर्णयों या निर्देशों की समीक्षा के लिए इन विनियमों के विनियम 52 के साथ पठित अधिनियम की धारा 94(च) के अधीन दायर याचिका अभिप्रेत है;
- (ज) 'अंतर्वर्ती आवेदन' या 'आईए' से इन विनियमों के विनियम 26 के खंड (3) में उल्लिखित किसी उद्देश्यों के लिए, याचिका के साथ दायर किया गया आवेदन, या आयोग के समक्ष पहले से की गई कोई याचिका अभिप्रेत है;
- (झ) 'पुनरीक्षण याचिका' से अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन यथा उपबंधित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका अभिप्रेत है;
- (ञ) आयोग के पूर्व अनुमोदन के साथ कोई अन्य याचिका।

16. अभिवचनों का प्रारूप और संरचना

(1) आयोग का प्रस्तुत किया गया प्रत्येक अभिवचन:

- (क) टॉप पर और बाई साइड पर लगभग 3 (तीन) सेंटीमीटर की चौड़ाई, दाई साइड पर 1 (एक) सेंटीमीटर, और बॉटम पर 2 (दो) सेंटीमीटर के आंतरिक मार्जिन के साथ ए-4 आकार के सफेद पेपर के दोनों साइडों पर डबल स्पेसिंग में, अंग्रेजी में, साफ़ और स्पष्ट रूप में टाइप किया हुआ, लिथोग्राफ किया हुआ, या मुद्रित होगा;
- (ख) फॉट एरियल और फॉट साइज़ 12 के साथ एमएस वर्ड में तैयार किया होगा;
- (ग) इसके शीर्षक में "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष" उल्लिखित होगा;
- (घ) पैराग्राफ में विभाजित होगा जो कि निरंतर अंकों में होगा, प्रत्येक पैराग्राफ में, जहाँ तक हो सके, पृथक प्रकथन या अभिकथन शामिल होगा;
- (ङ) प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक (शीर्षक, विषयसूची, पार्टियों का ज्ञापन, आदि) संख्यानुसार पृष्ठांकन होगा, और किसी पृष्ठ को पृष्ठांकन रहित नहीं छोड़ा जाएगा। अल्फा-न्यूमेरिक पृष्ठांकन स्वीकार्य नहीं होगा;
- (च) अभिवचनों में किए गए प्रकथनों या अभिकथनों के समर्थन में ऐसे दस्तावेजों, डाटा, और विवरणों के साथ होगा।

(2) तिथियाँ- जहाँ शक या अन्य तिथियाँ उपयोग की जाएंगी, वहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर की तदनुसारी तिथियाँ भी इंगित की जाएंगी।

(3) प्रत्येक पार्टी का वर्णन करने वाला पूरा नाम और ईमेल पता, फ़ैक्स नंबर आदि सहित अन्य विवरण प्रदान किए जाएंगे।

(4) विधि का उपबंध- प्रत्येक याचिका या आवेदन में, कारण शीर्षक के बाद, उस अधिनियम, नियमों या आयोग के विनियमों के उपबंधों का उल्लेख होगा जिसके अधीन उसके बनाया गया है।

(5) गैर-फाइलिंग क्लॉज़- प्रत्येक याचिका में उल्लेख होगा कि समान मामले में ऐसी कोई कार्यवाही आयोग के समक्ष या किसी अन्य कोर्ट के समक्ष पूर्व में दायर नहीं की गई है। जहाँ तक याचिकाकर्ता या उसका अधिवक्ता अवगत है कि की जा रही याचिका की विषय-वस्तु सीधे और सारभूत रूप से आयोग के समक्ष या किसी अन्य कोर्ट के समक्ष किसी लंबित मुकदमे की विषय-वस्तु भी है, तो इस आशय का उपयुक्त पृष्ठांकन किया जाएगा।

(6) दस्तावेजों का प्रमाणन- प्रत्येक अभिवचन में दाखिल किए गए दस्तावेजों या उसकी प्रतियों की सत्यता को प्रमाणित करने वाला विवरण होगा।

(7) पृष्ठांकन- प्रत्येक अभिवचन के नीचे उस अधिवक्ता का नाम, नामांकन संख्या, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और सभी अन्य संपर्क विवरण अंकित होंगे जिसने अभिवचन बनाया और दायर किया है।

(8) हस्ताक्षर और सत्यापन- आयोग के समक्ष दायर प्रत्येक अभिवचन, कंपनी के प्रबंध निदेशक, या किसी प्राधिकृत निदेशक या कंपनी के प्राधिकृत निदेशक या सीएमडी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रत्येक अभिवचन, इन विनियमों में दिए गए ढंग से संबंधित पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होना चाहिए।

(9) परिवर्तनों का आद्याक्षरीकरण – अभिवचनों में प्रत्येक अंतरालेखन, उद्धर्षण, या सुधार को पार्टी या प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता द्वारा आद्याक्षरित किया जाएगा।

(10) शीर्षक- सभी याचिकाओं या आवेदनों में और किए गए सभी प्रकाशनों और नोटिसों में सामान्य शीर्षक, फॉर्म 3 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(11) प्रारूप- प्रत्येक याचिका की विनिर्दिष्ट संरचना, यथा लागू इन विनियमों के फॉर्म 5 से 12 के अनुसार होगी।

17. समर्थन में एफिडेविट

- (1) प्रत्येक याचिका, एफिडेविट द्वारा सत्यापित होगी और दाखिल किया गया प्रत्येक ऐसा एफिडेविट इन विनियमों के अनुसार होगा और फॉर्म 4 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा।
- (2) एफिडेविट प्रथम पुरुष में तैयार किया जाएगा और इसमें अभिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय, और पते और उस क्षमता का उल्लेख होगा जिसमें एफिडेविट हस्ताक्षरित किया गया है और विधिवत रूप से नोटराइज़ होगा।
- (3) प्रत्येक एफिडेविट इंगित करेगा कि विवरण निम्नलिखित के आधार पर दिए गए हैं:
 - (क) अभिसाक्षी का ज्ञान;
 - (ख) अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त की गई सूचना;
 - (ग) अभिसाक्षी द्वारा सत्य माना जाना।
- (4) जहाँ एफिडेविट में दिए गए किसी विवरण को अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सत्य माना जाता है, वहाँ एफिडेविट में सूचना का स्रोत भी प्रकट किया जाएगा।

18. अभिवचनों और अन्य दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण

- (1) विश्वस्त दस्तावेजों और अन्य अभिवचनों सहित सभी याचिकाएं इन विनियमों के अनुबंध-1 में दिए गए तरीके से आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाएंगी।
- (2) याचिका दायर करने से पूर्व, संबंधित पार्टी याचिका के ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण की मांग करेगी और विशिष्ट लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करेगी। जारी किया गया लॉगइन आईडी और पासवर्ड, याचिका और उत्तरवर्ती अभिवचनों की ई-फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (3) याचिकाएं, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल (<https://cercind.gov.in>) पर या आयोग के कार्यालय में स्थित ई-फाइलिंग डेस्क सुविधा में अपलोड की जाएंगी। आयोग के कार्यालय में स्थित ई-फाइलिंग सुविधा सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।
- (4) याचिका दायर करने वाली पार्टी ई-फाइलिंग पोर्टल में उपयुक्त विकल्प चुनकर याचिका में अभियोजित प्रतिवादियों को मैप करेगी। यदि, याचिका में अभियोजित कोई विशेष प्रतिवादी आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल में पंजीकृत नहीं है, तो याचिका दायर करने वाली पार्टी द्वारा ऐसे प्रतिवादी को याचिका का हार्ड कॉपी प्रदान की जाएगी।
- (5) याचिकाओं की हार्ड कॉपियाँ, तीन प्रतियों में, याचिका की ई-फाइलिंग के तीन कार्य दिवसों के अंदर व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत एजेंट या नामित प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग की रजिस्ट्री में जमा की जाएंगी।
- (6) याचिकाओं की हार्ड कॉपियाँ, आयोग की रजिस्ट्री में नामित अधिकारी को संबोधित रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- (7) आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के उपयोग से दाखिल दस्तावेज ऐसी याचिका दायर करने वाली पार्टी या उस अधिवक्ता द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसकी ओर से ऐसी याचिका दायर की गई है।
- (8) रजिस्ट्री में जमा की गई हार्ड कॉपियाँ, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत गई प्रतियों के बिल्कुल समान होनी चाहिए। इस आशय में हार्ड प्रतियाँ जमा करते समय पार्टी द्वारा वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा। यदि विसंगति पाई जाती है, तो ई-फाइल की गई याचिका तब तक पंजीकृत नहीं होगी जब तक ऐसी विसंगति हटाई नहीं जाती। हार्ड कॉपी दाखिल करने की तारीख की गणना, त्रुटियों को हटाए जाने के बाद, याचिका दायर करने की तारीख के रूप में की जाएगी।
- (9) यदि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लंबित याचिका में अभिवचन दायर किए जाते हैं, तो इसे आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त नियत तारीखों के अंदर दायर किया जाएगा। नियत तारीख के बाद, आयोग की अनुमित को छोड़कर, ऐसे अभिवचनों की ई-फाइलिंग की अनुमति नहीं होगी।

- (10) यदि याचिका, अधिवक्ता या अधिवक्ता की फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो अधिवक्ता या अधिवक्ता की फर्म (फॉर्म-1 के अनुसार) को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा और, यदि याचिका कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसे प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाला उपसंजाति ज्ञापन याचिका के साथ दायर किया जाएगा।
- (11) याचिका की पार्टी या याचिका में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता (अधिवक्ताओं) का अधिकार उक्त याचिका में केवल ई-फाइल किए गए सभी अभिवचनों तक होगा। अन्य विकल्प में, संबंधित पार्टी या उसका अधिवक्ता आयोग की रजिस्ट्री में नामित अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से अनुरोध के द्वारा और अपेक्षित फीस का भुगतान करके याचिका में अभिवचनों की हार्ड प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है।
- (12) सभी याचिकाएं, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की जाएंगी। अभिवचनों की ई-फाइलिंग से छूट, संपूर्णतया या भाग में, की अनुमति केवल आयोग की अनुमति को छोड़कर निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जा सकती है:
- (क) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए ई-फाइलिंग संभव नहीं है; या
- (ख) पार्टी दाखिल की गई सूचना की गोपनीयता के विषय में और निजता की सुरक्षा के लिए अभिवचन करता है; या
- (ग) दस्तावेज, अपने आकार, रूप, या दशा के कारण स्कैन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल नहीं किए जा सकते; या
- (घ) ई-फाइलिंग पोर्टल पहुँच से बाहर है या तकनीकी और/या प्रचालन कारणों से उपलब्ध नहीं है; या
- (ङ) किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए।
- (13) इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, ई-फाइल की गई याचिकाओं पर भी लागू की जाएगी।
- परंतु यह कि यदि किसी भी कारण से किसी अवधि के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल प्रचालन में नहीं है, तो ऐसी अवधि को परिसीमा की संगणना के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।
- (14) ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर करने के अतिरिक्त, प्रत्येक याचिका की तीन हार्ड प्रतियाँ, फीस के भुगतान के प्रमाण, ई-फाइलिंग पोर्टल से प्राप्त पावती, और विधिवत रूप से निष्पादित वकालतनामा या उपसंजाति ज्ञापन की प्रति, यथास्थिति, आयोग की रजिस्ट्री में नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत एजेंट द्वारा विधिवत रूप से या नामित प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

19. आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व का प्राधिकार – वकालतनामा के माध्यम से अधिवक्ता

- (1) अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व की गई पार्टी, फॉर्म 1 के अनुसार वकालतनामा दायर करेगी।
- (2) प्रत्येक वकालतनामा पार्टी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए और उस पर पार्टी की मुहर, हस्ताक्षर करने वाली पार्टी का नाम, और उसका नाम होना चाहिए जिसकी ओर से उसने हस्ताक्षर किया है।
- (3) जहाँ वकालतनामा पार्टी के एजेंट या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित होता है, वहाँ वकालतनामा के साथ ऐसे प्राधिकरण के लिखत या दस्तावेज की प्रति होनी चाहिए।
- (4) जहाँ कई व्यक्ति एकल वकालतनामा पर हस्ताक्षर करते हैं, वहाँ वे पार्टियों के ज्ञापन में उल्लिखित अपने क्रम संख्या और नाम के तदनुसार कोष्ठकों में अपनी क्रम संख्या और नाम का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर विज्ञापन क्रम में करेंगे।
- (5) जहाँ एक से अधिक अधिवक्ता के पक्ष में एकल वकालतनामा निष्पादित किया गया है, वहाँ सभी अधिवक्ताओं के नाम और विवरण प्रदान किए जाएंगे।

- (6) वकालतनामा में केस संख्या और उसके कारण का उल्लेख किया जाएगा।
- (7) वकालतनामा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता (अधिवक्ताओं) के नाम, नामांकन संख्या, संपूर्ण आधिकारिक पता, ईमेल, फोन नंबर और फैक्स नंबर होना चाहिए।
- (8) पार्टी द्वारा विधिवत रूप से निष्पादित वकालतनामा, जो कि पार्टी का नाम और पदनाम प्रदर्शित करता है, के फाइल किए जाने पर अधिवक्ता कार्य करने, मामले में पार्टी के लिए अभिवचन करने, और ऐसे मामले के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ आयोजित और अभियोजित करने के लिए, या इससे संबद्ध किसी आवेदन, या इसमें पारित किसी आदेश, और ऐसे सभी अन्य कदम उठा सकता है जैसा कि दायर वकालतनामा के संबंध में उसे विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया है।
- (9) अधिवक्ता को अधिवक्ता और पार्टी दोनों की सहमति से सचिव को संबोधित और अधिवक्ता और पार्टी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा उन्मोचित किया जा सकता है:

परंतु यह कि अधिवक्ता को उक्त वकालतनामा पर पूर्व के अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति के पृष्ठांकन के साथ पार्टी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और किसी अन्य अधिवक्ता के पक्ष में निष्पादित नए वकालतनामे की प्रस्तुतिकरण पर याचिका में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी उन्मोचित किया जा सकता है।

20. आयोग के समक्ष पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार – उपसंजाति ज्ञापन के माध्यम से सांविधिक व्यावसायिक निकाय के सदस्य

- (1) पार्टी, लेखांकन, कराधान, आदि मामलों या टैरिफ मामलों में आयोग के समक्ष अपनी ओर से प्रतिनिधित्व और अभिवचन करने के लिए व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारक किसी सांविधिक व्यावसायिक निकाय के सदस्य को प्राधिकृत कर सकती है।
- (2) व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारक सांविधिक व्यावसायिक निकाय के सदस्य के पक्ष में प्रत्येक उपसंजाति ज्ञापन पार्टी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और होना चाहिए और इसमें पार्टी की मुहर, हस्ताक्षर करने वाली पार्टी का नाम, और उसका नाम जिसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया है, होना चाहिए।
- (3) उपसंजाति ज्ञापन, फॉर्म 2 के अनुसार दाखिल होना चाहिए।
- (4) पार्टी द्वारा विधिवत रूप से निष्पादित उपसंजाति ज्ञापन, जो कि पार्टी का नाम और पदनाम प्रदर्शित करता है, के फाइल किए जाने पर सांविधिक व्यावसायिक निकाय का सदस्य कार्य करने, मामले में पार्टी के लिए अभिवचन करने, और ऐसे मामले के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ आयोजित और अभियोजित करने के लिए, या इससे संबद्ध किसी आवेदन, या इसमें पारित किसी आदेश, और ऐसे सभी अन्य कदम उठा सकता है जैसा कि उपसंजाति ज्ञापन द्वारा उसे विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया है।
- (5) सांविधिक व्यावसायिक निकाय के सदस्य को सचिव को संबोधित और सदस्य और पार्टी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा सदस्य और पार्टी दोनों की सहमति से पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्मोचित किया जा सकता है।

21. आयोग के समक्ष पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार – कंपनी या निगम या प्राधिकरण के माध्यम से उपभोक्ता संघ के नामित अधिकारी

- (1) कंपनी या निगमित निकाय आदि के मामले में, कम से कम उप महाप्रबंधक की रैंक या ऐसी कंपनी या निगमित निकाय या ऐसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा नियुक्त परामर्शी, आयोग के समक्ष उपस्थित होने का पात्र होगा, यदि उक्त अधिकारी या परामर्शी को कंपनी या निगमित निकाय, यथास्थिति, के बोर्ड रेज़ोल्यूशन द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
- (2) इस विनियम के खंड (1) के अधीन ऐसे प्राधिकृत अधिकारी या परामर्शी को केस के तथ्यों के साथ अच्छी प्रकार से अवगत होना चाहिए और सुनवाई के दौरान आयोग के प्रश्नों को स्पष्ट करने की स्थिति में होना चाहिए।
- (3) प्राधिकृत अधिकारी या परामर्शी फॉर्म 2 के अनुसार उपसंजाति ज्ञापन दाखिल करेगा।

22. आयोग के समक्ष उपभोक्त हित का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार – अधिवक्ताओं या नामित प्रतिनिधियों के माध्यम से उपभोक्ता संघ

- (1) केवल उपभोक्ता संघ को आयोग के समक्ष उपस्थित होने और अपने नामित प्रतिनिधि के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से कार्यवाहियों में सहभागिता करने की अनुमति होगी।
- (2) जब अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता संघ का प्रतिनिधित्व होता है, तो वह उक्त अधिवक्ता के पक्ष में इन विनियमों के विनियम 19 के अनुसार वकालतनामा निष्पादित करेगा।
- (3) जब नामित प्रतिनिधि के माध्यम से उपभोक्ता संघ का प्रतिनिधित्व होता है, तो वह उक्त प्रतिनिधि के पक्ष में इन विनियमों के विनियम 21 के अनुसार उपसंज्ञाति ज्ञापन निष्पादित करेगा।

23. टैरिफ याचिकाएं

- (1) इन विनियमों के विनियम 16 से विनियम 18 के उपबंधों के अधीन, अधिनियम की धारा 62 के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए याचिकाएं, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 में संलग्न सुसंगत फॉर्म में या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन के सुसंगत फॉर्म के अधीन की जानी चाहिए।
- (2) याचिकाकर्ता, पेमेंट गेटवे द्वारा आयोग के ई-पोर्टल के माध्यम से टैरिफ याचिकाओं के लिए फीस का भुगतान करेगा और याचिका के साथ उसकी पावती को संलग्न करेगा।
- (3) याचिकाकर्ता, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) और प्रतिवादी (प्रतिवादियों) के नाम और पते को मैप करेगा। याचिकाकर्ता, इन विनियमों के अनुलग्नक I में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के ई-पोर्टल के माध्यम से याचिका के सभी अनुलग्नक और अन्य संबद्ध दस्तावेज़ याचिका के साथ अपलोड करेगा।
- (4) याचिकाकर्ता, प्रत्येक प्रतिवादी और प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों, यदि कोई हो, को ई-मेल के माध्यम से याचिका की प्रति देगा और उसका प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- (5) प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों सहित प्रतिवादी, जो आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल में पंजीकृत हैं, वे अनुलग्नकों के साथ याचिका की प्रतियाँ ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (6) याचिकाकर्ता, आयोग में याचिका दायर करने से पूर्व अपने स्वयं की वेबसाइट या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर संपूर्ण याचिका को पोस्ट करेगा। याचिका का निपटान होने तक वह उसकी वेबसाइट या प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट रहेगी।
- (7) याचिकाकर्ता, टैरिफ याचिका दायर करने के बाद 7 दिनों के अंदर, इन विनियमों में संलग्न फॉर्म 14 के अनुसार, व्यापक प्रसार वाले प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में जहाँ लाभार्थी अवस्थित हैं, कम से कम दो दैनिक अग्रणी डिजिटल अखबारों में, एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा किसी अन्य भारतीय भाषा में, इस प्रकार दायर किए जाने के बारे में नोटिस प्रकाशित करेगा।
- (8) याचिकाकर्ता, प्रकाशन की तारीख से एक सप्ताह के अंदर आयोग के ई-पोर्टल के माध्यम से एफिडेविट के अधीन प्रकाशनों की सॉफ्ट प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।
- (9) याचिका में टैरिफ के अवधारण हेतु किए गए प्रस्तावों के प्रति सुझावों या आपत्तियों को, यदि कोई हो, नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों, यदि कोई हो, सहित प्रतिवादियों, और किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा याचिकाकर्ता को कॉपी देते हुए आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है।
- (10) याचिकाकर्ता, प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों, यदि कोई हो, सहित प्रतिवादियों को और उस व्यक्ति को जिसने याचिका में टैरिफ के अवधारण हेतु किए गए प्रस्तावों के संबंध में सुझाव और आपत्तियाँ दाखिल की हैं, अग्रिम कॉपी के साथ, ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इस विनियम के खंड (7) के अनुसार किए गए इसके प्रकाशन के 45 दिनों के अंदर पब्लिक नोटिस की प्रतिक्रिया में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई हो, के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकता है।

- (11) इन विनियमों के विनियम 16 से विनियम 18 के उपबंधों के अध्यक्षीन, अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4) के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों (राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र सहित) की फीस और प्रभारों के अवधारण के लिए याचिकाएं, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2019 के विनियम 10 या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन के सुसंगत उपबंधों के अधीन की जानी चाहिए।

24. विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार और अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाएं

- (1) इन विनियमों के विनियम 16 से विनियम 18 के उपबंधों के अध्यक्षीन, विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाएं, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन के उपबंधों के अनुसार की जानी चाहिए।
- (2) इन विनियमों के विनियम 16 से विनियम 18 के उपबंधों के अध्यक्षीन, विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाएं, स्वप्रेरणा याचिका सं.1/एसएम/2022 में दिनांक 22.1.2022 के आदेश के साथ पठित, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन के उपबंधों के अनुसार की जानी चाहिए।

25. पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु याचिका

इन विनियमों के विनियम 16 से विनियम 18 के उपबंधों के अध्यक्षीन, पावर एक्सचेंज का पंजीकरण प्रदान किए जाने हेतु याचिकाएं, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 के विनियम 11 या उसके किसी उत्तरवर्ती अधिनियमन के उपबंधों के अनुसार की जानी चाहिए।

26. अंतर्वर्ती आवेदन

- (1) प्रत्येक अंतर्वर्ती आवेदन उस याचिका में किया जाएगा जिसमें वह दाखिल किया गया है।
- (2) प्रत्येक अंतर्वर्ती आवेदन फॉर्म 12 के अनुसार किया जाएगा और आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जाएगा और तीन प्रतियों में उसकी हार्ड कॉपीयाँ ई-फाइलिंग के तीन दिनों के अंदर आयोग की रजिस्ट्री में दाखिल की जाएंगी।
- (3) अंतर्वर्ती आवेदन निम्नलिखित कोई भी राहत मांगने के लिए दाखिल किया जाएगा:
- (क) अंतरिम राहत;
 - (ख) याचिका में प्रकथनों या याचिका में प्रार्थनाओं या दोनों का संशोधन;
 - (ग) याचिका में किसी नई पार्टी का अभियोग;
 - (घ) याचिका में किसी पार्टी का विलोपन;
 - (ङ) याचिका में किसी पार्टी का प्रतिस्थापन;
 - (च) याचिका दायर करने में विलंब की माफ़ी;
 - (छ) एकपक्षीय रूप से खारिज याचिका का प्रत्यावर्तन;
 - (ज) याचिका में अतिरिक्त दस्तावेज (दस्तावेजों) या प्रस्तुतिकरणों को दाखिल करने की अनुमति;
 - (झ) मूल दस्तावेज (दस्तावेजों) या अनुवादित प्रतियों या आदेशों की सत्यापित प्रतियों, यथालागू, को दाखिल करने में छूट;
 - (ञ) याचिका में एकपक्षीय आदेश या निर्देशों को वापस लेना;
 - (ट) याचिका दायर करने हेतु फीस का अधित्याग;
 - (ठ) याचिका का प्रत्याहरण;
 - (ड) याचिका में किसी पार्टी के नाम में परिवर्तन;

- (ढ) याचिका की पहले या तत्काल सुनवाई;
- (ण) उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया कोई अन्य मामला परंतु अधिनियम, नियमों, और उसके अधीन निर्मित विनियमों के अधीन आयोग के अधिकारिता के भीतर शामिल मामला।
- (4) सिवाय इसके कि इन विनियमों में या उस समय लागू किसी विधि में अन्यथा उपबंधित किया गया हो, अंतर्वर्ती आवेदन:
- (क) में केवल एक प्रार्थना या उसी प्रकार की वैकल्पिक प्रार्थनाओं की एक शृंखला होगी;
- (ख) में कोई तार्किक बातें नहीं होंगी;
- (ग) उन आधारों और तथ्यों का, जिन पर आवेदन आधारित है, स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एफिडेविट और घोषणा द्वारा समर्थित होगा। जहाँ आवेदन विलंब की माफ़ी के लिए है, वहाँ विलंब की निश्चित अवधि और उसके कारणों का उल्लेख भी आवेदन में स्पष्ट रूप से किया जाएगा;
- (घ) एफिडेविट और उसके साथ दाखिल किए गए अन्य दस्तावेजों और सामग्रियों के साथ अंतर्वर्ती आवेदन की अग्रिम प्रति विपरीत पार्टी या उसके अधिवक्ता को दी जाएगी और इस प्रकार दिए जाने का प्रमाण अंतर्वर्ती आवेदन के साथ दाखिल किया जाएगा;
- (5) अंतर्वर्ती आवेदन, उस याचिका की सुनवाई की तारीख में सूचीबद्ध होगा जिसमें अंतरिम याचिका दायर की गई है या ऐसी किसी अन्य तारीख में जैसी भी आयोग द्वारा निर्देशित की जाए। आयोग पार्टियों की सुनवाई के बाद अंतर्वर्ती आवेदन पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा भी समुचित समझा जाए।

27. याचिका दायर करने की फीस

- (1) प्रत्येक याचिका, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के विनियम 3 से विनियम 11 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस और प्रभारों के साथ होनी चाहिए।
- (2) याचिकाओं की फीस का भुगतान, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के विनियम 12 के अनुसार पेमेंट गेटवे द्वारा आयोग के सौदामिनी ई-पोर्टल के माध्यम से होना चाहिए।
- (3) फीस के भुगतान का प्रमाण, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के विनियम 12 के अधीन विनिर्दिष्ट फॉर्म I में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (4) यदि किसी याचिका के संबंध में फीस के भुगतान का अधित्याग मांगा गया है, तो संबंधित पार्टी दस्तावेजी प्रमाण, यदि कोई हो, के साथ ऐसे अधित्याग हेतु कारणों को इंगित करते हुए पृथक रूप से अनुरोध करेगी और आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर याचिका के साथ अधित्याग हेतु अनुरोध को अपलोड करेगी।

28. याचिकाओं की संवीक्षा

- (1) याचिका की प्राप्ति पर, रजिस्ट्री का नामित अधिकारी प्राप्ति की तारीख पर मुहर लगाकर और पृष्ठांकित कर याचिका की प्राप्ति को स्वीकार करेगा। यदि याचिका रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त होती है, तो रजिस्ट्री में याचिका की वास्तविक रूप में प्राप्ति की तारीख को याचिका के प्रस्तुतिकरण की तारीख के रूप में माना जाएगा।
- (2) याचिका की प्रस्तुतिकरण और प्राप्ति की प्रविष्टि आयोग की रजिस्ट्री में बनाए रखे गए रजिस्टर में विधिवत रूप से की जाएगी।
- (3) संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि याचिका सुसंगत विनियमों के संबंध में समय-समय पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पोस्ट की गई चैकलिस्टों के अनुसार विवरणों के अनुरूप है और याचिका अन्यथा ठीक क्रम में है, तो याचिका को ऐसी संवीक्षा के तीन दिनों के अंदर आयोग की रजिस्ट्री में नामित अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसे नंबर दिया जाएगा।

- (4) संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि याचिका सुसंगत विनियमों के संबंध में समय-समय पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पोस्ट की गई चैकलिस्टों के अनुसार विवरणों के अनुरूप नहीं है, तो आयोग की रजिस्ट्री का नामित अधिकारी याचिका में कमियों के बारे में ऐसी याचिका दाखिल किए जाने की तारीख से 7 दिनों के अंदर ई-मेल के माध्यम सहित आयोग के ई-पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करेगा और इसमें सूचना की तारीख से 7 दिनों के अंदर कमियों को दूर करने के अनुदेशों भी शामिल होंगे। यदि पार्टी निर्धारित समय के अंदर कमियों को दूर करती है और संवीक्षा पर, याचिका को ठीक क्रम में पाया जाता है, तो याचिका को ऐसी संवीक्षा के तीन दिनों के अंदर आयोग की रजिस्ट्री में नामित अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसे नंबर दिया जाएगा।
- (5) रजिस्ट्री में नामित अधिकारी के याचिका में बताई गई कमियों के संबंध में निर्णय से व्यथित पार्टी, समुचित निर्णय के लिए मामले को सचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुरोध कर सकती है। सचिव, रजिस्ट्री को समुचित आदेश दे सकते हैं या मामले को आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (6) अध्यक्ष या इस प्रयोजन हेतु नामित कोई सदस्य, पार्टी द्वारा प्रस्तुत याचिका को मांगने के लिए और याचिका की प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति के संबंध में ऐसे निर्देश देने के पात्र होंगे जैसा भी समुचित समझा जाए।
- (7) यदि अस्वीकृति के आदेश को सचिव या अध्यक्ष या इस प्रयोजन हेतु नामित सदस्य द्वारा सुधारा जाता है, तो याचिका को उसके तीन दिनों के अंदर आयोग की रजिस्ट्री में नामित अधिकारी द्वारा रजिस्टर किया जाएगा और नंबर दिया जाएगा।
- (8) समीक्षा याचिकाओं, पुनरीक्षण याचिकाओं, स्वप्रेरणा याचिकाओं और अंतर्वर्ती आवेदनों को छोड़कर सभी याचिकाओं को, याचिका संख्या के बाद स्लैश चिन्ह उसके बाद याचिका का संक्षिप्त नाम, जैसे कि जीटी (उत्पादन टैरिफ के लिए), टीटी (पारेषण टैरिफ के लिए), एडीपी (टैरिफ के अंगीकरण के लिए), टीएल (व्यापार टैरिफ के लिए), टीआरएल (पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए), एमपी(विविध याचिका के लिए), आरसीपी (विनियामक अनुपालन याचिका), यथास्थिति, और इसके बाद स्लैश चिन्ह और उसके बाद, पंजीकरण का वर्ष इंगित करते हुए याचिका की स्वीकृति की तारीख के आधार पर एड सेरियाटिम संख्याकित किया जाएगा। समीक्षा याचिका, पुनरीक्षण याचिका, स्वप्रेरणा याचिका और अंतर्वर्ती आवेदनों के मामले में, याचिका संख्या के बाद स्लैश चिन्ह उसके बाद याचिका का संक्षिप्त नाम, जैसे कि आरपी (समीक्षा याचिका), आरवीपी (पुनरीक्षण याचिका), एसएम (स्वप्रेरणा याचिका) और आईए (अंतर्वर्ती आवेदन) के बाद स्लैश चिन्ह, और इसके बाद, पंजीकरण का वर्ष इंगित करते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिए संख्याओं का पृथक क्रम आवंटित किया जाएगा।
- (9) याचिकाओं को नंबर दिए जाने के बाद, उन्हें आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पार्टियों को सूचित किया जाएगा।
- (10) टैरिफ याचिकाओं के मामले में, आयोग का स्टाफ तकनीकी विधिमान्यकरण करेगा और टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ के अवधारण हेतु यथा आवश्यक सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए याचिका के पंजीकरण के 7 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता को सूचित करेगा।
- (11) इसके बाद 7 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता, ई-फाइलिंग के माध्यम से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा और प्रतिवादियों को सूचित करते हुए तीन प्रतियों में उसकी हार्ड कॉपियाँ ई-मेल के माध्यम से दाखिल करेगा।
- (12) टैरिफ याचिकाओं के अलावा याचिकाओं के पंजीकरण के बाद और टैरिफ याचिकाओं के मामले में पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद, याचिकाओं को ऐसी तारीखों पर सचिव के आदेश द्वारा प्रथम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा जैसी अध्यक्ष और, उनकी अनुपस्थिति में, आयोग के अति वरिष्ठ सदस्य द्वारा एक माह की अवधि के अंदर जहाँ तक व्यावहारिक हो सके, अनुमोदित की जाएंगी
- (13) विवादों के न्यायनिर्णयन वाली याचिकाओं के मामलों में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पूर्व परस्पर सहमति के बाद, प्री-इस्टीमेशन और समझौता कर सकते हैं और न्यायनिर्णयन किए जाने वाले

अपेक्षित विवादों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करते हुए, उन विवादों के संबंध जिनमें समझौता किया जा चुका है, याचिका के साथ सेटलमेंट डीड प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्याय IV

आयोग की कार्यवाहियाँ

29. आयोग का कार्यवाहियाँ

आयोग, समय-समय पर, अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में यथा समुचित समझी जाने वाली सुनवाई, बैठकें, पूछताछ, जांच, और परामर्श आयोजित कर सकता है।

30. समीक्षा याचिकाओं के अलावा याचिकाओं में आयोग का कोरम

(1) तथ्य और विधि के सारभूत प्रश्नों वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई अध्यक्ष और आयोग के सभी उपस्थित सदस्यों वाले कोरम द्वारा की जाएगी:

परंतु यह कि आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के लिए कोरम दो होंगे:

परंतु यह और कि अधिनियम की धारा 79(1)(च) के अधीन सभी न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में, सदस्य (विधि) कोरम का हिस्सा होंगे:

परंतु यह भी कि यदि किसी दिन में याचिका की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो याचिका की सुनवाई को आंशिक माना जाएगा और सुनवाई के पूरा होने तक उत्तरवर्ती दिनों में उसी कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा)

परंतु यह भी कि आंशिक सुनवाई वाली समझी गई किसी याचिका के पूरा होने से पूर्व, यदि कोरम का कोई सदस्य दो मास से अधिक की अवधि के लिए अपना पद त्यागता है या छुट्टी या अन्यथा के कारण अनुपस्थित है, तो अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में आयोग का अति वरिष्ठ सदस्य आंशिक-सुनवाई की श्रेणी से ऐसे मामले का निपटान कर सकता है और ऐसी याचिका की सुनवाई के लिए कोरम को पुनर्गठित कर सकता है।

(2) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष को, जो कि आयोग के सदस्य (पदेन) हैं, उनकी सामान्य आधिकारिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन किसी याचिका की सुनवाई में सहभागिता के लिए या आयोग की किसी अन्य कार्यवाहियों में आमंत्रित कर सकते हैं:

(क) जटिल तकनीकी मुद्दों वाले मामलों में; या

(ख) उन मामलों में जहाँ अध्यक्ष की राय में, ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की उपस्थिति आवश्यक है;

(ग) कोरम को पूरा करने के लिए, जब आयोग के दो से कम सदस्य उपस्थित हैं।

31. समीक्षा याचिकाओं के मामले में आयोग का कोरम

(1) यदि सदस्यों वाला वह कोरम उपस्थित है, जिसने याचिका (प्रमुख याचिका) में सुनवाई की और आदेश पारित किया, तो केवल वही सदस्य प्रमुख याचिका में आदेश की समीक्षा के लिए दायर की गई समीक्षा याचिका में सुनवाई करेंगे और आदेश पारित करेंगे। इस विनियम के खंडों (2) और (3) के अधीन कवर की गई परिस्थितियों को छोड़कर, किसी अन्य सदस्य को समीक्षा याचिका की सुनवाई के चरण से संबद्ध नहीं किया जाएगा।

(2) केवल जब सदस्य या सदस्यों जिन्होंने कोरम के हिस्से के रूप में मुख्य याचिका की सुनवाई की है, मृत्यु या सेवानिवृत्ति, या 6 मास की अवधि के लिए अनुपस्थिति के कारण उपलब्ध नहीं हैं, केवल तब अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अति वरिष्ठ सदस्य समीक्षा याचिका की सुनवाई के लिए कोरम गठित करेंगे जिसमें उन उपलब्ध सदस्यों सहित सदस्यों की बराबर संख्या शामिल होगी जिन्होंने मुख्य याचिका में आदेश पारित किया है।

- (3) यदि, आयोग में रिक्ति या रिक्तियों के कारण, उस कोरम के बराबर समीक्षा याचिका में कोरम गठित करना संभव न हो जिसने मुख्य याचिका में सुनवाई की और आदेश पारित किया, तो अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अति वरिष्ठ सदस्य उन उपलब्ध सदस्यों सहित जिन्होंने मुख्य याचिका में आदेश पारित किया, सदस्यों की कमतर संख्या (दो सदस्यों के कोरम के पूरा होने के अध्यक्षीन) का कोरम गठित करेंगे, और ऐसा कोरम समीक्षा याचिका की सुनवाई करेगा और आदेश पारित करेगा।

32. याचिकाओं की स्वीकृति

- (1) प्रथम सुनवाई में, अधिनियम की धारा 62 के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए या धारा 63 के अधीन टैरिफ के अंगीकरण के लिए याचिकाओं को छोड़कर सभी याचिकाएं स्वीकृति के लिए सूचीबद्ध की जाएंगी:

परंतु यह कि टैरिफ के अवधारण या टैरिफ के अंगीकरण के लिए याचिकाओं को स्वीकृति के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा यदि आयोग की अधिकारिता के आधार पर याचिकाओं के रखरखाव पर आपत्ति उठाई जाती है।

- (2) आयोग, यदि समुचित समझे, तो याचिका की स्वीकृति के चरण में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के अलावा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सकता है, जिनके लिए उसकी इच्छा हो।
- (3) आयोग, यदि समुचित समझे, तो याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना याचिका स्वीकार कर सकता है:

परंतु यह कि आयोग, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना याचिका की स्वीकृति के इंकार से संबंधित आदेश पारित नहीं करेगा।

- (4) यदि याचिका स्वीकृत होती है, तो आयोग जहाँ भी अनुमति हो उत्तर दायर करने के लिए प्रतिनिधियों या उपभोक्ता संगठनों या मध्यस्थों सहित प्रतिवादियों और अन्य प्रभावित या इच्छुक पार्टियों को नोटिस दिए जाने के लिए ऐसे आदेश या निर्देश दे सकता है। आयोग, प्रतिवादियों को उत्तरों के प्रति अपने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय भी प्रदान कर सकता है।
- (5) आयोग सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर सकता है या निर्देश दे सकता है कि अभिवचनों के समापन के लिए निर्धारित तारीखों की समाप्ति के बाद याचिका को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

33. नोटिसों, समनों, आदेशों या दस्तावेजों आदि की तामील की प्रक्रिया

- (1) आयोग के निर्देशों के अनुसार पार्टी या व्यक्ति को तामील किया जाने वाला या किया गया प्रत्येक नोटिस या समन या आदेश या दस्तावेज, आयोग की ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा, जिसे उचित तामील के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि यदि किसी पार्टी का पंजीकरण जिसे नोटिस या समन या आदेश या दस्तावेज तामील किया जाना अपेक्षित है, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर नहीं किया गया है, तो ऐसे नोटिस या समन या आदेश या दस्तावेज को इस विनियम के खंड (2) के अनुसार तामील किया जाएगा।

- (2) इस विनियम के खंड (1) में उपबंधित माध्यमों के अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित किसी भी विधि द्वारा नोटिस या समन या आदेश या दस्तावेज की तामील हेतु निर्देश दे सकता है:

(क) मैसेंजर के माध्यम से हाथ से डिलीवरी और हस्ताक्षरित पावती प्राप्त करना;

(ख) प्राप्य पावती के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा;

(ग) उन मामलों में समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा जहाँ आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त तरीकों में किसी व्यक्ति को नोटिस या समन या आदेश या दस्तावेज की तामील किया जाना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है; या

(घ) याचिका की ई-फाइलिंग के समय पर आयोग के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मोबाइल अलर्ट्स के साथ रजिस्टर्ड ईमेल-आईडी पर ई-मेल द्वारा; और

(ङ) आयोग द्वारा समुचित समझे गए किसी अन्य माध्यम द्वारा।

- (3) किसी पार्टी या व्यक्ति को तामील किया जाने वाला या डिलीवर किया गया प्रत्येक नोटिस, समन, आदेश या दस्तावेज तामील स्वीकार करने के लिए याचिका में प्रस्तुत किए गए पते पर या उस स्थान पर जहाँ प्राधिकृत प्रतिनिधि/नामित काउंसिल सामान्य रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या उसके नामित काउंसिल को भेजा जा सकता है।
- (4) यदि लंबित याचिका में नामित काउंसिल या प्राधिकृत प्रतिनिधि को पार्टी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ऐसे काउंसिल या प्रतिनिधि को जिसे बाद में प्राधिकृत किया जाएगा, ऐसी याचिका में संबंधित पार्टी की ओर से नोटिस, समन, आदेश या दस्तावेज की तामील लेने के लिए विधिवत् सशक्त समझा जाएगा, और ऐसे काउंसिल या प्रतिनिधि पर तामील को पार्टी पर पर्याप्त तामील के रूप में माना जाएगा।
- (5) जहाँ कार्यवाहियों में किसी पार्टी द्वारा नोटिस, समन, आदेश, या दस्तावेज विपरीत पार्टी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से तामील किया जाता है, वहाँ विपरीत पार्टी पर ऐसे नोटिस, समन, आदेश या दस्तावेज की तामील की तारीख और तरीके का विवरण देते हुए तामील के प्रमाण का एफिडेविट ऐसी पार्टी द्वारा दाखिल किया जाएगा।
- (6) नोटिस, समन, आदेश की तामील या उसके प्रकाशन के संबंध में, इन विनियमों की आवश्यकताओं या आयोग के निर्देशों के गैर-अनुपालन के मामले में, आयोग याचिका को खारिज कर सकता है या आगे ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे।
- (7) किसी भी नोटिस, समन या आदेश की तामील या प्रकाशन को व्यक्ति के नाम या विवरण में किसी कमी के कारण से अवैध नहीं माना जाएगा, यदि आयोग संतुष्ट है कि ऐसी तामील अन्य मामलों में पर्याप्त है। किसी कार्यवाही को तामील की किसी कमी या अनियमितता के कारण से अविधिमान्य नहीं माना जाएगा जब तक आयोग का, की गई आपत्ति पर, मत है कि ऐसी कमी या अनियमितता के कारण बहुत अन्याय हुआ है या ऐसा करने के लिए अन्यथा पर्याप्त कारण हैं।

34. उत्तर, विरोध, आपत्तियाँ और प्रत्युत्तर दाखिल करना

- (1) प्रत्येक प्रतिवादी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे नोटिस या समन या आदेश जारी किया गया है और जो याचिका का विरोध या समर्थन करने का इच्छुक है, वह आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से उसका उत्तर और सहायक दस्तावेज दाखिल करेगा और ई-फाइलिंग के तीन दिनों के अंदर आयोग की रजिस्ट्री में, उत्तर और समर्थन में दस्तावेजों की तीन प्रतियों में हार्ड कॉपियाँ भी दाखिल करेगा।
- (2) प्रत्येक प्रतिवादी या उत्तर दाखिल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति याचिका में उल्लिखित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार करेगा या उसका खंडन करेगा या व्याख्या करेगा और याचिका में उठाए गए मुद्दों के सही निर्णय के लिए ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी उल्लेख कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे।
- (3) प्रत्येक प्रतिवादी या उत्तर दाखिल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, याचिकाकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या उसके अधिवक्ता पर सहायक दस्तावेजों के साथ उसकी कॉपी की तामील करेगा और आयोग की रजिस्ट्री के साथ-साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऐसी तामील का प्रमाण दाखिल करेगा।
- (4) जहाँ प्रतिवादी या कोई अन्य व्यक्ति अपने उत्तर में किसी अतिरिक्त तथ्यों का उल्लेख करता है, तो आयोग याचिकाकर्ता को उक्त उत्तर के प्रति प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।
- (5) प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रयोजन (उस व्यक्ति के अलावा जिसे उत्तर मांगने के लिए नोटिस, समन या आदेश जारी किया गया है) हेतु किए गए प्रकाशन के अनुसरण में आयोग के समक्ष लंबित मामले के संबंध में आपत्तियाँ या टिप्पणियाँ दाखिल करने का इच्छुक है, वह इस प्रयोजन हेतु नियत समय में आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आपत्तियाँ या टिप्पणियाँ दाखिल करेगा और ई-फाइलिंग के तीन दिनों के अंदर आयोग की रजिस्ट्री में तीन प्रतियों में उसकी हार्ड प्रतियाँ दाखिल करेगा।

- (6) आयोग ऐसे व्यक्ति(यों) या संगठनों को आयोग की सुनवाई में सहभागिता करने के लिए अनुमित दे सकता है यदि आयोग के मत में ऐसे व्यक्ति(यों) या संगठनों की सहभागिता मामले में निर्णय को सुकर बनाएगी।
- (7) जब तक आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी जाती, याचिका में आपत्तियाँ या टिप्पणियाँ दाखिल करने वाले व्यक्ति या संगठन उक्त याचिका की सुनवाई में सहभागिता करने और मौखिक प्रस्तुतिकरण करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, आयोग मामले पर निर्णय लेते समय ऐसे व्यक्तियों या संगठनों द्वारा दाखिल आपत्तियों या टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे।

35. मामले की सुनवाई

- (1) आयोग मामले की सुनवाई के चरण, तरीके, स्थान, तारीख और सुनवाई के समय का निर्धारण यथा समुचित रूप से कर सकता है:
- परंतु यह कि सुनवाई आयोग द्वारा यथा निर्णीत भौतिक रूप से या वर्चुअल या हाइब्रिड मोड में की जा सकती है:
- परंतु यह और कि वर्चुअल सुनवाईयों, वर्चुअल सुनवाई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (अनुबंध-II के अनुसार या समय-समय पर आशोधित के अनुसार) के अनुसार आयोजित की जा सकती हैं।
- (2) कार्यवाहियों का समय से और शीघ्र समापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग निम्नलिखित सहित परंतु इन तक सीमित नहीं अपने स्वयं की समुचित प्रक्रियाएं अपना सकता है:
- (क) सुनवाई के लिए मामलों का संयोजन;
- (ख) संयुक्त अभिवचनों, एफिडेविट, और सहायक दस्तावेजों को फाइल करने और साथ ही उपभोक्ताओं या पार्टियों की ऐसी श्रेणी की ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए उपभोक्ताओं या पार्टियों की श्रेणी हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करना;
- (ग) विनिर्दिष्ट मामलों पर परिसाक्ष्य, सलाह या मत मांगना;
- (घ) एमिकस क्यूरी नियुक्त करना।
- (3) आयोग पार्टियों के अभिवचनों के आधार पर याचिकाएं निर्धारित कर सकता है या एफिडेविट के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करने या मौखिक साक्ष्य को लीड करने के लिए पार्टियों को बुला सकता है।
- (4) यदि आयोग पार्टी को मौखिक साक्ष्य को लीड करने का निर्देश देता है, तो आयोग मौखिक साक्ष्य देने वाले व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा के लिए अन्य पार्टी को अवसर दे सकता है, यदि आवश्यक या उचित समझा जाए।
- (5) आयोग, यदि आवश्यक या उचित समझा जाए, निर्देश दे सकता है कि याचिका के किसी पार्टी के अभिसाक्ष्य को आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिकारी या नामित व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया जाए। ऐसा अभिसाक्ष्य, उक्त याचिका में अभिवचनों का हिस्सा होगा और उसकी कॉपी अन्य पार्टियों को प्रदान की जाएगी।
- (6) आयोग याचिकाओं की अंतिम सुनवाई की निर्धारित तारीखों से कम से कम तीन दिन पूर्व याचिकाओं में तर्कों के लिखित नोट को दाखिल करने हेतु पार्टियों को निर्देश दे सकता है।
- (7) आयोग, याचिका की सुनवाई के बाद, आयोग द्वारा समुचित समझी जाने वाली ऐसी सूचना को दाखिल करने हेतु निर्देश दे सकता है और पार्टियों को प्रारंभिक पर्याप्तता जांच के चरण में मांगी गई किसी लंबित सूचना को दाखिल करने हेतु भी पार्टियों को निर्देश दे सकता है। यदि पार्टियाँ निर्धारित समय के अंदर सूचना प्रस्तुत करने में विफल होती हैं, तो आयोग याचिका की अस्वीकृति सहित मामले में उस प्रकार से आगे बढ़ सकता है जैसी भी वह ठीक समझे।

(8) यदि कोई केस सुनवाई के लिए निर्धारित कोई तारीख दिए बिना आगे की कार्यवाही के लिए स्थगित होता है, तो याचिका की अगली सुनवाई की तारीख आयोग की वेबसाइट पर अग्रिम में पोस्ट की जाएगी।

(9) स्थगनों की संख्या जिसकी मांग किसी पार्टी द्वारा की जा सकती है, तीन तक सीमित होगी। इसके बाद आयोग, निर्णय ले सकता है कि क्या लागत या बिना लागत के साथ आगे कोई स्थगन प्रदान किया जाए या नहीं।

(10) याचिकाओं की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखें आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएंगी। याचिकाओं की सुनवाई की तारीखों के लिए नोटिस आयोग की ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से और इन विनियमों के विनियम 33 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट विधि के माध्यम से पार्टियों को भेजे जाएंगे, और इसे पार्टियों को पर्याप्त नोटिस के रूप में समझा जाएगा।

(11) आयोग मासिक मामला सूची, साप्ताहिक मामला सूची, और दैनिक मामला सूची ऐसे प्रारूप में प्रकाशित कर सकता है जैसा भी आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मामला सूची में प्रत्येक याचिका में याचिका संख्या, याचिकाकर्ता का नाम, प्रथम प्रतिवादी के नाम के बाद "एवं अन्य", याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं और दाखिल किए गए वकालतनामा के अनुसार प्रतिवादियों के नाम शामिल होंगे।

(12) यदि, सुनवाई की तारीख पर, याचिकाकर्ता या कोई प्रतिवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग उपस्थित पार्टियों की सुनवाई करने का निर्णय ले सकता है और याचिका में सुनवाई को पूरा कर सकता है या ऐसे निर्देश दे सकता है जैसे भी समुचित समझे जाएं।

36. इसका समाधान करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुरोध करने हेतु आयोग की शक्ति

(1) आयोग, अपने विवेक से, याचिका या कार्यवाहियों में किसी मामले में अपने निर्णय द्वारा प्रभावित होने वाले किसी हित के समाधान हेतु किसी अधिवक्ता को अनुरोध कर सकता है यदि प्रभावित होने वाला हित का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है।

(2) आयोग, अपने विवेक से, विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिवक्ता या विशेषज्ञ सहित, किसी व्यक्ति को ऐसे मामलों पर आयोग की सहायता करने हेतु, जिसमें आयोग के मत में जनहित या सारवान् विधि का प्रश्न शामिल है, आयोग द्वारा यथा निर्धारित फीस के भुगतान पर, एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

37. पार्टी(यों) को जोड़ने/प्रतिस्थापित/हटाने के लिए आयोग की शक्तियाँ

(1) आयोग, याचिका में कार्यवाहियों की किसी भी चरण में, किसी पार्टी के आवेदन पर या बिना आवेदन के, और ऐसे निबंधनों पर जो आयोग के समक्ष समुचित हों, आदेश दे सकता है कि किसी पार्टी का नाम, याचिकाकर्ता या प्रतिवादी के रूप में, काट दिया जाए, और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, याचिकाकर्ता या प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाए, जिसकी उपस्थिति आयोग के सामने प्रभावी रूप से और संपूर्ण रूप से न्यायनिर्णयन करने और याचिका में शामिल सभी मुद्दों के निपटान के लिए आयोग को सक्षम करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है।

(2) जहाँ प्रतिवादी को जोड़ा गया है, वहाँ जब तक आयोग अन्यथा निर्देश दे, याचिका को ऐसे तरीके से संशोधित किए जाए जैसा आवश्यक हो, और याचिका की संशोधित प्रतियाँ और नोटिस नए प्रतिवादी पर तामील किया जाए और मूल प्रतिवादियों पर, यदि आयोग इसे ठीक समझता है।

38. अभिवचनों का संशोधन

आयोग, याचिका में कार्यवाहियों के किसी चरण में, किसी भी पार्टी को अपने अभिवचनों को ऐसे ढंग से और ऐसे निबंधनों पर परिवर्तित या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जैसा भी आयोग समुचित समझे, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो भी पार्टियों के बीच विवाद में वास्तविक मुद्दों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं:

परंतु यह कि याचिका की अंतिम सुनवाई के आरंभ होने के बाद, संशोधन के लिए किसी आवेदन की अनुमति नहीं होगी, जब तक आयोग के मत हो कि विधिवत् कर्मठता के बावजूद, पार्टी अंतिम सुनवाई के आरंभ से पूर्व मामले को नहीं उठा सकी है:

परंतु यह और कि अंतिम सुनवाई के निष्कर्ष और याचिका में आदेश के सुरक्षित होने के बाद संशोधन के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

39. परिसीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता

अधिनियम की धारा 79(1)(च) के अधीन किसी पार्टी द्वारा आयोग के समक्ष कोई याचिका दायर करने के लिए परिसीमा अवधि का निर्धारण करते समय आयोग, परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध द्वारा निर्देशित होगा।

40. अतिरिक्त सूचना, साक्ष्य आदि हेतु बुलाने के लिए आयोग की शक्तियाँ

- (1) आयोग, किसी याचिका में आदेशों के पारित किए जाने से पूर्व किसी भी समय, पार्टियों या उनमें से किसी एक या अधिक, या किसी अन्य व्यक्ति जिसे आयोग समुचित समझता है, से उन दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें आयोग आदेशों को पारित करने के लिए उसे सक्षम बनाने के उद्देश्य से आवश्यक समझता है।
- (2) आयोग साक्षियों को समन करने, साक्ष्य में प्रस्तुत करने योग्य अन्य सामग्री वस्तुओं या किसी दस्तावेज की खोज और उत्पादन, किसी कार्यालय से कोई पब्लिक रिकॉर्ड की मांग करने, किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में बुक्स, लेखाओं, या आयोग के अधिकारी द्वारा किसी अन्य दस्तावेजों या सूचना की जांच करने, एफिडेविट पर साक्ष्य प्राप्त करने, साक्षियों की जांच के लिए कमीशन जारी करने, जिसे आयोग द्वारा मामले से सुसंगत समझा जाए, के लिए निर्देश दे सकता है। इस उद्देश्य के लिए आयोग, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (1) के अधीन यथा उल्लिखित कोड के अधीन सिविल न्यायालय में प्रदत्त हैं।
- (3) आयोग सुनवाई की नियत तारीख से पूर्व पत्रों या आदेशों के माध्यम से किसी याचिका में सूचना मांग सकता है:
परंतु यह कि सुनवाई के बाद आयोग, आयोग के स्टाफ द्वारा लिखित पत्रों के माध्यम से या आयोग की सुनवाई या आदेशों की कार्यवाहियों के रिकॉर्ड के माध्यम से अतिरिक्त सूचना मांग सकता है, यदि आवश्यक हो।
- (4) याचिका में आदेश के सुरक्षित होने के बाद, किसी भी पार्टी को आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रस्तुतिकरण करने की अनुमति नहीं होगी।
- (5) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच और प्रकटन का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुसंगत उपबंधों द्वारा होगा।

41. मुद्दों का संदर्भ

- (1) याचिका में कार्यवाहियों के किसी चरण में, आयोग अपने अधिकारियों और परामर्शियों सहित परंतु इन तक सीमित नहीं, किसी व्यक्ति (व्यक्तियों), जिन्हें आयोग ऐसे मुद्दे (मुद्दों) पर विशेषज्ञ सलाह या मत देने के लिए अर्हताप्राप्त समझता है, से ऐसे मुद्दे (मुद्दों) पर संदर्भ ले सकता है जिन्हें वह समुचित समझता है।
- (2) आयोग समय-समय पर अपने अधिकारियों और परामर्शियों सहित परंतु इन तक सीमित नहीं, किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को जांच के लिए किसी स्थान या स्थानों पर जाने और स्थान के अस्तित्व या स्थिति या उस पर किसी सुविधा के संबंध में रिपोर्ट देने की अनुमति दे सकता है।
- (3) आयोग, यदि समुचित समझता है, तो पार्टियों को इस विनियम (नामित व्यक्तियों) के खंड (1) या खंड (2) के अनुसार नामित व्यक्तियों के समक्ष उन्हें संदर्भित किए गए मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है।
- (4) ऐसे नामित व्यक्तियों से प्राप्त रिपोर्ट या मत याचिका में रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, और उसकी प्रतियाँ पार्टियों की दी जाएंगी। पार्टियाँ, नामित व्यक्तियों की रिपोर्ट या मत के समर्थन में या विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने की पात्र होंगी।

- (5) याचिका का निर्णय करते समय, आयोग नामित व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट या मत, ऐसी रिपोर्ट या मत के लिए पार्टियों द्वारा दाखिल की गई प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखेगा और यदि आवश्यक हो, तो आयोग उन नामित व्यक्तियों की जांच कर सकता है जिन्होंने मत या रिपोर्ट प्रदान की है।

42. पार्टी की अनुपस्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

- (1) जहाँ सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर या किसी अन्य तारीख जिस पर सुनवाई को स्थगित किया गया है, यदि याचिकाकर्ता (उसके अधिवक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) उपस्थित नहीं होता है जब याचिका को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, तो आयोग, अपने विवेक से, याचिकाकर्ता की चूक के लिए याचिका का खारिज कर सकता है या याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में एकपक्षीय याचिका के निर्णय के लिए आगे बढ़ सकता है या किसी बाद की तारीख के लिए याचिका की सुनवाई को स्थगित कर सकता है।
- (2) जहाँ सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर या किसी अन्य तारीख जिस पर सुनवाई को स्थगित किया गया है, यदि याचिकाकर्ता उपस्थित होता है परंतु प्रतिवादी अनुपस्थित होता है जब याचिका को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, तो आयोग, अपने विवेक से, सुनवाई की नई तारीख निर्धारित सकता है या ऐसे प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की अनुपस्थिति में एकपक्षीय याचिका का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
- (3) जहाँ याचिका खारिज होती है या एकपक्षीय निर्धारित होती है, वहाँ व्यथित व्यक्ति ऐसे खारिज होने या एकपक्षीय निर्धारित होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर पारित हुए आदेश को वापस लिए जाने के लिए समुचित आवेदन कर सकता है, और आयोग संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी, यथास्थिति, की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था जब सुनवाई के लिए याचिका का बुलाया गया, ऐसे निबंधनों पर आदेश को वापस ले सकता है जैसा भी वह समुचित समझे।

43. सदस्यों की उपस्थिति, याचिकाओं पर वोटिंग

- (1) जिन सदस्यों ने अंतिम सुनवाई के चरण में याचिका की सुनवाई की है, वे याचिका में शामिल मुद्दों पर निर्णयों के संबंध में वोट करेंगे।
- (2) याचिका में शामिल सभी मुद्दों का निर्णय, उपस्थित सदस्यों और उनकी वोटिंग के बहुमत से होगा, और वोटों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या अति वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने याचिका की सुनवाई में अध्यक्षता की है, यथास्थिति, के पास द्वितीय या कास्टिंग वोट होगा।
- (3) इस विनियम के खंड (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।
- (4) यदि कोई सदस्य, सदस्यों के बहुमत के निष्कर्ष या निर्णयों से सहमत नहीं है, तो वह अपने स्वयं के निष्कर्ष या निर्णय देते हुए पृथक आदेश जारी कर सकता है।
- (5) सदस्यों के बहुमत द्वारा आयोग का निर्णय बाध्यकारी होगा।
- (6) असहमत सदस्य, यदि कोई हो, द्वारा आदेशों सहित, आदेशों के समर्थन में आयोग द्वारा दिए गए कारण आदेश का हिस्सा होंगे।
- (7) आदेश, आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में होगा।
- (8) आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, उस कोरम द्वारा जल्द से जल्द हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसने याचिका की सुनवाई की और निर्णय दिया।
- (9) यदि कोई सदस्य, जिसने अंतिम सुनवाई के दौरान याचिका की सुनवाई की, आदेश के पारित होने से पूर्व पद छोड़ता है, तो अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अति वरिष्ठ सदस्य मामले की पुनः सुनवाई के लिए आदेश देगा।

44. आयोग के आदेश

- (1) आयोग द्वारा जारी या संप्रेषित सभी आदेश और निर्णय, सचिव या अध्यक्ष द्वारा उनकी ओर से सशक्त अधिकारी द्वारा प्रामाणिक होंगे और उन पर आयोग की आधिकारिक मुहर होगी।

- (2) आयोग के सभी आदेश, उनके हस्ताक्षरीकरण की तारीखों के तीन दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर अवलोड किए जाएंगे।
- (3) आयोग की वेबसाइट पर आदेश के अपलोड होने की तारीख, संबंधित पार्टियों पर ऐसे आदेश की पर्याप्त तामील मानी जाएगी और ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि का परिकलन उस तारीख के अगले दिन से आरंभ किया जाएगा जब आदेश वास्तविक रूप से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
- (4) आयोग के सभी आदेश, याचिकाकर्ता, प्रतिवादी (प्रतिवादियों) या याचिका की किसी अन्य पार्टी के दिए गए आधिकारिक ई-मेल पते पर आयोग की वेबसाइट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाएगा, ऐसे आदेशों का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण संबंधित पार्टियों पर पर्याप्त तामील माना जाएगा।
- (5) आयोग की वेबसाइट पर याचिका में पारित आदेश के प्रकाशन के बाद, उक्त आदेश की सत्यापित प्रति संबंधित पार्टी के लिखित अनुरोध की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर पार्टी को जारी की जाएगी।

45. आयोग की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड

- (1) याचिकाओं की सुनवाईयों की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद जारी किए जाएंगे।
- (2) आयोग की कार्यवाहियों के रिकॉर्ड, आयोजित सुनवाई, सुनवाई में उपस्थित व्यक्ति, अर्थात्, अधिवक्ता, पार्टियों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता और उपभोक्ता संगठन, यदि कोई हो, केस की स्थिति, संक्षेप में मुख्य मुद्दों पर हुई चर्चा, आयोग द्वारा किए गए कोई विनिर्दिष्ट प्रश्न और ऐसे प्रश्नों के लिए पार्टियों के उत्तर, आदि की प्रकृति दर्शाता है। यदि कार्यवाहियों को अगली तारीख के लिए स्थगित किया जाता है, तो उसे इंगित किया जाएगा। यदि याचिका में आदेश को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसका उल्लेख कार्यवाहियों के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से किया जाएगा।
- (3) याचिकाओं की सुनवाईयों की कार्यवाहियों के रिकॉर्ड, आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद यथा संभव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और आयोग की ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पार्टियों को प्रेषित किए जाएंगे।

46. कार्यवाहियों के रिकॉर्ड का निरीक्षण और सत्यापित प्रतियाँ प्रदान करना

- (1) याचिका में कार्यवाहियों के रिकॉर्ड, उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से हों, जो गोपनीय, विशेषाधिकार प्राप्त या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट न किए जाने वाले हैं, वे समय, स्थान, और जांच की विधि और फीस के भुगतान के संबंध में सहित समय-समय पर आयोग द्वारा यथा निर्देशित निबंधनों का पालन करने वाले ऐसे व्यक्ति के अध्यक्षीन, याचिका में पारित किए गए आदेशों के बाद या कार्यवाहियों के दौरान याचिका की किसी पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
- (2) फॉर्म 13 के अनुसार आवेदन उस पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो याचिका में रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का इच्छुक है।
- (3) उस व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर जो कि याचिका में पार्टी नहीं है, आयोग अच्छा हेतुक दिखाने पर ऐसे व्यक्ति को निर्धारित फीस और प्रभारों के भुगतान पर रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए या उसकी प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है।
- (4) सभी निरीक्षणों की अनुमति सचिव द्वारा केवल प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में दी जाएगी।
- (5) किसी याचिका में दाखिल कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज, लिखित अनुरोध पर आयोग की अनुमति के बिना आयोग की अभिरक्षा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता।
- (6) आयोग के किसी आदेश या किसी याचिका में कार्यवाहियों की सत्यापित प्रतियाँ जारी करने के लिए आयोग की रजिस्ट्री में नामित अधिकारी को किया गया आवेदन, और ऐसे आदेश या कार्यवाहियों की प्रति को तैयार किया जाएगा और आवेदन किए जाने के सात दिनों के अंदर या संबंधित अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित किसी अतिरिक्त समय के अंदर जारी किया जाएगा।

47. अंतरिम आदेश

आयोग याचिका में कार्यवाहियों के किसी चरण में ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जैसा भी वह समुचित समझे।

अध्याय V**विवादों का माध्यस्थम्****48. माध्यस्थम् के लिए विवादों का संदर्भ**

- (1) अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंडों (क), (ख), (ग) और (घ) से संबंधित मामलों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों वाले विवादों के न्यायनिर्णयन या माध्यस्थम् के लिए अधिनियम की धारा 79(1)(च) के अधीन दायर याचिकाओं के संबंध में कार्यवाहियों को विवादों की किसी पार्टी द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा आरंभ किया जा सकता है।
- (2) जहाँ याचिका दाखिल करने वाली पार्टी ने माध्यस्थम् के लिए विवाद के संदर्भ हेतु प्रार्थना की है, वहाँ आयोग अन्य संबंधित पार्टियों को इस संबंध में उनके विचार मांगते हुए नोटिस जारी करेगा कि क्यों न मामले का निपटान माध्यस्थम् के माध्यम से किया जाए।
- (3) यदि आयोग, उन पार्टियों की सुनवाई के बाद जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, संतुष्ट है कि निपटान के कुछ घटक उपस्थित हैं, निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकता है कि विवाद को इन विनियमों के विनियम 49 के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा माध्यस्थम् के माध्यम से निपटान के लिए संदर्भित किया जाए।

49. मध्यस्थों का नामांकन

- (1) जहाँ आयोग मामले को व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा माध्यस्थम् के लिए संदर्भित करने का निर्णय लेता है, वहाँ संदर्भ निम्नानुसार होगा:
 - (क) एकल मध्यस्थ को, यदि विवाद की पार्टियाँ एकल मध्यस्थ के नाम पर सहमत होती हैं। जहाँ पार्टियाँ एकल मध्यस्थ के नाम पर सहमत होने में असमर्थ हैं, वहाँ आयोग एकल मध्यस्थ को नामित कर सकता है
 - (ख) आयोग विवाद की प्रकृति और शामिल मूल्य को ध्यान में रखने के बाद, तीन मध्यस्थों वाले पैनल द्वारा माध्यस्थम् के लिए विवाद को संदर्भित कर सकता है। यदि आयोग तीन मध्यस्थों के पैनल को संदर्भित करने का निर्णय लेता है, तो आयोग दोनों पार्टियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दो मध्यस्थों को नामित करेगा और तीसरे मध्यस्थ को दोनों नामित मध्यस्थों के सुझाव के आधार पर नामित किया जाएगा। यदि दोनों नामित मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल होते हैं, तो तीसरे मध्यस्थ को आयोग द्वारा नामित किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि कोई नामित मध्यस्थ विफल होता है या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने या बने रहने की उपेक्षा करता है, तो आयोग किसी भी पार्टी द्वारा किए गए आवेदन पर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है।

- (2) आयोग उस व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित नहीं करेगा जिसके प्रति माध्यस्थम् की किसी भी पार्टी के पास संभव पक्षपात या समान कारणों के आधार पर तर्कसंगत आपत्ति है, यदि आयोग आपत्ति को वैध और न्यायसंगत मानता है।

50. माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया और अवार्ड पारित करना

- (1) जहाँ आयोग विवाद को माध्यस्थम् के लिए मध्यस्थ या तीन मध्यस्थों के पैनल को संदर्भित करता है, वहाँ एकल मध्यस्थ या मध्यस्थों का पैनल ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जैसा भी वे समुचित, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और माध्यस्थम् की पार्टियों को दी जाने वाली उचित अवसर के साथ सुसंगत समझें।

- (2) सभी अन्य पहलुओं में माध्यस्थम्, समय-समय पर यथा संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अधीन होगा।
- (3) मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहियों की लागत का वहन ऐसी पार्टियों द्वारा और ऐसी राशि में किया जाएगा जैसा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, और विषय पर न्यायिक निर्णयों के अनुसार मध्यस्थ या मध्यस्थों के पैनल द्वारा निर्णीत किया गया है।

अध्याय VI

अन्वेषण और जांच

51. अन्वेषण, जांच, सूचना का संग्रहण, आदि

- (1) आयोग निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सूचना के संग्रहण, जांच, अन्वेषण, प्रविष्टि, खोज, और अभिग्रहण के लिए ऐसे आदेश दे सकता है जैसा भी वह समुचित समझे।
 - (क) आयोग, किसी भी समय, सचिव या एक या एक से अधिक किसी अधिकारी, परामर्शियों या किसी अन्य व्यक्ति, जैसा भी आयोग समुचित समझे (इसके बाद "अन्वेषण प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित), को अधिनियम के अधीन आयोग के क्षेत्रांतर्गत किसी मामले के संबंध में अध्ययन, जांच करने, या सूचना प्रस्तुत करने और आयोग के समक्ष ऐसे अध्ययन या अन्वेषण का निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है।
 - (ख) आयोग, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, ऐसे अन्य निर्देश दे सकता है जैसा भी वह समुचित समझे और समय विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है या सूचना प्रस्तुत की जानी है।
 - (ग) कोई अन्वेषण प्राधिकारी, आयोग द्वारा किसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी या पावर एक्सचेंज या आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी अन्य एजेंसी का अध्ययन या अन्वेषण करने के लिए निर्देशित किए जाने पर, खाता-बहियों सहित किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए या अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी या पावर एक्सचेंज या किसी अन्य एजेंसी के एक या एक से अधिक अधिकारियों को निर्देश दे सकता है। संबंधित अधिकारियों की अभिरक्षा या शक्ति में सभी ऐसे खाता-बहियों, रजिस्ट्रों, और किसी अन्य दस्तावेजों को अन्वेषण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने और अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय के अंदर उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी या पावर एक्सचेंज या किसी अन्य एजेंसी, यथा स्थिति, के कार्यों के संबंध में किसी विवरण और सूचना प्रस्तुत करने का कर्तव्य संबंधित अधिकारियों का होगा।
 - (घ) अन्वेषण अधिकारी अपने अन्वेषण की रिपोर्ट और उसके द्वारा सुसंगत समझी गई ऐसी कोई अन्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
 - (ङ) यदि इस विनियम के खंड (1) के उप-खंड (घ) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट या सूचना आयोग के समक्ष अपर्याप्त या अल्प समझी जाती है, तो आयोग अन्वेषण प्राधिकारी को अतिरिक्त जांच, रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, सूचना प्रस्तुत करने के लिए ऐसे निर्देश दे सकता जैसा भी वह समुचित समझे। अन्वेषण प्राधिकारी अतिरिक्त जांच करेगा और निर्धारित समय के अंदर आयोग को रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा।
 - (च) यदि अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या सूचना आयोग के मत में युक्तियुक्त है, तो आयोग संबंधित पार्टी को ऐसी रिपोर्ट या सूचना पर प्रस्तुति देने के लिए अवसर प्रदान कर सकता है और प्रस्तुति पर विचार करने के बाद, संबंधित पार्टी से रिपोर्ट या सूचना से उत्पन्न किसी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा भी आयोग समुचित समझे।
- (2) आयोग, किसी भी समय, किसी संस्था, परामर्शी, विशेषज्ञ या ऐसे किसी तकनीकी और व्यावसायिक व्यक्ति की सहायता मांग सकता है जैसा वह आवश्यक समझे और उन्हें अध्ययन, अन्वेषण, जांच, या

रिपोर्ट या रिपोर्टों को प्रस्तुत करने या किसी मामले पर कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए पूछ सकता है। आयोग ऐसे व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए निबंधनों और शर्तों को निर्धारित कर सकता है।

- (3) यदि इस विनियम के खंड (2) के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट या सूचना या उसके किसी हिस्से पर आयोग द्वारा किसी कार्यवाहियों में अपना मत या विचार बनाने के लिए विश्वास किया जाना प्रस्तावित है, तो कार्यवाहियों की पार्टियों को अन्वेषण प्राधिकारी या व्यावसायिकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या सूचना पर आपत्तियाँ दाखिल करने और प्रस्तुतिकरण करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (4) इस विनियम के खंड (2) के अनुसार व्यावसायिकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या सूचना पर विचार करने और इस विनियम के खंड (3) के अनुसार कार्यवाहियों की संबंधित पार्टियों द्वारा प्रस्तुतिकरण/आपत्तियाँ दाखिल के बाद आयोग संबंधित पार्टियों को ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा भी वह समुचित समझे।

अध्याय VII

आदेशों, निर्णयों और निर्देशों की समीक्षा

52. आदेशों, निर्णयों और निर्देशों की समीक्षा

- (1) आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 और धारा 114 के साथ पठित अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अनुसार अपने आदेशों, निर्णयों, और निर्देशों की समीक्षा करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करेगा।
- (2) आयोग के निर्देश, निर्णय, या आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, जिससे कोई अपील नहीं की गई है, ऐसे निर्णय, निर्देश, या आदेश होने के चालीस दिनों के अंदर निम्नलिखित आधारों पर समीक्षा याचिका दायर कर सकता है:
 - (क) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर, जो कि सम्यक् तत्परता के बाद, उसके संज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब निर्देश, निर्णय, आदेश पारित किया गया था;
 - (ख) भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती है, या;
 - (ग) यदि मामले की समीक्षा करने के लिए कोई अन्य पर्याप्त कारण है।
- (3) समीक्षा के लिए याचिका समान विधि से दायर की जाएगी जिस प्रकार इन विनियमों के अधीन याचिका दायर की जाती है।
- (4) यदि यह नोटिस किया जाता है कि उक्त आदेश या निर्णय आयोग की ओर से विधि की या तथ्य की भूल या अभिलेख के देखने से ही प्रकट त्रुटि से ग्रस्त है, तो आयोग अपने स्वयं के आदेश, निर्णय, या निर्देश की समीक्षा स्वप्रेरणा से कर सकता है।
- (5) पार्टी द्वारा दायर या आयोग द्वारा स्वयं अपनी प्रेरणा से आरंभ की गई समीक्षा हेतु याचिका, उसके पंजीकरण की तारीख से विशेषतः 15 दिनों की अवधि के अंदर, आयोग के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी।
- (6) यदि समीक्षा याचिका दाखिल नहीं होती है तो समीक्षा याचिका का निपटान सुनवाई की तारीख से 15 दिनों के अंदर और यदि समीक्षा याचिका दाखिल होती है तो दाखिल होने की तारीख से दो मास की अवधि के अंदर किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ समीक्षा याचिका का निपटान यथा निर्धारित अवधि के अंदर नहीं होता है, तो आयोग उक्त याचिका के निपटान के हेतु लिए गए अतिरिक्त समय के लिए कारणों को रिकॉर्ड करेगा।

53. टैरिफ आदेशों की पुनरीक्षण

आयोग संतुष्ट होने पर कि किसी सामग्री पर विचार न किए जाने के कारण या परिकलन में गलती के कारण किसी उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ को पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है, तो वह टैरिफ के पुनरीक्षण की प्रक्रिया आरंभ करेगा और मूल टैरिफ याचिका की पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

54. आदेशों का संशोधन

आदेशों में लिपिकीय या गणित संबंधी गलतियों या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को आयोग द्वारा किसी भी समय ठीक किया जा सकता है।

अध्याय-VIII**उपभोक्ता प्रतिनिधित्व****55. उपभोक्ता प्रतिनिधित्व प्रोत्साहित करने के लिए आयोग की शक्तियाँ**

- (1) आयोग, जैसा भी समुचित समझे, अपने समक्ष कार्यवाहियों में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
- (2) आयोग अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु नियुक्त अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी फीस, लागतों, और व्ययों के भुगतान हेतु निर्देश दे सकता है, जैसा समुचित समझा जाए।
- (3) आयोग किसी कार्यवाहियों में सहभागिता हेतु किसी उपभोक्ता, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि या उपभोक्ता संगठनों को अनुमति दे सकता है।
- (4) आयोग अपने समक्ष प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के रूप में संगठनों, समूहों, फोरम या निगमित निकायों को मान्यता दे सकता है।
- (5) उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई संगठन, समूह, फोरम या निगमित निकाय, जो कि मान्यता प्राप्त होने का इच्छुक है, मान्यता के लिए आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग यथा समुचित जांच के बाद, ऐसे संगठन, समूह, फोरम या निगमित निकाय को मान्यता दे सकता है और ऐसे तरीके से आयोग के समक्ष किसी कार्यवाहियों में सहभागिता के लिए उन्हें अनुमति दे सकता है जैसा भी आयोग समुचित समझे।
- (6) आयोग द्वारा मान्यता के लिए आवेदन करने वाला किसी संगठन, फोरम, समूह या निगमित निकाय को निम्नलिखित मानदंड को पूरा करना होगा:
 - (क) उसे विशेषतः सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए।
 - (ख) उसे अपनी पंजीकरण के बाद कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अपनी गतिविधि के क्षेत्र में कार्यात्मक होना चाहिए।
 - (ग) उसके प्रचालन का क्षेत्र कम से कम एक राज्य से अधिक में फैला होना चाहिए।
 - (घ) संगठन, फोरम, समूह या निगमित निकाय का एक प्रमुख कार्य उसके संविधान या संस्था के अंतर्नियम और ज्ञापन के अनुसार उपभोक्ता हितों की सुरक्षा होना चाहिए।
 - (ङ) उसके पास विद्युत क्षेत्र से संबंधित सहित विभिन्न फोरमों या एजेंसियों के समक्ष उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव होना चाहिए।
- (7) आयोग, कार्यवाहियों के समय से समापन के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उपभोक्ता प्रतिनिधियों या उपभोक्ता संगठनों को सामूहिक एफिडेविट दाखिल करने के लिए निर्देश दे सकता है।

अध्याय IX**स्वप्रेरणा कार्यवाहियाँ****56. स्वप्रेरणा याचिकाएं**

- (1) आयोग, अधिनियम के उपबंधों, नियमों या अधिनियम के अधीन निर्मित विनियमों या आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रेरणा से किसी कार्यवाही को आरंभ कर सकता है।

- (2) आयोग सार्वजनिक महत्व के मद्दों का निर्धारण करने के लिए स्वप्रेरणा से कार्यवाहियाँ आरंभ कर सकता है और अनुपालन हेतु समुचित निर्देश जारी कर सकता है।
- (3) आयोग द्वारा कार्यवाहियों के आरंभ का नोटिस जारी किया जा सकता है, और आयोग ऐसे आदेश और निर्देश जारी कर सकता जैसा भी प्रभावी पार्टियों को नोटिसों की तामील के लिए आवश्यक समझा जाए।
- (4) आयोग, समुचित केसों में, आयोग के अधिकारी या ऐसे किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है जिसे आयोग केस में याचिकाकर्ता की क्षमता में मामले को प्रस्तुत करने हेतु समुचित समझता है।
- (5) आयोग, सही निर्णय पर पहुँचने के लिए, कार्यवाहियों के दौरान किसी भी समय, मामले में पार्टियों से ऐसे प्रारूप में सूचना की मांग कर सकता है जैसा भी वह निर्देश दे।
- (6) आयोग, निर्धारित समय के अंदर पार्टियों द्वारा यथा प्रस्तुत सूचना की प्राप्ति पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करेगा:
परंतु यह कि यदि निर्धारित समय के अंदर आयोग द्वारा सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो केस आयोग के समक्ष समुचित निर्देशों के लिए सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा।
- (7) आयोग, प्रभावित पार्टी या पार्टियों की सुनवाई के बाद और संतुष्ट होने पर कि अधिनियम, नियमों, विनियमों, या आयोग के निर्देशों का गैर-अनुपालन स्थापित हुआ है, ऐसे आदेश जारी कर सकता है या ऐसी शास्ति लगा सकता है जैसा भी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित समझे जाएं।

57. कार्य-व्यवहार निर्देश जारी करना

आयोग अपने किसी भी विनियम के कार्यान्वयन और तत्संबंधी ऐसे आनुषंगिक और प्रासंगिक मामलों के संबंध में समय-समय पर आदेश और कार्य-व्यवहार निर्देश जारी कर सकता है जैसा भी आयोग समुचित समझे।

अध्याय X

विनियमों को तैयार करने के लिए क्रियाविधि

58. विनियमों को तैयार करना

- (1) आयोग को अधिनियम की धारा 178 के अधीन आयोग को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियमावली और अधिनियम के अनुरूप संगत विनियमों को अधिसूचना द्वारा बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। आयोग से इन विनियमों को बनाते समय विद्युत (पूर्व प्रकाशन) नियमावली 2005 में निर्धारित क्रियाविधि अपेक्षित है।
- (2) आयोग अधिनियम के अन्य उपयुक्त उपबंधों के साथ पठित विनियम 178 के अनुसार किसी भी विषय पर मौजूदा विनियमों को निरस्त करने या संशोधित करने या नये विनियम तैयार करने के लिए किसी भी समय पर, जिसे वह उचित समझता है, निर्णय कर सकता है।
- (3) आयोग इन विनियमों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए किसी संस्था, परामर्शदाता और इस प्रकार के अन्य व्यवसायिक निकायों की सहायता ले सकता है जिसे वह आवश्यक समझता है और इन विनियमों को तैयार करने में आयोग की सहायता में उन्हें नियुक्त कर सकता है।
- (4) विनियमों को तैयार करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में, आयोग विचारार्थ व्यापक विषयों को रेखांकित करते हुए स्टाफ पेपर का निर्णय कर सकता है, इस प्रकार से जारी सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से लिखित में पणधारियों से टिप्पणियाँ आमंत्रित कर सकता है जिसे आयोग उपयुक्त समझता है और इस प्रकार के नोटिसों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है।
- (5) आयोग विनियमों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए आदेश या पत्र (पत्रों) के माध्यम से विभिन्न पणधारियों से सूचना और डाटा की मांग कर सकता है और सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय परिसीमा निर्धारित कर सकता है।
- (6) आयोग ड्राफ्ट विनियम जारी करेगा, उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उस ढंग से जैसा आयोग निर्णय लेता है, प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से विभिन्न पणधारी से लिखित में टिप्पणियाँ आमंत्रित करेगा और अपनी वेबसाइट पर इस प्रकार के नोटिसों को अपलोड करेगा।

- (7) आयोग, यदि आवश्यक समझता है, तो ड्राफ्ट विनियमों के अतिरिक्त ड्राफ्ट विनियमों के उपबंधों को स्पष्ट करते हुए अपनी वेबसाइट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन भी अपलोड कर सकता है।
- (8) आयोग ड्राफ्ट विनियमों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार के सार्वजनिक नोटिस की तारीख से न्यूनतम 30 दिनों की पणधारियों को अनुमति देगा:
परन्तु कि इस प्रकार के प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन को आयोग द्वारा, यदि ठीक समझा जाता है, तो बढ़ाया जा सकता है:
परन्तु यह भी कि आयोग उक्त अवधि के बीत जाने पर इस प्रकार के टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करने का निर्णय कर सकता है।
- (9) आयोग इस प्रकार की टिप्पणियों की प्राप्ति पर और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अवधि की समाप्ति पर, इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई कर सकता है।
- (10) ड्राफ्ट विनियमों पर पणधारियों की प्रस्तुति के विक्षेपण के आधार पर आयोग अंतिम विनियमों को जारी कर सकता है।
- (11) विनियमों को सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में आयोग में वरिष्ठतम प्रधान द्वारा जारी किया जाएगा।
- (12) आयोग यदि आवश्यक समझता है तो इन विनियमों के उपबंधों की पृष्ठभूमि में तार्किकता और कारणों को वर्णित करते हुए प्रकाशित कर सकता है।
- (13) आयोग का स्टाफ भारत के राजपत्र में अधिसूचित विनियमों को, जैसे ही उन्हें जारी किया जाता है, यथासंभव प्राप्त करेंगे।
- (14) विनियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से या अधिसूचना में उल्लिखित किसी अन्य विनिर्दिष्ट तारीखों से प्रवृत्त होंगे।

अध्याय XI

विविध

59. याचिकाओं के निपटान के लिए समय परिसीमा

- (1) टैरिफ विनियमों के संबंध में और अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदनों या अधिनियम की धारा 143 के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में अधिनिर्णय करने वाले जांच के लिए क्रियाविधि या पुनरीक्षण याचिकाओं के संबंध में इन विनियमों के विनियम 52 के खंड (6) के संबंध में अधिनियम में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, आयोग अभिवचनों के पूरा होने की तारीख से वरीयता रूप से 6 महीनों की अवधि के अंदर याचिकाओं के निपटान का प्रयास करेगा।
- (2) उन मामलों में जहां याचिकाओं को अभिवचनों के पूरा होने की तारीख से 6 महीनों की अवधि के अंदर निपटारा नहीं जा सकता वहां आयोग याचिकाओं के निपटान के लिए लिए गए समय के लिए कारणों को रिकॉर्ड करेगा।

60. सलाहकार समिति

- (1) आयोग समय समय पर अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के अनुसार केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित करेगा।
- (2) समिति में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर सरकारी संस्था, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान निकायों के हितों का अभ्यावेदन करने के लिए सदस्यों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी।
- (3) सदस्यों को 2 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे आयोग के स्वविवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (4) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष केन्द्रीय सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे और केन्द्रीय आयोग के सदस्य और उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव केन्द्रीय सलाहकार समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(5) समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को सलाह देगी:

- (क) नीति के बड़े प्रश्न;
- (ख) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और परिसीमा से संबंधित मामले;
- (ग) उनकी अनुज्ञप्ति की अपेक्षाएं और शर्तों सहित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन;
- (घ) उपभोक्ता हितों का संरक्षण;
- (ङ) विद्युत आपूर्ति और यूटिलिटी द्वारा प्रदर्शन के समुच्चय मानक।

(6) केन्द्रीय सलाहकार समिति 6 महीनों में कम से कम एक बार या इस प्रकार के अंतरालों में या स्थानों पर जिसे आयोग द्वारा निर्णित किया जाता है, बैठक करेगी।

(7) बैठक का कोरम केन्द्रीय सलाहकार समिति की कुल सदस्यता का 1/3 होगा:

परन्तु कि प्रोक्सी द्वारा उपस्थिति की केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में अनुमति नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को जो केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य नहीं है, अपनी बैठक की कार्यसूची से संबंधित किसी मामले पर केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की सहायता के लिए विशेष आमंत्रिती रूप में आमंत्रित कर सकता है।

(8) आयोग का सचिव केन्द्रीय सलाहकार समिति का सचिव होगा।

(9) केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों में उपस्थित होने पर, सदस्य भारत सरकार के सचिव को यथाअनुमत्त यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे:

परन्तु कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रोजगार में सदस्य नहीं टीए/डीए या समय समय से आयोग द्वारा संशोधित किए जाने वाले के अतिरिक्त प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए रु.6000/- मानदेय के पात्र होंगे।

(10) केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक के लिए नोटिस एवं कार्यसूची बैठक की तारीख के पूर्व कम से कम 07 दिनों में सदस्यों को भेजी जाएगी।

(11) सचिव केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को तैयार करेगा और अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा।

(12) आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

61. मृत्यु के बाद कार्यवाही का जारी रहना

(1) जहां किसी कार्यवाही में, कार्यवाहियों के लिए पार्टियों की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या दिवालिया प्रक्रिया या परिसमापन/बंद होने के अधीन कंपनी के मामले में, कार्यवाहियां हित-उत्तराधिकारियों, प्रस्ताव पेशेवर, निष्पादक, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, परिसमापक या संबंधित पार्टी का अन्य विधिक प्रतिनिधि के साथ जारी रहेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति हित-उत्तराधिकारी इत्यादि को रिकॉर्ड पर देने की इच्छा करता है तो इस प्रयोजन के लिए आवेदन रिकॉर्ड पर लाने के लिए हित-उत्तराधिकारियों की अपेक्षा की स्थिति से 90 दिनों के अंदर दाखिल किया जाएगा।

(3) आयोग रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए कार्यवाहियों को उपशमन मांग सकता है यदि आयोग इस प्रकार का निर्देश देता है और मामले के रिकॉर्ड पर हित-उत्तराधिकारी की आवश्यकता से अभिमुक्त कर सकता है।

62. जनता के लिए मुक्त की जाने वाली कार्यवाहियां

आयोग के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खोली जाएंगी:

परन्तु कि आयोग, यदि वह ठीक समझता है और लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारण हैं, किसी विशेष मामले की कार्यवाहियों के किसी चरण में आदेश दे सकता है कि सामान्य रूप से जनता या कोई विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नियंत्रित पहुंच होगी:

परन्तु यह भी कि आयोग अपनी वेबसाइट पर प्रदान किए जाने वाले लिंक के माध्यम से कुछ विशेष मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग का निर्णय कर सकता है।

63. रिकॉर्डों को नष्ट करना

- (1) स्थायी रिकॉर्ड को छोड़कर आयोग के रिकॉर्डों को कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्ष के तीन वर्षों के बाद सचिव द्वारा नष्ट करने का आदेश दिया जाएगा और यदि कोई अपील अधिनियम की धारा 111 के अधीन दाखिल की जाती है तो संबंधित याचिकाओं के रिकॉर्डों का अपील के निपटान के बाद तीन वर्षों में नष्ट किया जाएगा।
- (2) नष्ट करने से पूर्व, रिकॉर्डों को माइक्रोफिल्म किया जाना चाहिए या भावी संदर्भ के लिए स्कैन फार्म में रखा जाना चाहिए।

नोट: स्थायी रिकॉर्ड में आदेश, कार्यवाहियों का रिकॉर्ड याचिकाओं के अभिवचनों की एक प्रति शामिल होगी।

64. क्रियाविधियों पर आदेश और निर्देश जारी करना

अधिनियम और इन विनियम के उपबंधों के अध्याधीन, आयोग समय समय से इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और पद्धति निर्देश, विभिन्न अन्य मामलों और अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि को जारी कर सकता है जिसकी आयोग को इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने या निर्देशित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

65. आयोग की अंतर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति

- (1) इन विनियमों में कुछ भी इस प्रकार के आदेशों को आयोग की निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के या आयोग की प्रक्रिया की कार्यवाही के दुरुपयोग के निवारण के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- (2) इन विनियमों में कुछ भी अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप आयोग को वर्जन नहीं करेगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध के साथ असंगत है यदि मामले की विशेष परिस्थितियों या मामले की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए और लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए आयोग इस प्रकार के मामलों की श्रेणी के साथ निपटने के लिए आवश्यक समझता है।
- (3) इन विनियमों में कुछ भी अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए या किसी मामले के निपटान से आयोग को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित नहीं करेगा जिसके लिए कोई विनियमों को तैयार नहीं किया है और आयोग इस प्रकार के मामले, शक्तियों और कार्यों का इस ढंग से प्रयोग करेगा जिसे वह ठीक समझता है।

66. संशोधन के लिए समन्वय शक्ति

आयोग, किसी भी समय और इस प्रकार की शर्तों जिसे वह ठीक समझता है उसे अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों में किसी दोष या त्रुटि को संशोधित कर सकता है और सभी आवश्यक संशोधन वास्तविक पत्र को निर्धारित करने या कार्यवाहियों में उद्भूत मुद्दे को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए किए जाएंगे।

67. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि कोई कठिनाई इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावित करने में उत्पन्न होती है तो आयोग अधिनियम के उपबंधों के गैर अननरूप सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर सकता है जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित लगता है।

68. शिथिल करने की शक्ति:

आयोग, लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए अपनी स्वप्रेरणा पर या किसी पार्टी अथवा इच्छुक व्यक्ति द्वारा आयोग के समक्ष किए गए आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

69. निर्धारित समय के विस्तार या सार

अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन, इन विनियमों द्वारा अथवा किसी अधिनियम के लिए आयोगों द्वारा निर्धारित समय को आयोग के आदेश द्वारा पर्याप्त कारणों के लिए बढ़ाया (भले ही यह पहले समाप्त हो गया हो या नहीं) जा सकता है।

70. गैर अनुपालन का प्रभाव

- (1) इन विनियमों की किसी अपेक्षा के अनुपालन की असफलता इस प्रकार की असफलता केवल कारण द्वारा किसी कार्यवाही को अवैध नहीं करेगी जब तक कि आयोग का यह विचार नहीं है कि इस प्रकार की असफलता से न्याय की हानि हुई है।
- (2) अधिनियम, नियमावली के उपबंधों की सफलता, अधिनियम के अधीन जारी विनियमों या आयोग के आदेशों या कोई निर्देश से अधिनियम की धारा 142 के अधीन व्यक्ति या संबंधित पार्टी के विरुद्ध उचित कार्यवाही होगी।

71. लागतें

- (1) यदि आयोग न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग करते हुए किसी पार्टी को मानता है या किसी ढंग से कार्यवाही का दुरुपयोग या असद्व्भावपूर्वक, तंग करने वाला, विलंबकारी मानता है तो आयोग उस लागत पर आयोग द्वारा यथानिर्देशित ढंग से जमा/भुगतान अपफरन्ट करने के लिए इस प्रकार की अपचारी पार्टी से अपेक्षा कर सकता है जिसे मामले में कार्यवाही से पूर्व उचित माना जाता है।
- (2) आयोग अंतर्वर्ती आवेदन को दाखिल करने के चरण, मुददों को फ्रेम करने इत्यादि सहित कार्यवाहियों की किसी स्थिति पर किसी पार्टी पर उपयुक्त लागत भी लगा सकता है।
- (3) लागत अवधारित करते समय आयोग पार्टियों/साक्ष्यों/कार्यवाहियों से संबद्ध अन्य व्यक्तियों को हुई असुविधा, पार्टियों के पूर्व आचरण इत्यादि जैसे घटकों पर विचार कर सकता है।
- (4) लागतें आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर अदा की जाएगी या आयोग द्वारा निर्धारित समय के अंदर आदेश से निर्देशित कर सकता है। लागत की जमा या भुगतान करने में उक्त पार्टी की असफलता से इस प्रकार की पार्टी के विरुद्ध पारित किए जा रहे प्रतिकूल आदेश सहित सभी परिणाम होंगे।

72. निरसन और व्यावृत्तियां

- (1) इन विनियमों में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, सभी संशोधनों सहित केविविआ (कारोबार का संचालन) 1999 तथा सभी संशोधन सहित केविविआ (टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करने के लिए क्रियाविधि, आवेदन का प्रकाशन और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2004 इन विनियमों के आरंभ की तारीख से निरस्त होगा।
- (2) इस प्रकार के निरसन के बावजूद निरस्त विनियमों के अधीन की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात इन विनियमों के अधीन तात्पर्यित की जाने के लिए या तात्पर्यित कोई बात मानी जाएगी।

हरप्रीत सिंह पृथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./704/2023-24]

फार्म-1**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग**

नई दिल्ली

.....के याचिका / आवेदन सं.

वकालतानामा

नाम तथा पता.....याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

बनाम

नाम तथा पता.....प्रतिवादी (प्रतिवादियों)

मैं.....उक्त याचिका / आवेदन में याचिकाकर्ता सं...../प्रतिवादी सं. उक्त याचिका/आवेदन में मेरे/हमारे लिए अभिवचन के लिए और सभी कार्यवाहियों के अभियोजन के लिए जो इस संबंध में की जा सकती है और दस्तावेजों को लौटाने के लिए आवेदनों के लिए, समझौते में प्रवेश के लिए और उक्त कार्यवाहियों में मुझे/हमें प्रतिदेय किसी धन के आहरण के लिए उपस्थित, अभिवचन के लिए ई-पोर्टल आईडी.....सहित श्री/कुमारी/श्रीमति..... अधिवक्ता (अधिवक्ताओं) को एतद्वारा नियुक्त करता हूं।

स्थान:

पार्टी

का हस्ताक्षर

तारीख :

मेरी उपस्थिति में निष्पादित

"स्वीकृत"

तारीख सहित हस्ताक्षर

*तारीख सहित हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)

(नाम एवं पदनाम)

(याचिकाकर्ता/आवेदक/प्रतिवादी के लिए

काउंसेल पर सेवा के लिए पता)

पूरा पता.....

रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी.....

रजिस्टर्ड फोन नं.....

फैक्स नं.....

*निम्नलिखित प्रमाणन दिया जाए जब पार्टी वकालतनामे की भाषा से अनभिज्ञ हो या नेत्रहीन हो या निरक्षर हो:-

वकालतनामे की विषयवस्तु वकालतनामा के निष्पादन पार्टी के लिए अभिज्ञात भाषा में अनुवादित/सत्यनिष्ठ और ठीक से श्रवणीय/पठनीय है और वह उसे समझता प्रतीत होता है।

तारीख सहित हस्ताक्षर

(नाम तथा पदनाम)

फार्म 2**माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग****नई दिल्ली के समक्ष****.....की याचिका सं.....****के मामले में:**

नाम एवं पता.....

.....याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

बनाम

नाम एवं पता.....

.....प्रतिवादी (प्रतिवादियों)

हाजिरी का ज्ञापन

मैं/हम..... उक्त नाम के याचिकाकर्ता/प्रतिवादी एतद्वारा उक्त मामले में मेरी/हमारी ओर से कार्य करने, अभिवचन और हाजिरी के लिए नामित/नियुक्त.....(नाम) करते हैं।

साक्ष्य में जिसमें मैंने/हमने.....

की..... तारीख.....को इस लिखित को अंशदान किया है।

स्थान :

हस्ताक्षर

(याचिकाकर्ता/प्रतिवादी)

तारीख :

पत्राचार के लिए पता

फार्म 3

माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली के समक्ष

.....की याचिका सं.....

के मामले में:-

विषय मामला:

(अधिनियम के संगत विनियमों/उपबंधों सहित याचिका के प्रयोजन के लिए सार जिसके अधीन इस प्रकार की याचिका दाखिल की जा रही है)

नाम एवं पता..... याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

बनाम

नाम एवं पता..... प्रतिवादी (प्रतिवादियों)

स्थान : याचिकाकर्ता

तारीख : (नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर)

फार्म 4

माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली के समक्ष

.....की याचिका सं.....

के मामले में:-

विषय मामला

(अधिनियम के संगत विनियमों/उपबंधों सहित जिसके अधीन इस प्रकार की याचिका दाखिल की जा रही है सहित याचिका के प्रयोजन के लिए सार)

नाम एवं पता..... याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

बनाम

नाम एवं पता..... प्रतिवादी (प्रतिवादियों)

याचिका / उत्तर / आवेदन को सत्यापित करने वाला एफीडेविट

मैं.....सुपुत्र.....आयु.....
वर्ष.....(पदनाम),
 निवासी.....एतद्वारा निम्नानुसार
 सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हूँ।

1. कि अभिसाक्षी याचिकाकर्ता/आवेदक/प्रतिवादी का..... है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित है और इसलिए इस एफीडेविट के लिए शपथ लेने के लिए सक्षम है।
2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के अधीन संलग्न याचिका मेरे अनुदेश के अधीन मेरे प्राधिकृत प्रतिनिधि/नामित कौन्सिल द्वारा दाखिल की गई है और उसकी अंतर्वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य एवं उचित है।
3. कि याचिका में यथाउल्लिखित तथ्यों के पैरा..... से की अंतर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी विश्वास के आधार पर सत्य एवं उचित है और कार्यालय में रखे गए रिकार्डों और

याचिका के पैरा..... से की अंतर्वस्तु प्राप्त की गई विधिक सलाह के आधार पर सही मानी गई है।

4. कि याचिका से संबद्ध अनुबंध सही है और संबंधित मूल की सत्यप्रतियां हैं।
5. कि अभिसाक्षी ने विवाद के विषयगत मामले से संबंधित विधि न्यायालय या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई अन्य याचिका या अपील दाखिल नहीं की है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

.....के इस.....,दिन को नई दिल्ली में सत्यापित कि मेरे उक्त एफीडेविट की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी में सत्य और उचित है और इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

फार्म 5

टैरिफ अवधारण / ट्टुइंग अप याचिकाएं

I. सामान्य शीर्ष

फार्म 3 के अनुसार

II. सूची

अंतर्वस्तु की सारणी, याचिका की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना और उनकी पृष्ठ सं. सहित अनुबंध को यहां शामिल किया जाएगा।

III. याचिका (इन विनियमों के विनियम 15 के अनुसार)

क. याचिका का कार्यपालक सार

- (i) याचिकाकर्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
- (ii) प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
- (iii) उत्पादन स्टेशन/यूनिट, पारेषण लाइन/आस्ति, यथास्थिति की पृष्ठभूमि
- (iv) याचिका से संगत महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन
- (v) दावों का सार

ख. विस्तृत याचिका

- (i) मौजूदा याचिका से संबंधित जारी किए गए पूर्व आदेश
- (ii) मानदण्डों से भिन्न/पूर्व रूप से अनुमोदित टैरिफ/प्रभार (ट्टुइंग अप के मामले में) के लिए औचित्य सहित दावा किए गए व्यय के संबंध में विषयवार निवेदन
- (iii) याचिका में किए गए अंतिम दावे

ग. परिसीमाएं

यदि याचिका किसी परिसीमाओं से आवद्ध है।

घ. प्रार्थनाएं

दावा किए गए टैरिफ को शामिल करते हुए याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएं यहां प्रस्तुत की जाएंगी।

IV. टैरिफ दाखिल करने वाले फार्म

टैरिफ दाखिल करने वाले फार्म तथा उसकी जांच सूची टैरिफ की निबंधन व शर्तों पर लागू विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

V. अनुबंध

याचिका के समर्थन में अन्य संगत सूचना यहां प्रस्तुत की जाएगी।

VI. याचिका को दाखिल करने के लिए फीस के भुगतान का प्रमाण

अनन्य ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार सं.

तारीख.....20..... के.....इस दिन.....

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

घोषणा

उक्त नाम के याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल / उसके सही अनुवाद की मूल / सही प्रतिनिधित्व की सही प्रतियां हैं।

20.....के दिन.....को.....पर सत्यापित।

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसे

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन

फार्म 4 के अनुसार

फार्म 6

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन टैरिफ का अंगीकरण

I. सामान्य शीर्ष

फार्म 3 के अनुसार

II. सूची

अंतर्वस्तु की सारणी, याचिका की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना और उनकी पृष्ठ सं. सहित अनुबंध को यहां शामिल किया जाएगा।

III. याचिका (इन विनियमों के विनियम 15 के अनुसार)

क. याचिका का कार्यपालक सार

- (i) याचिकाकर्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
- (ii) प्रतिवादी (प्रतिवादियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि)
- (iii) परियोजना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

ख. विस्तृत याचिका

- (i) संबद्ध संगत सूचना सहित मुख्य माइलस्टोन को शामिल करते हुए बोलीकर्ता के चयन के लिए अपनाई गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया की पूर्ण प्रक्रिया।
- (ii) विद्युत क्रय करार / पारेषण सेवा करार, यथालागू के ब्योरे।
- (iii) यह घोषणा कि याचिका के दाखिल करने की तारीख तक आरएफपी दस्तावेजों के अनुसार पूरा किए जाने वाली सभी शर्तों को संकलित किया गया है।

ग. निवेदन

याचिकाकर्ता के निवेदनों को यहां प्रस्तुत किया जाएगा।

घ. प्रार्थनाएं

दावा किए गए टैरिफ को शामिल करते हुए याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएं यहां प्रस्तुत की जाएंगी।

IV. अनुबंध

याचिका के समर्थन में अन्य संगत सूचना यहां प्रस्तुत की जाएगी।

V. याचिका को दाखिल करने के लिए फीस के भुगतान का प्रमाण

अनन्य ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार सं.

तारीख.....20..... के.....इस दिन.....

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

घोषणा

उक्त नाम के याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल / उसके सही अनुवाद की मूल / सही प्रतिनिधित्व की सही प्रतियां हैं।

तारीख.....20..... के.....इस दिन.....

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन

फार्म 4 के अनुसार

फार्म 7**पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए याचिकाएं****I. सामान्य शीर्ष**

फार्म 3 के अनुसार

II. सूची

अंतर्वस्तु की सारणी, याचिका की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना और उनकी पृष्ठ सं. सहित अनुबंध को यहां शामिल किया जाएगा।

III. याचिकाओं (इन विनियमों के 15 के अनुसार)**क. पृष्ठभूमि**

निम्नलिखित को शामिल करते हुए लेकिन सीमित नहीं की सूचना को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) याचिकाकर्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

(ii) प्रतिवादी (प्रतिवादियों) / दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

(iii) सभी प्रतिवादी को याचिका की प्रति सौंपने का प्रमाण

(iv) याचिकाकर्ता की स्थिति : वैयक्तिक / साझेदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(v) मौजूदा याचिका में विचारार्थ आस्तियों से संगत महत्वपूर्ण घटनाओं/निवेश अनुमोदन/क्लियरेंस का संक्षिप्त विवरण

(vi) केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 6 के अनुसार पात्रता का प्रमाण।

ख. विस्तृत याचिका

निम्नलिखित को शामिल करते हुए लेकिन सीमित नहीं की सूचना को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

- (i) केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के फार्म 1 के अनुसार।
- (ii) केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अधीन यथाअपेक्षित कोई अन्य निवेदन

ग. परिसीमा

याचिकाकर्ता/आवेदक घोषणा करता है कि याचिका परिसीमा की अवधि के अंदर है। (यदि याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित की जाती है तो विलंब के दिनों की संख्या विलंब की माफी के लिए आवेदन सहित दी जानी चाहिए।)

घ. प्रार्थनाएं

दावा किए गए टैरिफ को शामिल करते हुए याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएं यहां प्रस्तुत की जाएंगी।

IV. अनुबंध

याचिका के समर्थन में अन्य संगत सूचना यहां प्रस्तुत की जाएगी।

V. याचिका को दाखिल करने के लिए फीस के भुगतान का प्रमाण

अनन्य ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार सं.

तारीख.....20..... के.....इस दिन.....

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

घोषणा

उक्त नाम के याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल / उसके सही अनुवाद की मूल / सही प्रतिनिधित्व की सही प्रतियां हैं।

20.....के दिन.....को..... पर सत्यापित।

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन

फार्म 4 के अनुसार

फार्म 8

व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए याचिकाएं

I. सामान्य शीर्ष

फार्म 3 के अनुसार

II. सूची

अंतर्वस्तु की सारणी, याचिका की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना और उनकी पृष्ठ सं. सहित अनुबंध को यहां शामिल किया जाएगा।

III. एफीडेविट

इन विनियमों के अनुसार याचिका को सत्यापित करते हुए एफीडेविट तथा फार्म 2 में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में यहां शामिल किया जाएगा

IV. याचिका (इन विनियमों के 15 के अनुसार)

क. पृष्ठभूमि

निम्नलिखित को शामिल करते हुए लेकिन सीमित नहीं की सूचना को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) याचिकाकर्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

(ii) याचिकाकर्ता की स्थिति : वैयक्तिक/साझेदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(iii) मौजूदा याचिका में विचारार्थ आस्तियों से संगत महत्वपूर्ण घटनाओं/निवेश अनुमोदन/क्लियरेंस का संक्षिप्त विवरण

(iv) केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 6 के अनुसार अर्हकता का प्रमाण।

ख. विस्तृत याचिका

निम्नलिखित को शामिल करते हुए लेकिन सीमित नहीं की सूचना को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के फार्म 1 के अनुसार।

(ii) केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अधीन यथाअपेक्षित कोई अन्य निवेदन

ग. परिसीमा

याचिकाकर्ता/आवेदक घोषणा करता है कि याचिका परिसीमा की अवधि के अंदर है। (यदि याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित की जाती है तो विलंब के दिनों की संख्या विलंब की माफी के लिए आवेदन सहित दी जानी चाहिए।)

घ. प्रार्थनाएं

दावा किए गए टैरिफ को शामिल करते हुए याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएं यहां प्रस्तुत की जाएंगी।

V. अनुबंध

याचिका के समर्थन में अन्य संगत सूचना यहां प्रस्तुत की जाएगी।

VI. याचिका को दाखिल करने के लिए फीस के भुगतान का प्रमाण

अनन्य ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार सं.

तारीख.....20..... के.....इस दिन.....

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

घोषणा

उक्त नाम के याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल / उसके सही अनुवाद की मूल / सही प्रतिनिधित्व की सही प्रतियां हैं।

20.....के दिन.....को..... पर सत्यापित।

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन
फार्म 4 के अनुसार
फार्म 9
पुनरीक्षण याचिकाएं

I. सामान्य शीर्ष

फार्म 3 के अनुसार

II. सूची

अंतर्वस्तु की सारणी, याचिका की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना और उनकी पृष्ठ सं. सहित अनुबंध को यहां शामिल किया जाएगा।

III. एफीडेविट

इन विनियमों के अनुसार याचिका को सत्यापित करते हुए एफीडेविट तथा फार्म 2 में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में यहां शामिल किया जाएगा

IV. याचिकाओं (इन विनियमों के 15 के अनुसार)

क. याचिका का कार्यपालक सार

- (i) याचिकाकर्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
- (ii) प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
- (iii) आदेश या निर्णय का संक्षेप जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।
- (iv) संक्षेप में पुनरीक्षण का आधार
- (v) मांगी गई राहत

ख. विस्तृत याचिका

- (i) आदेश का संक्षेप जिसपर पुनरीक्षण की मांग की गई है।
- (ii) विधिक उपबंध सहित, यदि कोई है, पुनरीक्षण का आधार।
- (iii) पुनरीक्षण के आधारों पर विस्तृत औचित्य।
- (iv) मांगी गई राहत (राहतें)।
- (v) मांगी गई अंतरिम राहत (यदि कोई है)

ग. परिसीमा

याचिकाकर्ता/आवेदक घोषणा करता है कि याचिका परिसीमा की अवधि के अंदर है। (यदि याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित की जाती है तो विलंब के दिनों की संख्या विलंब की माफी के लिए आवेदन सहित दी जानी चाहिए।)

घ. प्रार्थनाएं

याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएं यहां प्रस्तुत की जाएंगी।

V. अनुबंध

याचिका के समर्थन में अन्य संगत सूचना यहां प्रस्तुत की जाएगी।

VI. याचिका को दाखिल करने के लिए फीस के भुगतान का प्रमाण

अनन्य ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार सं.

पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

घोषणा

उक्त नाम के पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल/उसके सही अनुवाद की मूल/सही अभ्यावेदन की सही प्रतियां हैं।

20.....के दिन.....को..... पर सत्यापित।

पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन

फार्म 4 के अनुसार

फार्म 10**विनियामक अनुपालन याचिकाएं****I. सामान्य शीर्ष**

फार्म 1 के अनुसार

II. सूची

अंतर्वस्तु की सारणी, याचिका की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना और उनकी पृष्ठ सं. सहित अनुबंध को यहां शामिल किया जाएगा।

III. एफीडेविट

इन विनियमों के अनुसार याचिका को सत्यापित करते हुए एफीडेविट तथा फार्म 2 में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में यहां शामिल किया जाएगा

IV. याचिका (इन विनियमों के 15 के अनुसार)**क. याचिका का कार्यपालक सार**

- (i) याचिकाकर्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि।
- (ii) मामले के तथ्य।
- (iii) आश्रित विधिक उपबंध
- (iv) संक्षेप में मांगी गई राहत।

ख. विस्तृत याचिका

- (i) मौजूदा याचिका से संबंधित जारी किए गए पूर्व आदेश
- (ii) विषयवार निवेदन - संगत विनियमों के अनुसार शर्त को पूरा करने का स्थापित करने जिसके लिए इस प्रकार की याचिका/आवेदन दाखिल किया गया है।
- (iii) मांगी गई राहत।

ग. प्रार्थनाएं

याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएं यहां प्रस्तुत की जाएंगी।

V. अनुबंध

याचिका के समर्थन में अन्य संगत सूचना यहां प्रस्तुत की जाएगी।

VI. याचिका को दाखिल करने के लिए फीस के भुगतान का प्रमाण

अनन्य ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार सं.

तारीख.....20..... के.....इस दिन.....

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

घोषणा

उक्त नाम के याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल / उसके सही अनुवाद की मूल / सही प्रतिनिधित्व की सही प्रतियां हैं।

20.....के दिन.....को.....पर सत्यापित।

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन

फार्म 4 के अनुसार

फार्म 11**विविध याचिकाएं****I. सामान्य शीर्ष**

फार्म 1 के अनुसार

II. सूची

अंतर्वस्तु की सारणी, याचिका की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना और उनकी पृष्ठ सं. सहित अनुबंध को यहां शामिल किया जाएगा।

III. एफीडेविट

इन विनियमों के अनुसार याचिका को सत्यापित करते हुए एफीडेविट तथा फार्म 2 में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में यहां शामिल किया जाएगा

IV. याचिका (इन विनियमों के 15 के अनुसार)**क. याचिका का कार्यपालक सार**

- (i) याचिकाकर्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि।
- (ii) प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि।
- (iii) मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि।
- (iv) संक्षेप में मांगी गई राहतें।

ख. विस्तृत याचिका

- (i) आयोग का क्षेत्राधिकार।

याचिकाकर्ता घोषणा करता है कि याचिका का विषयगत मामला आयोग के क्षेत्राधिकार (अधिनियम और/या विनियम के विनिर्दिष्ट उपबंधों को उद्धृत करने के लिए) के अंदर है।

- (ii) दस्तावेजों के ब्योरे जिसके आधार पर याचिका की गई है।
- (iii) परिसीमा

याचिकाकर्ता/आवेदक घोषणा करता है कि याचिका परिसीमा की अवधि के अंदर है। (यदि याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित है तो विलंब के दिनों की संख्या विस्तृत औचित्य देते हुए विलंब की माफी के लिए आवेदन सहित दी जानी चाहिए।)

- (iv) मामले के तथ्य

(यहां क्रमिक तैथिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, जिसके बाद याचिका से उदभूत विधि और तथ्यों के प्रश्नों सहित विषयों को विस्तार से दिया जाए। प्रत्येक पैराग्राफ को, जहां तक संभव हो, पृथक मुद्दे के साथ निपटाया जाना चाहिए।)

- (v) विषय पर तथ्यों को तैयार करना या पार्टियों के बीच विवादों को विनिर्दिष्ट करना और (ii) विधि के प्रश्न को संक्षिप्त करना जो याचिका में विचारार्थ उत्पन्न होता है।
- (vi) विधिक उपबंधों से उत्पन्न आधार
- (vii) पूर्व में न दाखिल किए गए मामले या किसी अन्य न्यायालय में अनिर्णित (याचिकाकर्ता यह भी घोषणा करता है कि याचिकाकर्ता ने कोई रिट याचिका या मुकदमा या याचिका पहले दाखिल नहीं की है जिसके संबंध में याचिका किसी न्यायालय या आयोग या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष याचिका दाखिल नहीं की गई है और न ही इस प्रकार की कोई रिट याचिका या मुकदमा या याचिका उनमें किसी के समक्ष अनिर्णित है।)

यदि याचिकाकर्ता ने पहले इस प्रकार की कोई रिट याचिका या मुकदमा या याचिका पहले दाखिल की है वह चरण जिसमें यह अनिर्णित है और यदि निर्णय किया गया है तो उसके निष्कर्ष निर्दिष्ट किए जाने चाहिए और आदेश / अधिनिर्णय की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।)

- (viii) मांगी गई राहतें

उक्त पैरा 7 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पैरा 8 में निर्दिष्ट विधि के अनुप्रश्नों और विवाद में प्वाइंट को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करता है।

(क)

(ख)

(ग)

- (ix) मांगी गई अंतिम राहतें, यदि कोई है।

- (x) संलग्नों को सूची।

V. याचिका को दाखिल करने के लिए फीस के भुगतान का प्रमाण

अनन्य ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार सं.

तारीख.....20..... के.....इस दिन.....

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

घोषणा

उक्त नाम के याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल / उसके सही अनुवाद की मूल / सही प्रतिनिधित्व की सही प्रतियां हैं।

20.....के दिन.....को..... पर सत्यापित।

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) के लिए काउंसेल

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन

फार्म 4 के अनुसार

फार्म 12

(अंतर्वर्ती आवेदन)

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली

.....की.....याचिका सं.....

में

.....के.....अंतर्वर्ती आवेदन सं.....

नाम और पता..... आवेदक/याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

बनाम

नाम और पता..... प्रतिवादी/प्रतिवादियों (प्रतिवादियों)

के लिए याचिका (विषय का उल्लेख करें)।

उक्त नाम के आवेदक (आवेदकों) का निम्नानुसार कथन है :

1. राहत (राहतों) को निर्दिष्ट करें।
2. संक्षिप्त तथ्य
3. वह आधार जिस पर अंतरिम आदेशों में प्रार्थना की गई है।
4. सुविधा का अतिशेष यदि कोई है।

(सभी अंतर्वर्ती आवेदन इसकी ओर से याचिकाकर्ता/आवेदक द्वारा एफीडेविट द्वारा समर्थित होंगे और नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होंगे।)

घोषणा

उक्त नाम के याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि कोई भी सामग्री छिपाई या गोपन नहीं की गई है और यह भी घोषणा (घोषणाएं) करते हैं कि संलग्नक और आश्रित सामग्री कागजात का टंकित सेट और इसके साथ दाखिल संलग्नक मूल / उसके सही अनुवाद की मूल / सही प्रतिनिधित्व की सही प्रतियां हैं।

20.....के दिन.....को.....पर सत्यापित।

आवेदक/याचिकाकर्ता के लिए काउंसेल आवेदक/याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

सत्यापन

फार्म 4 के अनुसार

फार्म 13

माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली के समक्ष

.....की याचिका सं.....

के मामले में:-

विषय मामला

(अधिनियम के संगत विनियमों/उपबंधों सहित याचिका के प्रयोजन के लिए सार जिसके अधीन इस प्रकार की याचिका दाखिल की जा रही है)

.....याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं)

बनाम

.....प्रतिवादियों (प्रतिवादियों)

दस्तावेज/रिकार्डों के निरीक्षण के लिए आवेदन

मैं एतद्वारा उक्त याचिका में दस्तावेज/रिकार्डों के निरीक्षण के लिए अनुमति के लिए आवेदन करता हूं। संगत ब्यौरे निम्नानुसार है:

- 1) निरीक्षण की मांग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता:
- 2) क्या वह मामले के लिए पार्टी है/या उनका विधिक प्रेक्टिशनर है:

- 3) निरीक्षित किए जाने की मांग करने वाले दस्तावेज/रिकार्ड के ब्योरे:
- 4). निरीक्षण की मांग के लिए प्रयोजन एवं कारण:
- 5) तारीख और अवधि जिसके लिए निरीक्षण की मांग की गई है:
- 6) क्या कोई फीस संदेय और यदि ऐसा है तो भुगतान का प्रमाण:

स्थान :'

तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग के लिए

..... को निरीक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई/अस्वीकृत

..... को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गई/अस्वीकृत

(.....)

आयोग द्वारा यथानामित सचिव/बेंच अधिकारी

फार्म 14

(विनियम 23 के खण्ड (7) के अनुसरण में प्रकाशित किया जाना है)

कंपनी का नाम

(पंजीकृत कार्यालय पता.....)

1. उक्त नाम के याचिकाकर्ता ने टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ, नई दिल्ली के समक्ष याचिका दाखिल की है (उत्पादन स्टेशन पारेषण प्रणाली का नाम दें)
2. उत्पादन स्टेशन / पारेषण प्रणाली के लाभार्थी निम्नलिखित है:
 - (क)
 - (ख)
 - (ग)
 - (घ)

.....

.....
3. उत्पादन स्टेशन/लाइन लंबाई की क्षमता, पारेषण प्रणाली के बे की संख्या
4. परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (लाख रुपये में)
प्राधिकारी जिसने पूंजी लागत अनुमोदित की है
5. वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
6. वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख
7. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पूंजी लागत (लाख रुपये में)
8. टैरिफ के ब्योरे (केवल लागू भाग प्रकाशित करें):

मूल

अंतिम (संशोधित):

मूल

अंतिम (संशोधित):

	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए टैरिफ	मांगा गया वर्षवार टैरिफ अवधारित किया जाना है				
		पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पंचवां वर्ष
थर्मल पावर उत्पादन स्टेशन 1. क्षमता प्रभार 2. ऊर्जा प्रभार						
हाइड्रो पावर उत्पादन स्टेशन 1. वार्षिक नियत प्रभार 2. प्राथमिक ऊर्जा प्रभार						
पारेषण प्रणाली						
पारेषण प्रभार						

9. टैरिफ के अवधारण के लिए की गई याचिका की एक प्रति वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। (यहां पर वेबसाइट का पता निर्दिष्ट करें)
10. याचिका में शामिल टैरिफ के अवधारण के लिए प्रस्ताव व आपत्तियां, यदि कोई है नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता को प्रतिलिपि सहित आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पर्णधारियों को शामिल करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किए जाए।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

स्थान.....

तारीख.....

अनुबंध-1

याचिकाओं की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) के लिए क्रियाविधि)

1 प्राक्कथन

यह क्रियाविधि केविविआ सौदामिनी पोर्टल पर याचिकाओं की ई-फाइलिंग के लिए लागू होंगी।

2 परिभाषाएं

- 2.1 'प्रशासक से संबंधित मामलों या ई-फाइलिंग से संबद्ध संव्यवहार और लागू करने के लिए आयोग द्वारा नामित कोई अधिकारी अभिप्रेत है।
- 2.2 'भौतिक फाइलिंग से हार्ड कॉपियों के रूप में दाखिल की गई कार्रवाहियां और अभिवचन अभिप्रेत है।
- 2.3 'इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग' से आयोग के ईकोर्ट हेल्पडेस्क पर इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से (आयोग के वेब पोर्टल पर) यथानिर्धारित ई-फाइलिंग अभिप्रेत है।
- 2.4 'ईकोर्ट हेल्पडेस्क' से ई-फाइलिंग से संबद्ध विषयों पर पार्टियों की सहायता के लिए आयोग के नामित कर्मियों (कर्मियों) द्वारा मानवयुक्त संपर्क प्वाइंट अभिप्रेत है।
- 2.5 'पीडीएफ' से पोर्टेबल दस्तावेज फार्मेट में दाखिल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अभिप्रेत है।

2.6 'अभिवचनों' में याचिकाएं, आवेदन, उत्तर, प्रतिएफीडेविट, अतिरिक्त या अनुपूरक एफीडेविट, प्रत्युत्तर, तर्कों के लिखित नोट और लिखित निवेदन शामिल हैं।

2.7 'तकनीकी विफलता' से आयोग की वेबसाइट के संबंध में स्थापित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और/या दूरसंचार सुविधा की विफलता अभिप्रेत है जिससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल प्रस्तुत करने की असंभावना हुई है। तकनीकी विफलता में ई-फाइल प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के उपकरण की अपक्रिया शामिल नहीं है।

3. सामान्य अनुदेश

3.1 ऑनलाइन ई-फाइलिंग cerc-filing.gov.in पर आयोग के सौदामिनी वेबपोर्टल पर या केविविआ की वेबसाइट <https://cercind.gov.in> पर याचिका ई-फाइलिंग हाइपर लिंक पर क्लिक करते हुए की जाएगी।

3.2 इन क्रियाविधियों में यथाप्रदत्त के सिवाए, दस्तावेजों को, भले ही यह नए, अनिर्णित या निपटाए गए मामलों को केविविआ सौदामिनी पोर्टल पर 'हेल्प मेन्युअल' के अंतर्गत दिए गए अनुदेशों और प्रयोक्ता मेन्युअल, इन क्रियाविधियों में दी गई रीति में अन्य दूरस्थ स्थानों या अधिवक्ताओं अथवा उनके घरों, कार्यालयों से व्यक्ति के रूप में पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए जाएंगे।

3.3 किसी व्यक्ति को आयोग की ई-कोर्ट हेल्पडेस्क पर प्रदान की गई सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है।

3.4 ई-फाइल का आकार 300 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि फाइल 300 एमबी से अधिक होती है तो अधिवक्ता या मुवक्किलों को फाइलों को अलग से विभाजित और अपलोड करना चाहिए।

3.5 वह दस्तावेज जिसे अधिवक्ता या पार्टी ने इन क्रियाविधि के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया है उसका वही विधिक प्रभाव होगा जैसा कि भौतिक रूप में दाखिल किए गए दस्तावेज का होता है।

परन्तु कि पार्टियां एवं अधिवक्ता इन विनियमों के अनुसार दस्तावेजों की हार्ड प्रतियां दाखिल करेंगे।

3.6 सभी अधिसूचनाएं / मार्गनिर्देश / प्रयोक्ता मेन्युअल सौदामिनी पोर्टल या आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

4. ई-फाइलिंग के लिए क्रियाविधि

चरण 1: ऑफलाइन याचिका को तैयार करना।

i) मूल पाठ्य सामग्री, दस्तावेज, अतिरिक्त सूचना, मुख्य याचिका, यथास्थिति, और अंतर्वर्ती आवेदन इत्यादि को एमएस वर्ड या ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जाएगा। मूल पाठ की फॉर्मेटिंग शैली निम्नानुसार होगी:

पेपर का आकार : ए4

मार्जिन : टॉप : 3 सेमी.

निचला भाग : 2 सेमी.

बायां : 3 सेमी.

दाया : 1 सेमी.

एमएस वर्ड

औचित्य : पूर्ण

फॉन्ट : एरियल

फॉन्ट आकार : 12

लाइन स्पेसिंग : 1.5

ii) दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर में प्रदान किए गए इनबिल्ट पीडीएफ कनवर्जन प्लग इन में या किसी पीडीएफ कनवर्टर का प्रयोग करते हुए पोर्टेबल दस्तावेज फॉर्मेट (पीडीएफ) में संपरिवर्तित किया जाना चाहिए।

iii) जहां दस्तावेज मूल पाठ दस्तावेज नहीं है और याचिका, आवेदन या अन्य अभिवचनों के साथ संलग्न किया जाना है तो दस्तावेज को 300 डीपीआई को (डॉट प्रति इंच) की इमेज रेजोलुशन का प्रयोग करते हुए स्कैन किया जाना चाहिए और पीडीएफ दस्तावेज के रूप में सेव किया जाना चाहिए।

iv) सिंगल फॉर्म प्रस्तुत करने पर, अपलोड की गई फाइलों का कुल आकार 300 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अपलोड की जाने वाली फाइलें 300 एमबी से अधिक हैं तो उसे विभिन्न पुनरावृत्तियों में अपलोड किया जा सकता है।

v) एमएस वर्ड/ओपन ऑफिस में तैयार किए गए मूल पाठ दस्तावेजों तथा स्कैन किए गए दस्तावेजों को सिंगल पीडीएफ के रूप में संविलयन कर देना चाहिए और याचिका की सूची के अनुसार बुकमार्क किया जाना चाहिए।

vi) संविलयन दस्तावेजों को ई-फाइलिंग के समय पर अपलोड किया जाना चाहिए। ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचने के ढंग के स्क्रीनशॉट और ई-फाइलिंग के प्रयोजन के लिए संगत कॉलम को भरा जाना ई-फाइलिंग प्रयोक्ता मेन्युअल/विडियो ट्यूटोरियल में ऑनलाइन हेल्प के अधीन केविविआ ई-फाइलिंग पोर्टल (सौदामिनी) पर उपलब्ध है।

चरण 2: आयोग के पोर्टल पर याचिका को ऑनलाइन दाखिल करना

i) ई-फाइलिंग पोर्टल पर <https://cercind.gov.in> के नीचे हाइपर लिंक 'ई-फाइलिंग' पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है या लॉगिंग क्रिडेंशल पर एन्टर करते हुए रजिस्ट्रेशन के बाद दायें टेब पर ई-फाइलिंग याचिका लिंक पर पहुंचा जा सकता है। पर्णधारियों के कौन्सेल/अधिवक्ता ई-रजिस्ट्रेशन (नए प्रयोक्ता) पर क्लिक करते हुए केविविआ ई-फाइलिंग पोर्टल पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार सृजित किया गया प्रयोक्ता खाता पार्टी या कौन्सेल/अधिवक्ता द्वारा भविष्य में प्रयुक्त किया जा सकता है।

ii) सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, पर्णधारियों से 'सामान्य सूचना' फार्म पर याचिकाओं के सभी ब्योरे भरना अपेक्षित है। इस फार्म को सेव करते हुए एक संदर्भ सं. जनरेट की जाएगी और प्रतिवादी ब्योरे, संबद्ध याचिकाएं अभिन्न याचिकाएं, आस्ति ब्योरे, फीस ब्योरे संलग्नक, और सार इत्यादि जैसे अन्य फार्म प्रदर्शित किए जाएंगे। याचिका/आवेदन फीस केवल भुगतान गेटवे के माध्यम से संदेय है। ई-फाइलिंग पोर्टल की पहुंच के ढंग के स्क्रीनशॉट और ई-फाइलिंग के प्रयोजन के लिए संगत कॉलम को भरने को सौदामिनी पोर्टल पर ई-फाइलिंग प्रयोक्ता मेन्युअल/विडियो ट्यूटोरियल में निर्दिष्ट किया है।

iii) अंतिम रूप से, याचिका प्रस्तुत करने के बाद, एक डायरी सं. दाखिल की गई याचिका के लिए सिस्टम द्वारा जनरेट की जाती है। उसकी पुष्टि करते हुए एक ई-मेल प्रयोक्ता की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।

iv) ई-फाइलिंग रिपोर्टों और सार अनुभाग से लिए गए फार्म 1 (संबद्ध भुगतान) सार शीट के प्रिंट आउट तीन हार्ड प्रतियों सहित सेंटर रजिस्ट्री में प्रस्तुत किये जाएंगे।

v) पार्टियों या उनके अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल याचिका की केविविआ रजिस्ट्री द्वारा संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई दोष पाया जाता है तो उसकी अधिसूचना उस व्यक्ति को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिसने याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता अपने संबंधित सौदामिनी पोर्टल इंटरफेस पर भी इन दोषों को देख सकते हैं।

vi) अधिसूचित की गई किसी त्रुटि की तदनुसूची, पार्टियां या उनके अधिवक्ता उन त्रुटियों को संशोधित कर सकते हैं और अपने इंटरफेस के माध्यम से नए दस्तावेजों/याचिका को अपलोड कर सकते हैं।

vii) यदि कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो याचिका रजिस्टर्ड की जाएगी और ईमेल के माध्यम से अधिसूचना याचिकाकर्ता को भेजी जाएगी।

चरण 3: केविविआ ई-फाइलिंग पोर्टल पर संबंधित याचिका के लिए उत्तर/प्रत्युत्तर/लिखित निवेदन/अतिरिक्त सूचना इत्यादि को ऑनलाइन दाखिल करना:

i) लॉगिन के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल किसी विशेष याचिका से संबंधित अभिवचन दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रयोक्ता को अनुमति देता है। याचिकावार खोज की दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए अनुमति दी जाती है। मेनु पर 'अभिवचन' पहले से दाखिल की गई याचिकाओं से संबद्ध दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज केविविआ और प्रतिवादियों और (याचिका दाखिल करने के समय पर याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल) को दृष्टिगोचर होते हैं या सौदामिनी ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिका दाखिल करने के बाद सौदामिनी पोर्टल में सुव्यवस्थित किए जाते हैं।

5. प्रयोक्ता मैन्युअल, सौदामिनी के विडियो ट्यूटोरियल ऑनलाइन हेल्प सेंकशन का ई-फाइलिंग के संबंध में अधिक ब्योरे के संबंध में संदर्भ दिया जा सकता है। आयोग की रजिस्ट्री में उपलब्ध हेल्प डेस्क के माध्यम से याचिकाओं को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए पार्टियों को सहायता बढ़ाई जाएगी।

अनुबंध II

वर्चुअल कोड रूम प्लेटफार्म के लिए मानक प्रचालनकारी क्रियाविधि

निम्नलिखित मानक प्रचालनकारी क्रियाविधि आयोग में वर्चुअल सुनवाई के लिए लागू होगी।

1. विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाने वाली याचिकाओं की कारण सूची सहित सभी अधिसूचनाएं/मार्गनिर्देश आयोग की वेबसाइट (<https://cercind.gov.in>) पर प्रकाशित किए जाएंगे।
2. याचिकाओं की ई-सुनवाई को सुनवाई के दिन के 10.30 पूर्वाह्न को आरंभ किया जाएगा। अंतिम कारण सूची सुनवाई के पूर्ववर्ती दिन को 4.00 बजे अपराह्न तक आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा जिसमें सूचीबद्ध याचिकाओं के ब्योरो को दर्शाया जाएगा।
3. वे पार्टियां जिनकी याचिकाओं को ई-सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है उन पार्टी प्रतिनिधियों और/या अधिवक्ताओं के नाम को उनके संपर्क पते, फोन नं. और इमेल आईडी सहित अग्रिम रूप से सूचित करेंगे जिन्हें मामले में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
4. याचिका के लिए पार्टियों को आयोग के निर्देशों के अनुसार या ई-सुनवाई की तारीख के पूर्व 2 दिन 4.00 बजे अपराह्न तक दस्तावेजों/अभिवचनों को ई-फाइल करने की अनुमति होगी।
5. सुनवाई की तारीख को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिकाओं के संबंध में स्थगनों की अनुमति नहीं होगी। याचिका (याचिकाओं) के स्थगन के लिए कोई अनुरोध आयोग के सचिव या नामित अधिकारी को ईमेल के माध्यम से अग्रिम रूप से किया जाएगा।
6. प्रवेश या (अंतर्वर्ती आवेदनों) के विचारार्थ मामले के किसी उल्लेख की वर्चुअल कोर्ट रूम कार्रवाई के दौरान अनुमति नहीं होगी। तथापि अधिवक्ताओं / पार्टी प्रतिनिधियों को यह अनुरोध करते हुए सचिव को ईमेल द्वारा अग्रिम रूप से मौखिक आवेदन में उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। मौखिक आवेदन में अन्य बातों के साथ साथ स्पष्ट रूप से मामले ब्योरे, ईमेल आईडी, वैकल्पिक नम्बर (नम्बरों) सहित मोबाइल नं. यदि कोई है, पिनकोड दर्शाने वाला कैम्प/कार्यालय पता और पुलिस स्टेशन जैसे अधिवक्ताओं / पार्टी प्रतिनिधियों के संपर्क ब्योरे सहित को शामिल करते हुए तात्कालिकता शामिल होगी। अनुरोध की आयोग द्वारा जांच की जाएगी यदि आवश्यक समझा जाता है तो संबंधित पार्टियों को मामले की तारीख के बारे में शामिल किया जाएगा।
7. पार्टियां यह सुनिश्चित करेगी कि ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से केवल उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों पर ई-सुनवाई के दौरान निर्भर किया जाता है। यदि कोई पार्टी उस दस्तावेज पर निर्भर करती है जो आयोग के रिकार्डों का भार नहीं बनती, तो उन्हें ई-सुनवाई के बाद ई-दाखिल किए जा रहे और उनकी प्रतिक्रिया के लिए अन्य पार्टी (पार्टियों) के साथ शेयर किए जा रहे उक्त दस्तावेज के अध्याधीन ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ई-सुनवाई के दौरान आश्रित दस्तावेजों को उक्त पार्टियों द्वारा ई-दाखिल या शेयर नहीं किया जाता तो वह याचिका के निपटान के समय पर आयोग के रिकार्डों का भाग नहीं होगा।
8. सुनवाई के दौरान उल्लिखित विधि मामलों के लिए पार्टियां अपने अभिवचनों सहित अग्रिम रूप से इस प्रकार की मामला विधियों (केवल संगतसार) दाखिल कर सकते हैं या उसे यथा अनुज्ञेय लिखित निवेदनों सहित दाखिल कर सकते हैं।

वर्चुअल कोर्ट रूम

9. वर्चुअल कोर्ट रूम 'विडियो' / टीम / सिस्कोवेबेक्स या कोई अन्य सॉफ्टवेयर जिसे प्राइमरी विडियो कांफ्रेंसिंग प्लेटफार्म के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है के प्रयोग से आरंभ होगा। अधिवक्ताओं / पार्टी प्रतिनिधियों से विडियो कांफ्रेंसिंग प्लेटफार्म के साथ स्वयं को सुपरिचित करने और समय समय से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित मार्गनिर्देशों से स्वयं को सुपरिचित कराने का अनुरोध किया जाता है।
10. वर्चुअल कोर्ट रूम प्लेटफार्म के माध्यम से अपने मामलों को प्रस्तुत करने वाले और उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन वेशभूषा और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए।

11. अधिवक्ताओं/पार्टी प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त परिवेश में बिठाया जाएगा कि उसकी पृष्ठभूमि में कोई शोर या व्यवधान (जैसे मोबाइल फोन की घंटी, पृष्ठभूमि में बातचीत) नहीं होगा।
12. अधिवक्ताओं/पार्टी प्रतिनिधि को आकर्षक (ईयरफोन / हेडसेट) का प्रयोग करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना अधिवक्ताओं/पार्टी का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्तर पर अनुशासन बनाए रखा जाता है और अधिवक्ताओं / पार्टी प्रतिनिधियों कार्यवाहियों के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या व्यवधान नहीं होता है।
13. अधिवक्ता / पार्टी प्रतिनिधि को प्रत्येक समय पर अपने संबंधित उपकरण / माइक्रोफोन को म्यूट पर रखना है और केवल तभी अनम्यूट करना है जब अपने मामले को प्रस्तुत करने की बारी हो या बीच में बोलना हो। अधिवक्ताओं / पार्टी प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे एकसाथ बीच में बोलने से बचे और केवल जब यह नितांत अनिवार्य हो तो आयोग की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं।
14. आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वर्चुअल कोर्ट रूम की रिकॉर्डिंग निषिद्ध है। वर्चुअल कोर्ट रूम कार्यवाहियों को कौन्सेल किसी अन्य व्यक्ति या मीडिया को पुनर्प्रस्तुति या प्रकाशन के लिए कौन्सेल, अधिवक्ताओं, मुवक्किलों, आम जनता और पत्रकारों इत्यादि द्वारा अन्यथा प्रस्तुत या प्रसारित नहीं की जाएगी। इस अभिनिषेधन का कोई उल्लंघन विधि के अनुसार कड़ाई से निपटाया जाएगा।
15. आयोग के अनुदेशों के अधीन वर्चुअल कोर्ट रूम और विडियो कांफ्रेंसिंग प्लेटफार्म पूर्ण नियंत्रण और प्रशासनिक विशेषाधिकार का आयोग के नामित अधिकारी या सचिव द्वारा प्रयोग किया जाएगा।
16. फीड की श्रव्यता या गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत कार्यवाहियों के दौरान या इसके निष्कर्ष के तत्काल बाद आयोग के नामित अधिकारी या सचिव को पार्टियों द्वारा संप्रेषित की जाएगी जिसमें विफलता की स्थिति में इस संबंध में किसी शिकायत पर उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा।
17. ई-सुनवाई की समाप्ति पर या आयोग के निर्देशों के अनुसार, विवादी पार्टियां सौदामिनी पोर्टल पर अपने संबंधित अंतिम लिखित निवेदनों को दाखिल करेगी।
18. उक्त अपेक्षाएं याचिकाओं, उत्तर प्रत्युत्तर, आवेदन और कार्यवाहियों के रिकॉर्ड के संप्रेषण, आदेशों इत्यादि को दाखिल करने को अधिशासित करने वाले पहले से ई-फाइलिंग मार्गनिर्देश के अतिरिक्त है।

ई-सुनवाई क्रियाविधि

- चरण 1:** सभी दस्तावेज अनुपालन तारीख के अनुसार ई-फाइल किया जाएगा। कोई अन्य दस्तावेज कोर्ट कार्यवाहियों के दौरान हार्डकॉपी द्वारा संदर्भित की जाएगी और उसकी सॉफ्ट प्रति उसी दिन को अर्थात् सुनवाई की तारीख को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।
- चरण 2 :** केविविआ पृष्ठ सं. सहित पूर्ण अभिवचन सुनवाई से पूर्व उनके ई-फाइलिंग पोर्टल इन्टरफेस के माध्यम से पार्टियों द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे।
- चरण 3 :** सुनवाई के दौरान अपने मामले को प्रस्तुत करते समय पार्टियां केविविआ पृष्ठ संख्या का उल्लेख और संदर्भ देंगी (लाल रंग/टॉप राइट कार्नर) ताकि संदर्भित दस्तावेज की पृष्ठ संख्या पार्टियों और आयोग के लिए समान होगी।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

PREAMBLE

No. L -1/2064/2022-CERC.—Whereas the Electricity Act, 2003 (the Act) provides for the constitution of the Central Electricity Regulatory Commission to exercise the powers conferred on it and discharge the functions assigned to it under the Act;

And whereas the central Electricity Regulatory Commission established under Section 3 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998, was deemed to be the Central Electricity Regulatory Commission for the purpose of the Act;

And whereas sub-section (1) of Section 92 of the Act provides that the Central Electricity Regulatory Commission shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including quorum at its meetings) as it may specify by regulations;

And whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, specified under Section 55 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 was saved in terms of clause (a) of sub-section (2) of Section 185 of the Act, and the said regulations, as amended from time to time, have been governing the conduct of business of the Central Electricity Regulatory Commission in the discharge of its functions under the Act;

And whereas the Information Technology Act, 2000, as enacted and amended from time to time, provides legal recognition for transactions carried out by means of electronic data exchange and other means of electronic communications and storage of information, to facilitate electronic filing of documents;

And whereas it has become necessary to update the regulations relating to the procedure for conduct of the business of the Central Electricity Regulatory Commission in discharge of its functions under the Act;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Section 178(2)(zb) read with Section 92(1) of the Act and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, and in supersession of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, except in respect of acts or things done or omitted to be done before such supersession, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations with respect to the practice and procedure for discharge of its functions under the Act.

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. SHORT TITLE, EXTENT, AND COMMENCEMENT.-

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023.
- (2) These regulations shall extend to the whole of India.
- (3) These regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. APPLICATION.-

ALL PROCEEDINGS, WHETHER PENDING BEFORE OR INSTITUTED AFTER THE DATE OF COMMENCEMENT OF THESE REGULATIONS, SHALL BE GOVERNED BY THESE REGULATIONS.

3. DEFINITIONS.-

IN THESE REGULATIONS, UNLESS THERE IS ANYTHING REPUGNANT IN THE SUBJECT OR CONTEXT,

- (1) 'Act' means the Electricity Act, 2003(No. 36 of 2003);
- (2) 'adjudication' means the process of arriving at decisions on the petitions submitted to the Commission;
- (3) 'admission' means the stage of consideration or hearing of a petition where its maintainability for further proceedings before the Commission is decided having due regard to the jurisdiction of the Commission, limitation in filing the petition, and such other factors as considered relevant by the Commission, and does not include any decision on merit on the issues raised in the petition;
- (4) 'Advocate' means a person who is entitled to practice the profession of law under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (5) 'Appellate Tribunal' means the Appellate Tribunal for Electricity as established under Section 110 of the Act;
- (6) 'Code' means the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908), as amended from time to time;
- (7) 'Commission' means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
- (8) 'CBR 1999' means the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, including the amendments thereof;
- (9) 'consultant' means and includes any individual, firm, body or association of persons, not in the employment of the Commission, who may be engaged as such in accordance with the Consultants Regulations for rendering advice or assistance to the Commission in discharge of its functions under the Act;

- (10) 'Consultants Regulations' means the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008, as amended from time to time or any subsequent enactment thereof;
- (11) 'consumer representative' means an individual or a professional body or a non-governmental organisation who is permitted by the Commission to present the perspectives of electricity consumers and participate in the proceedings of the Commission;
- (12) 'consumer association' means an association of persons registered under the Societies Registration Act and recognized by the Commission under these regulations to represent the perspectives or interests of the members of the association in any proceedings before the Commission;
- (13) 'coram' means the Members of the Commission who are scheduled to hear or have heard the petitions listed for hearing by the Commission on a particular date or session, as the case may be;
- (14) 'digital signature' means the digital signature as defined under clause (p) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000, or any subsequent enactment thereof;
- (15) 'fee' means the fees levied by the Commission for the purposes of the Act in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, as amended from time to time, or any subsequent enactment thereof;
- (16) 'first hearing' means and includes the hearing of a petition for settlement of issues and any adjournment thereof;
- (17) 'final hearing' means the stage when, after completion of pleadings, the Petition is taken up for hearing on merit of the issues raised in the petition, including the issues framed by the Commission, if any;
- (18) 'intervener' means a person who has not been arrayed as a party in a petition, but the Commission, on being satisfied that the person has a personal stake in the outcome of the petition, has allowed the person to participate in the proceedings of the said petition without being arrayed as a party;
- (19) 'Member' means and includes the Chairperson and Members of the Commission for the purpose of conduct of business under these regulations;
- (20) 'officer' means an officer of the Commission;
- (21) 'Petitioner' means a person or persons who has or have filed a petition or application before the Commission in accordance with the provisions of the Act, CBR 1999, or these regulations;
- (22) 'person' shall have the same meaning as defined in sub-section (49) of section 2 of the Act;
- (23) 'pleadings' include petitions, applications, replies, rejoinders, sur-rejoinders, supplemental affidavits, written submissions, and any other related documents or information filed in any proceedings with the permission of the Commission;
- (24) 'proceedings' means and includes the proceedings of all nature that the Commission may conduct in the discharge of its functions under the Act;
- (25) 'Proforma Respondent' means a person who has been arrayed as a Respondent in a Petition against whom no relief has been sought, but whose presence is considered necessary for effective and complete adjudication of the issue(s) raised in the Petition;
- (26) 'quorum' means the minimum number of Members who are mandatorily required to be present to hear and decide a petition filed before the Commission and shall include the Members mandatorily required to be present in the meetings of the Commission to take decisions on the matters in discharge of its functions under the Act;
- (27) 'Registry' means registry of the Commission;
- (28) 'Respondent' means a person who has been arrayed as an opposite party in a petition and against whom relief(s) have been sought;
- (29) 'Seal of the Commission' means the Official Seal to be used in the Commission as the Commission may from time to time direct;
- (30) 'Secretary' means the Secretary of the Commission appointed under sub-section (1) of Section 91 of the Act and includes an officer of the Commission authorised by the Chairperson to function as Secretary;
- (31) "these regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023.

4. (1) THE WORDS AND EXPRESSIONS USED IN THESE REGULATIONS THAT ARE NOT DEFINED HEREIN BUT DEFINED IN THE ACT OR ANY OTHER REGULATIONS OF THE COMMISSION SHALL HAVE THE SAME MEANING ASSIGNED TO THEM UNDER THE ACT OR ANY OTHER REGULATIONS OF THE COMMISSION.

(2) ALL OTHER EXPRESSIONS USED IN THESE REGULATIONS SHALL HAVE THE MEANINGS ASCRIBED TO THEM BY THE CODE, ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996, LIMITATION ACT, 1961, INDIAN CONTRACT ACT, 1878, INFORMATION TECHNOLOGIES ACT, 2000, AND GENERAL CLAUSES ACT, 1897, AS AMENDED FROM TIME TO TIME.

5. Period how calculated. -

Where a particular number of days are prescribed by these regulations or other regulations or by or under any other law or is fixed by the Commission for doing any act, the starting day from which the said period is to be reckoned shall be excluded, and if the last day expires on a day when the office of the Commission is closed for the day or part thereof, that day and any succeeding day(s) on which the Commission remains closed for the day or part thereof shall be excluded.

6. How the order, notice etc. to run. -

Every order, notice, or other process shall be in the name of the Commission and shall be signed by the Secretary or any other officer officially authorized in that behalf, with the day, month, and year of signing, and shall be sealed with the Seal of the Commission.

CHAPTER II

OFFICE OF THE COMMISSION, OFFICE HOURS, SITTINGS etc.

7. COMMISSION'S OFFICE. -

(1) The place of the offices of the Commission shall be as notified by the Commission from time to time.

(2) Unless otherwise notified, the offices of the Commission shall be in New Delhi.

8. OFFICE HOURS

THE OFFICES OF THE COMMISSION SHALL REMAIN OPEN ON ALL WORKING DAYS FROM 0930 HRS TILL 1800 HRS, WITH A LUNCH BREAK FROM 1330 HRS TO 1400 HRS:

PROVIDED THAT IN THE EXIGENCIES OF WORK, THE CHAIRPERSON OR, IN HIS ABSENCE, THE SENIOR MOST MEMBER MAY DIRECT THAT THE OFFICES OF THE COMMISSION SHALL REMAIN OPEN ON A NON-WORKING DAY.

9. PLACE OF SITTING OF THE COMMISSION AND SITTING HOURS

(1) The Commission may hold hearings at its offices in New Delhi or at any other place as notified by the Commission.

(2) The Commission may notify the days and hours of sitting as may be considered necessary.

10. PLACE OF MEETINGS OF THE COMMISSION

THE COMMISSION MAY HOLD MEETINGS AT ITS OFFICE IN NEW DELHI OR ANY OTHER PLACE AS MAY BE DECIDED BY THE COMMISSION.

11. LANGUAGE IN THE PROCEEDINGS OF THE COMMISSION

(1) The Proceedings of the Commission shall be conducted in English. The Commission may permit the proceedings to be conducted in Hindi.

(2) All Petitions filed before the Commission shall be in English. Petitions filed in Hindi shall be accompanied by a translation thereof in English, duly certified by the person filing the petition.

(3) Any document(s) or material submitted in connection with the petition that is in Hindi or in any other Indian language shall be accompanied by a translation thereof in English:

Provided that an English translation of a document shall be accepted,

(a) which is agreed to by all parties; or

(b) which is prepared by an official translator from authorities/bodies duly recognised by the Central Government or a State Government;

(c) which is prepared by a translator specifically appointed or approved by the Commission.

12. SEAL OF THE COMMISSION

- (1) The official Seal and Emblem of the Commission shall be such as the Commission may decide and notify in the Official Gazette from time to time.
- (2) The official Seal shall be kept in the custody of the Secretary of the Commission.
- (3) Every order, communication, notice, or certified copy of any document by the Commission shall be stamped with the Seal of the Commission and shall be certified by the Secretary or any other officer designated for the purpose by the Commission.
- (4) Every order or record of proceedings issued to parties through the e-filing portal or through any other mode shall bear the Seal of the Commission embossed or watermarked on it.

13. EXECUTIVE POWERS OF THE COMMISSION

- (1) In accordance with sub-section (4) of Section 77 of the Act, the Chairperson shall be the Chief Executive of the Commission.
- (2) All executive powers of the Commission shall be exercised by the Chairperson.
- (3) If the post of Chairperson is vacant, the senior most Member of the Commission shall exercise the executive powers of the Commission during the period of such a vacancy.

14. OFFICERS OF THE COMMISSION

- (1) The Commission shall have the power to appoint the Secretary, the Chiefs of Divisions, and other officers and employees to assist the Commission in carrying out the provisions of the Act and in discharging such other functions as may be assigned by the Commission from time to time.
- (2) The qualifications, experience, and other terms and conditions for the appointment of the Secretary, Chiefs of Divisions, other officers, and employees of the Commission shall be as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007, as amended from time to time, or any subsequent enactment thereof.
- (3) The Commission may appoint consultants for rendering expert opinion and assistance in the discharge of its functions on such terms and conditions as specified in the Consultants Regulations.
- (4) The Secretary shall be the Principal Officer of the Commission and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned by the Commission. The Secretary shall function under the supervision of the Chairperson.
- (5) The Commission, in discharge of its functions under the Act, shall be assisted by functional divisions such as Engineering, Finance, Law, Economics, Regulatory Affairs, Administration & Accounts, IT & Management Information Systems.
- (6) The Commission, in discharge of its functions under the Act, may take such assistance from the Secretary, Chiefs of various Divisions and other officers as deemed appropriate.
- (7) In particular, and without prejudice to the generality of the above provisions, the Secretary shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:
 - (a) he shall have custody of the records and the Seal of the Commission;
 - (b) he shall receive or cause to receive all petitions, applications or references made to the Commission;
 - (c) he shall hear and dispose of the objections raised by the authorised officers for validation of the petitions prior to hearing;
 - (d) he shall cause preparation of briefs and summaries of all pleadings presented by the parties in each case to assist the Commission in the discharge of its functions in this regard;
 - (e) he shall assist the Commission in the proceedings relating to the powers exercisable by the Commission;
 - (f) he shall authenticate the orders passed by the Commission;
 - (g) he shall initiate due process of law for compliance of the regulations or orders passed by the Commission; and
 - (h) he shall have the right to collect from the Central Government or State Governments or other offices, companies and firms or any other party as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission under the Act.

- (8) The Commission may delegate to its officers such functions, including functions that may be required by these regulations to be exercised by the Secretary or Chiefs of the Divisions, on such terms and conditions as may be specified by the Commission for the purpose.
- (9) The Secretary may, with the approval of the Commission, delegate to any officer of the Commission any function required by these regulations or otherwise to be exercised by the Secretary.
- (10) In the absence of the Secretary, such other officer of the Commission as may be designated by the Chairperson, may exercise any or all the functions of the Secretary.
- (11) The Commission shall, at all times, have the authority, either on an application made by any interested or affected party or suo motu, to review, revoke, revise, modify, amend, alter, or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or the officers of the Commission if the Commission considers the same to be appropriate.

CHAPTER III

PETITIONS AND PLEADINGS

15. CLASSIFICATION OF PETITIONS TO BE FILED BEFORE THE COMMISSION

- (1) Petitions to be filed before the Commission shall be categorized into following:
 - (a) 'tariff petition' means the petition filed under Section 62 of the Act for determination of tariff of the generating stations covered under Clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 79 of the Act and of inter-State transmission system under Clause (d) of sub-section (1) of Section 79 of the Act and shall include the petitions for truing up of tariff. Tariff Petition shall also include the petition for determination of fees and charges of Regional Load Despatch Centres under sub-section (4) of Section 28 of the Act and truing up thereof;
 - (b) 'petition for grant of licence' means the petition filed under Section 15 of the Act for grant of licence for inter-State trading or inter-State transmission of electricity;
 - (c) 'petition for adoption of tariff' means the petition filed under Section 63 of the Act for adoption of tariff discovered through competitive bidding in respect of generating companies covered under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 79 and in respect of the inter-State transmission systems as defined under sub-section (36) of Section 2 of the Act;
 - (d) 'miscellaneous petition' means the petition filed before the Commission under any of the provisions of the Act or Regulations framed by the Commission but does not include the petitions for determination or adoption of tariff, or for grant of licence, or for review of an order, or suo motu petitions as defined under these regulations;
 - (e) 'regulatory compliance petition' means the petition filed by the Power Exchanges or the inter-State trading licensees or inter-State transmission licensees, including deemed licensees or generating companies, or the Central Transmission Utility, or National Load Despatch Centre, or Regional Load Despatch Centres in connection with compliance of any requirement under any of the Regulations notified by the Commission or any order issued by the Commission, but does not include the periodic reports and returns as required under the relevant Regulations;
 - (f) 'suo motu petition' means the petition initiated by the Commission on its own motion for ensuring compliance with the provisions of the Act or the Regulations notified by the Commission or orders or directions issued by the Commission, and shall include the petition for holding an inquiry by the Adjudicating Officer appointed under Section 143 of the Act;
 - (g) 'review petition' means the petition filed under Section 94 (f) of the Act read with Regulation 52 of these regulations for review of the orders or decisions or directions of the Commission;
 - (h) 'interlocutory application' or 'IA' means an application filed either alongwith a petition, or in any petition already instituted before the Commission, for any of the purposes mentioned in clause (3) of Regulation 26 of these regulations;
 - (i) 'revision petition' means the petition filed by any person against an order made by a District Magistrate, a Commissioner of Police, or an authorised officer as provided under sub-rule (3) of Rule 3 of the Works of Licensees Rules, 2006;
 - (j) Any other petition with the prior approval of the Commission.

16. FORMAT AND STRUCTURE OF THE PLEADINGS**(1) EVERY PLEADING PRESENTED TO THE COMMISSION:**

- (a) shall be in English, fairly and legibly type written, lithographed, or printed in double spacing on both sides of A-4 size white paper with an inner margin of about 3 (three) cms width on top and on the left side, 1 (one) cm on the right side, and 2 (two) cms on the bottom;
 - (b) shall be prepared in MS Word with the font Ariel and font size 12.
 - (c) shall in its cause title state “Before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi”;
 - (d) shall be divided into paragraphs that are numbered consecutively, each paragraph containing, as nearly as may be, a separate averment or allegation;
 - (e) shall be paginated numerically from the first page (including title, index, memo of parties, etc) to the last page, and no page shall be left unnumbered. Alpha-numeric pagination shall not be accepted;
 - (f) shall be accompanied by such documents, data, and statements in support of the averments or allegations made in the pleadings.
- (2) Dates- Where Saka or other dates are used, corresponding dates of the Gregorian calendar shall also be indicated.
 - (3) Memo of parties- Full name and other particulars, including email address, fax number etc. describing each party shall be provided. The names of the parties shall bear consecutive numbers, and a separate line shall be allotted to the name and description of each party.
 - (4) Provision of law- Every petition or application shall state, after the cause title, the provisions of the Act, Rules or Regulations of the Commission under which it is made.
 - (5) Non-filing clause- Every petition shall state that no such proceedings in the same matter have been previously filed before the Commission or before any other court. To the extent the Petitioner or his Advocate is aware that the subject matter of the petition being instituted is also directly and substantially the subject matter of any pending litigation before the Commission or before any other court, a suitable endorsement to that effect shall be made.
 - (6) Certification of documents- Every pleading shall contain a statement certifying the authenticity of the documents or copies thereof filed, if any.
 - (7) Endorsement - At the foot of every pleading, there shall appear the name, enrolment number, address, phone number, mobile number, email id and all other contact particulars of the Advocate who has drawn and filed the pleadings.
 - (8) Signature and Verification- Every pleading filed before the Commission shall be signed by the Managing Director, or any authorised Director of the Company, or any other officer nominated by the authorised Director or CMD of the company. Every pleading shall be signed and verified by the party concerned in the manner provided in these regulations.
 - (9) Initialling alterations- Every interlineation, erasure, or correction in the pleadings shall be initialled by the party or the advocate presenting it.
 - (10) Heading- The general heading in all petitions or applications and in all publications and notices made shall be as specified in Form 3.
 - (11) Formats- Every petition shall have a specific structure as per Forms 5 to 12 to these regulations, as applicable.

17. AFFIDAVIT IN SUPPORT

- (1) Every petition shall be verified by an affidavit, and every such affidavit filed shall be as per these regulations and in the format specified in Form 4.
- (2) The affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation, and address of the deponent and the capacity in which the affidavit is signed and shall be duly notarised.
- (3) Every affidavit shall indicate that the statements made thereunder are based on:
 - (a) knowledge of the deponent;
 - (b) information received by the deponent; and
 - (c) believed to be true by the deponent.

- (4) Where any statement made in the affidavit is believed to be true based on information received by the deponent, the affidavit shall also disclose the source of the information.

18. PRESENTATION OF PLEADINGS AND OTHER DOCUMENTS

- (1) All petitions including the documents relied upon and other pleadings shall be filed electronically using the e-filing portal of the Commission, in the manner as provided in Annexure I to these regulations.
- (2) Prior to filing the petition, the concerned party shall seek registration for e-filing of the petition and shall obtain a unique login id and password. The login id and password issued shall be used for the e-filing of the petition and subsequent pleadings.
- (3) Petitions shall be uploaded on the e-filing portal of the Commission (www.cercind.gov.in) or at the e-filing desk facility located in the Commission's office. E-filing desk facility located in the Commission's office is available from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days.
- (4) The party filing the petition shall map the respondents impleaded in the petition by selecting the appropriate option in the e-filing portal. In case, any particular Respondent impleaded in the petition is not registered in the e-filing portal of the Commission, hard copies of the petition shall be served on such Respondent by the party filing the petition.
- (5) Hard copies of the petition, in triplicate, shall be submitted to the Registry of the Commission, in person or through an authorised agent or designated representative, within three working days of e-filing of the petition.
- (6) Hard copies of the petitions may also be submitted by registered post addressed to the designated officer in the Registry of the Commission.
- (7) All documents filed using the e-filing portal of the Commission shall be digitally signed by the party filing such petition or by the Advocate on behalf of whom such a petition is filed.
- (8) The hard copies submitted to the Registry shall be exactly the same as those submitted through the e-filing portal of the Commission. An undertaking to this effect shall be submitted by the party at the time of filing the hard copies. In case discrepancies are noticed, the e-filed petition may not be registered, till such time such discrepancies are removed. The date of filing of the hard copy, after removal of defects, shall be reckoned as the date of filing of the petition.
- (9) In case pleadings are filed in a pending petition in compliance with the directions of the Commission, the same shall be filed within the due dates permitted by the Commission. After the due date, e-filing of such pleadings shall not be permissible, except with the leave of the Commission.
- (10) In case of a petition presented by an Advocate or an Advocate's firm, a Vakalatnama duly signed by the person authorising the Advocate or the Advocate's firm (as per Form-1) and, in case of a petition presented by an authorised representative of the Company or Body Corporate, Memo of Appearance authorising such representative (as per Form 2) shall be filed along with the petition.
- (11) A party to a petition or the Advocate(s) representing a party in the petition shall only have access to all the pleadings e-filed in the said petition. In the alternative, the concerned party or its Advocate(s) may obtain hard copies of the pleadings in the petition, by making a request through email to the designated officer in the Registry of the Commission and on payment of required fees.
- (12) All petitions shall be filed through the e-filing portal of the Commission. Exemption from e-filing of pleadings, in whole or in part, may be permitted only by leave of the Commission in the following circumstances:
 - (a) e-filing is, for reasons explained in the application, not feasible; or
 - (b) the party pleads about confidentiality of information filed and for protection of privacy; or
 - (c) the documents could not be scanned or filed electronically due to their size, shape, or condition; or
 - (d) the e-filing portal is either inaccessible or is not available for technical and/or operational reasons; or
 - (e) for any other sufficient cause.
- (13) The period of limitation, as specified in these regulations, shall also be made applicable to the e-filed petitions.

Provided that in case the e-filing portal is non-operational during any period, for any reason whatsoever, such period shall be excluded for the purpose of computation of limitation.

- (14) In addition to filing through the e-filing portal, three hard copies of each petition, accompanied by proof of payment of fees, an acknowledgement received from the e-filing portal, and a copy of the duly executed Vakalatnama or Memo of Appearance, as the case may be, shall be presented in person or by a duly authorised agent or designated representative to the designated officer in the Registry of the Commission.

19. AUTHORITY TO REPRESENT BEFORE THE COMMISSION - ADVOCATES THROUGH VAKALATNAMA

- (1) A party being represented through an Advocate shall file a Vakalatnama as per Form 1.
- (2) Every Vakalatnama shall be duly signed by the party and contain the seal of the party, the name of the party signing, and on whose behalf he has signed.
- (3) Where a Vakalatnama is executed by an agent or authorised representative of a party, a copy of the instrument or document of such authorisation, shall accompany the Vakalatnama.
- (4) Where several persons sign a single Vakalatnama, they shall put their signatures ad seriatim, mentioning their serial number and name in the brackets corresponding to their serial number and name mentioned in the memo of parties.
- (5) Where a single Vakalatnama has been executed in favour of more than one Advocate, the names and particulars of all the Advocates shall be provided therein.
- (6) The case number and its cause title shall be clearly mentioned in the Vakalatnama.
- (7) Vakalatnama shall contain the name, enrolment number, complete official address, email, phone number and fax number of the Advocate(s) representing the party.
- (8) An Advocate, upon filing the Vakalatnama, duly executed by a party that discloses the name and designation of the party, shall be entitled to act, to plead for that party in the matter, and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect of such a matter, or any application connected with the same, or any order passed therein, and take all such other steps as he may be specifically authorised in terms of the Vakalatnama filed.
- (9) An Advocate may be discharged with the consent of both the Advocate and the party by a letter addressed to the Secretary and signed by both the Advocate and the Party:

Provided that an Advocate may also be discharged to represent a party in a petition on submission of a fresh Vakalatnama executed in favour of another Advocate and duly signed by the party or its authorized representative with an endorsement of No Objection by the earlier Advocate on the said Vakalatnama.

20. AUTHORITY TO REPRESENT A PARTY BEFORE THE COMMISSION - MEMBERS OF STATUTORY PROFESSIONAL BODY THROUGH MEMORANDUM OF APPEARANCE

- (1) A party may authorise a member of any statutory professional body holding a Certificate of Practice to represent and plead on his behalf before the Commission in tariff matters or matters involving matters of accounting, taxation, etc.
- (2) Every Memo of Appearance in favour of the member of the statutory professional body holding a Certificate of Practice shall be duly signed by the party and contain the seal of the party, the name of the party signing, and on whose behalf, he has signed.
- (3) The Memo of Appearance shall be filed as per Form 2.
- (4) A member of a statutory professional body, upon filing the Memo of Appearance, duly executed by a party that discloses the name and designation of the party, shall be entitled to act, to plead for that party in the matter, and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect of such matter, or any application connected with the same, or any order passed therein, and take all such other steps as he may be specifically authorised by the Memo of Appearance.
- (5) A member of a statutory professional body may be discharged to represent a party with the consent of both the Member and the party by a letter addressed to the Secretary and signed by both the member and the party.

21. AUTHORITY TO REPRESENT A PARTY BEFORE THE COMMISSION - DESIGNATED OFFICERS OF A COMPANY OR CORPORATION OR CONSUMER ASSOCIATION THROUGH AUTHORISATION

- (1) In case of a company or a body corporate, etc., an official not below the rank of Deputy General Manager or an equivalent rank working in such a company or body corporate or a consultant engaged by such a company or body corporate, shall be eligible to appear before the Commission, if the said official or

consultant has been authorised by a Board resolution of the company or the body corporate, as the case may be.

- (2) The official or consultant so authorised under clause (1) of this Regulation should be well conversant with the facts of the case and should be in a position to clarify the queries of the Commission during the hearing.
- (3) The authorized official or consultant shall file Memo of Appearance as per Form 2.

22. AUTHORITY TO REPRESENT CONSUMER INTEREST BEFORE THE COMMISSION - CONSUMER ASSOCIATION THROUGH ADVOCATES OR DESIGNATED REPRESENTATIVES

- (1) Only a consumer association shall be permitted to appear before the Commission and participate in the proceedings either through its designated representative or through an Advocate.
- (2) When the consumer association is represented through an Advocate, it shall execute Vakalatnama in accordance with Regulation 19 of these regulations in favour of the said Advocate.
- (3) When the consumer association is represented through a designated representative, it shall execute a Memo of Appearance in accordance with Regulation 21 of these regulations in favour of the said representative.

23. TARIFF PETITIONS

- (1) Subject to provisions of Regulation 16 to Regulation 18 of these regulations, petitions for determination of tariff under Section 62 of the Act shall be made in the relevant forms appended to the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 or under the relevant forms of any subsequent enactment thereof.
- (2) The Petitioner shall pay the fees for tariff petitions through the e-portal of the Commission via the payment gateway and enclose a receipt thereof along with the petition.
- (3) The Petitioner shall map the names and addresses of the Petitioner(s) and Respondent(s) on the e-filing portal of the Commission. The Petitioner shall upload the petition along with all its annexures and other related documents through the e-filing portal of the Commission by following the Procedure specified in Annexure I to these regulations.
- (4) The Petitioner shall serve a copy of the petition on each of the Respondents and the Proforma Respondents, if any, through e-mail and submit proof thereof.
- (5) The Respondents including the Proforma Respondents who are registered with the e-filing portal of the Commission can access and download copies of the petition along with annexures from the e-filing portal.
- (6) The Petitioner shall post the complete petition on its own website or any other authorised website, before filing the petition in the Commission. The petition shall be kept posted on its website or the authorised website till the disposal of the petition.
- (7) The Petitioner shall, within 7 days after filing the tariff petition, publish a notice about such filing in at least two daily leading digital newspapers one in English language and another in any of the Indian languages, having wide circulation in each of the States and Union Territories where the beneficiaries are situated, as per Form 14 appended to these regulations. The Petitioner shall also post the notice on its website or any other authorised website.
- (8) The Petitioner shall submit the soft copies of the publications under an affidavit through the e-filing portal of the Commission within one week from the date of publication.
- (9) The suggestions and objections, if any, to the proposals for determination of tariff made in the petition may be filed through e-filing portal of the Commission by the Respondents including the Proforma Respondents, if any, and any other interested person within 30 days of publication of the notice, with copy to the Petitioner.
- (10) The Petitioner shall file its response to the suggestions and objections, if any, received in response to the public notice within 45 days of its publication made in accordance with clause (7) of this Regulation, through the e-filing portal, with an advance copy to the Respondents including Proforma Respondents, if any, and the person(s) who have filed the suggestions and objections on the proposals for determination of tariff made in the petition.
- (11) Subject to provisions of Regulation 16 to Regulation 18 of these regulations, petitions for determination fees and charges of Regional Load Despatch Centres (including National Load Despatch Centre) under sub-section (4) of Section 28 of the Act shall be made in accordance with Regulation 10 of the Central

Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2019 or under the relevant provisions of any subsequent enactment thereof.

24. PETITIONS FOR GRANT OF LICENCE FOR INTER-STATE TRADING AND INTER-STATE TRANSMISSION OF ELECTRICITY

- (1) Subject to provisions of Regulation 16 to Regulation 18 of these regulations, the petitions for grant of licences for inter-State trading of electricity shall be made in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Trading Licence, and other related matters) Regulations, 2020, as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.
- (2) Subject to provisions of Regulation 16 to Regulation 18 of these regulations, petitions for grant of licences for inter-State transmission of electricity shall be made as per the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time, read with order dated 22.1.2022 in Suo Motu Petition No.1/SM/2022 or any subsequent enactment thereof.

25. PETITION FOR GRANT OF APPROVAL FOR SETTING UP OF POWER EXCHANGE

Subject to the provisions of Regulations 16 to Regulation 18 of these regulations, petitions for grant of registration of a Power Exchange shall be made in accordance with the provisions of Regulation 11 of the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021, as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.

26. INTERLOCUTORY APPLICATIONS

- (1) Every interlocutory application shall be instituted in the petition in which it is filed.
- (2) Every interlocutory application shall be made as per Form 12 and shall be filed through e-filing portal of the Commission and hard copies thereof, in triplicate, shall be filed in the Registry of the Commission within three days of e-filing.
- (3) An interlocutory application shall be filed to seek any of the following reliefs:
 - (a) Interim relief
 - (b) Amendment of the averments in a petition or the prayers in a petition or both;
 - (c) Impleadment of a new party in a petition;
 - (d) Deletion of a party in a petition;
 - (e) Substitution of a party in a petition;
 - (f) Condonation of delay in filing a petition;
 - (g) Restoration of a petition dismissed of ex parte;
 - (h) Permission to file additional documents or submissions in a petition;
 - (i) Exemption from filing original document(s) or translated copies or certified copies of orders, as applicable;
 - (j) Recall of an ex-parte order or directions in a petition;
 - (k) Waiver of fees for filing a petition;
 - (l) Withdrawal of a petition;
 - (m) Change of name of a party in a petition;
 - (n) Early or urgent hearing of a petition
 - (o) Any other matter not covered above but within the jurisdiction of the commission under the Act, the Rules, and the Regulations made thereunder.
- (4) Except otherwise provided in these regulations or by any law for the time being in force, an interlocutory application:
 - (a) shall contain only one prayer or one series of alternative prayers of the same kind;
 - (b) shall not contain any argumentative matter;

- (c) shall be supported by an affidavit and declaration, stating clearly the grounds and the facts on which the application is based. Where the application is for condonation of delay, the exact period of delay and the reasons thereof shall also be clearly stated in the application;
 - (d) An advance copy of the interlocutory application, together with the affidavit and other documents and materials filed along therewith, shall be served upon the opposite party or its Advocate and proof of such service shall be filed along with the interlocutory application;
- (5) The interlocutory application shall be listed on the date the hearing of the petition in which the interim application is filed or on such other date as may be directed by the Commission. The Commission shall pass such orders on the interlocutory application as may be considered appropriate after hearing the parties.

27. FEES FOR FILING PETITION

- (1) Every petition shall be accompanied by appropriate fees and charges specified in Regulation 3 to Regulation 11 of the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, as amended from time to time.
- (2) The fees for the petitions shall be paid through the SAUDAMINI e-portal of the Commission via payment gateway in accordance with Regulation 12 of the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, as amended from time to time.
- (3) The proof of payment of fees shall be submitted in Form I specified under Regulation 12 of the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, as amended from time to time.
- (4) In case waiver of payment of fees is sought in respect of any petition, the concerned party shall separately make a request indicating the reasons for such waiver, along with documentary proof, if any, and upload the request for waiver alongwith the petition on the e-filing portal of the Commission.

28. Scrutiny of Petitions

- (1) Upon receipt of the petition, the designated officer of the Registry shall acknowledge receipt of the petition by stamping and endorsing the date of receipt thereof. In case the petition is received by registered post, the date on which the petition is actually received in the Registry shall be considered as the date of presentation of the petition.
- (2) The presentation and receipt of the petition shall be duly entered in the register maintained in the Registry of the Commission.
- (3) If on scrutiny, it is found that the petition conforms to the particulars as per checklists posted on the e-filing portal from time to time in terms of the relevant regulations and the petition is otherwise in order, the petition shall be registered by the designated officer in the Registry of the Commission within three days of such scrutiny and given a number.
- (4) In on scrutiny, it is found that the petition does not conform to the particulars as per checklists posted on the e-filing portal from time to time in terms of the relevant regulations, the designated officer in the Registry of the Commission shall inform the party through e-portal of the Commission including through email, the defects in the petition, within 7 days from the date of filing such a petition with instructions to remove the defects within 7 days from the date of intimation. If the party removes the defects within the stipulated time and on scrutiny, the petition is found to be in order, the petition shall be registered by the designated officer in the Registry of the Commission within three days of such scrutiny and given a number.
- (5) A party aggrieved by the decision of the designated officer in the Registry with regard to the defects pointed out in the petition, may request the matter to be placed before the Secretary for an appropriate decision. The Secretary may give an appropriate order to the Registry or place the matter before the Commission.
- (6) The Chairperson or any Member designated for the purpose shall be entitled to call for the petition presented by the party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the petition as may be considered appropriate.
- (7) If the order of refusal has been rectified by the Secretary or the Chairperson or the Member designated for the purpose, the petition shall be registered by the designated officer in the Registry of the Commission within three days thereof and given a number.
- (8) All petitions except the review petitions, revision petitions, suo motu petitions and interlocutory applications shall be numbered ad seriatim based on the date of acceptance of the petition indicating the Petition Number followed by a slash symbol followed by the abbreviated form of the petition, such as GT

(for generation tariff), TT (for transmission tariff), ADP (for adoption of tariff), TL (for trading licence), TrL (for transmission licence), MP (for miscellaneous petition), RCP (Regulatory Compliance Petition), as the case may be, and further followed by slash symbols and thereafter, followed by the year of registration. In the case of review petition, revision petitions, suo motu petitions and interlocutory applications, separate series of numbers shall be allocated for each category, indicating the Petition Number followed by a slash symbol followed by the abbreviated form of the petition, such as RP (Review Petition), RvP(Revision Petition), SM (Suo Motu Petition) and IA (Interlocutory Application) further followed by a slash symbol, and thereafter, followed by the year of registration.

- (9) After the petitions are numbered, the same shall be intimated to the parties through the e-filing portal of the Commission.
- (10) In the case of tariff petitions, the staff of the Commission shall carry out technical validation and intimate the Petitioner within 7 days of the registration of the petition to submit such information and documents as are considered necessary for the determination of the tariff in accordance with the tariff regulations.
- (11) The Petitioner within 7 days thereafter, shall submit the required information through the e-filing portal and file hard copies thereof, in triplicate, under intimation to the Respondents through e-mail.
- (12) After registration of petitions other than tariff petitions and after expiry of 15 days from the date of registration in the case of tariff petitions, the petitions shall be listed for first hearing by an order of the Secretary on such dates as approved by the Chairperson and, in his absence, the senior most Member of the Commission, as far as practicable within a period of one month.
- (13) In cases of petitions involving adjudication of disputes, the Petitioner and the Respondents after prior mutual consent, may resort to pre-institution mediation and settlement and submit along with the petition the settlement deed in respect of the disputes in which settlement has been reached, clearly demarcating the disputes that are required to be adjudicated:

CHAPTER IV

PROCEEDINGS OF THE COMMISSION

29. PROCEEDINGS OF THE COMMISSION

The Commission may, from time to time, hold hearings, meetings, inquiries, investigations, and consultations as it may consider appropriate in the discharge of its functions under the Act.

30. CORAM OF THE COMMISSION IN PETITIONS EXCEPT REVIEW PETITIONS

- (1) All petitions involving substantial questions of fact and law shall be heard by a coram consisting of the Chairperson and all available Members of the Commission:

Provided that the quorum for the proceedings before the Commission shall be two:

Provided further that in all adjudication proceedings under Section 79(1)(f) of the Act, Member (Law) shall form part of the coram:

Provided also that in case, hearing of a petition is not completed on a particular day, the petition shall be treated as part-heard and shall be placed before the same coram on subsequent days till completion of hearing:

Provided also that before the completion of hearing in any petition treated as part-heard, if any Member of the coram demits office or is absent on account of leave or otherwise for a period in excess of two months, the Chairperson or in his absence the senior most Member of the Commission may discharge such matter from the category of part-heard and reconstitute the coram to hear such petition.

- (2) The Chairperson may invite the Chairperson of the Central Electricity Authority who is Member (ex-officio) of the Commission, to participate in hearing of any petition or in any other proceedings of the Commission, under the following circumstances, having regard to his/her normal official commitments:
 - (a) In matters involving complex technical issues; or
 - (b) In matters where, in the opinion of the Chairperson, the presence of Chairperson, Central Electricity Authority is necessary to arrive at a decision in such matters;
 - (c) To complete the quorum, when the available Members of the Commission is less than two.

31. Coram of the Commission in case of Review Petitions

- (1) If the Members constituting the coram which heard and passed the order in a petition (main petition) are available, those Members only shall hear and issue order in the review petition filed for review of the

order in the main petition. No other Member shall be associated at the stage of hearing of the review petition, except in the circumstances covered under clauses (2) and (3) of this Regulation.

- (2) It is only when a Member or Members who heard the main petition as part of the coram is or are not available on account of death or superannuation, or absence for a period of 6 months, then only the Chairperson or in his/her absence the senior most member shall constitute a coram to hear the review petition which shall consist of equal number of Members including the Members available who passed the order in the main petition.
- (3) If, on account of a vacancy or vacancies in the Commission, it is not possible to constitute a coram in a review petition equal to the coram that heard and passed the order in the main petition, the Chairperson or, in his absence, the senior most Member shall constitute a coram of lesser number of members (subject to a fulfilment of quorum of two Members), including the Members available who passed the order in the main petition, and such coram shall hear and pass order in the review petition.

32. ADMISSION OF PETITIONS

- (1) In the first hearing, all petitions except the petitions for determination of tariff under Section 62 or adoption of tariff under Section 63 of the Act shall be listed for admission:

Provided that the petitions for determination of tariff or adoption of tariff shall be listed for admission if any objection is raised on the maintainability of the petitions on the ground of jurisdiction of the Commission.

- (2) The Commission may, if it considers appropriate, issue notice to such person or persons other than the Petitioner as it may desire to hear at the stage of admission of the petition.
- (3) The Commission may, if considered appropriate, admit a petition without requiring the attendance of the Petitioner:

Provided that the Commission shall not pass an order refusing admission of a petition without giving the Petitioner an opportunity to be heard.

- (4) If the petition is admitted, the Commission may give such orders or directions for service of notices on the Respondents and other affected or interested parties, including consumer representatives or consumer associations or intervener wherever permitted, for the filing of replies. The Commission may also grant time to the Petitioner to file its rejoinders to the replies.
- (5) The Commission may either fix a date of hearing or direct that the petition be listed for hearing after the expiry of the scheduled dates for completion of pleadings.

33. PROCESSES FOR SERVICE OF NOTICES, SUMMONS, ORDERS OR DOCUMENTS ETC.

- (1) Every notice or summons or order or documents required to be given to or served on a party or person as per the directions of the Commission shall be served, through the e-filing portal of the Commission, which shall be considered as proper service:

Provided that if any party to whom a notice or summons or order or document is required to be served has not been registered with the e-filing portal of the Commission, the service of such notice or summons or order or document shall be carried out in accordance with clause (2) of this Regulation.

- (2) In addition to the means provided in clause (1) of this Regulation, the Commission may direct for service of notice or summons or order or document on a party by any of the following modes:
 - (a) by hand delivery through a messenger and obtaining signed acknowledgement; or
 - (b) by registered post with acknowledgement due; or
 - (c) by publication in newspapers in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notice, summons or order, or document on any person in the manner mentioned above; or
 - (d) by e-mail on the registered email-id along with mobile alerts on the phone number registered with the Commission at the time of e-filing of the petition; and
 - (e) by any other means as the Commission may consider appropriate.
- (3) Every notice, summons, order or document required to be served or delivered to any party or person may be sent to his authorised representative or his nominated counsel authorised to accept service at the address furnished by him in the petition or at the place where the authorised representative/nominated counsel ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

- (4) In case the nominated counsel or the authorised representative has been replaced by the party in a pending petition, such counsel or representative who shall be subsequently authorised shall be deemed to be duly empowered to take service of notice, summons, order or document on behalf of the party concerned in such petition, and the service on such counsel or representative shall be considered as sufficient service on the party.
- (5) Where the notice, summons, order, or document is served by a party to the proceedings either in person or through registered post on the opposite party, an affidavit of proof of service shall be filed by such party giving details of the date and manner of service of such notice, summons, order or document on the opposite party.
- (6) In case of non-compliance with the requirements of these regulations or directions of the Commission as regards the service of notice, summons, order or the publication thereof, the Commission may either dismiss the Petition or give such further directions as it thinks fit.
- (7) No service or publication of notice, summons or order shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person, if the Commission is satisfied that such service is in other respects sufficient. No proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity of service unless the Commission, on an objection taken, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

34. FILING OF REPLIES, OPPOSITIONS, OBJECTIONS AND REJOINDERS ETC.

- (1) Every Respondent or any other person to whom the notice or summons or order is issued and who intends to oppose or support the Petition shall file its reply and supporting documents through e-filing portal of the Commission and shall also file the hard copies of the reply and supporting documents, in triplicate, in the Registry of the Commission within three days of e-filing.
- (2) Every Respondent or any other person filing the reply shall specifically admit or deny or explain the facts stated in the petition and may also state such additional facts as he considers necessary for a just decision of the issues raised in the petition.
- (3) Every Respondent or any other person filing the reply shall serve a copy thereof along with the supporting documents on the Petitioner or his authorised representative or his Advocate and shall file proof of such service through e-filing portal as well as in the Registry of the Commission.
- (4) Where the Respondent or any other person states any additional facts in its reply, the Commission may allow the Petitioner to file a rejoinder to the said reply. The procedure for filing the reply shall apply mutatis mutandis for filing of the rejoinder.
- (5) Every person who intends to file objections or comments in regard to a matter pending before the Commission, pursuant to the publication made for the purpose (other than the persons to whom notice, summons or order has been issued calling for reply) shall file the objections or comments alongwith copies of the supporting documents, through the e-filing portal of the Commission within the time fixed for the purpose and shall file the hard copies thereof, in triplicate, in the Registry of the Commission within three days of e-filing.
- (6) The Commission may permit such person(s) or associations, as it may consider appropriate, to participate in the hearing of the Commission if in the opinion of the Commission, the participation of such person(s) or associations will facilitate decision in the matter.
- (7) Unless permitted by the Commission, the person(s) or associations filing objections or comments in a petition shall not be entitled to participate and make oral submissions in the hearing of the said petition. However, the Commission shall take into consideration the objections or comments filed by such persons or associations while deciding the matter.

35. HEARING OF THE MATTER

- (1) The Commission may determine the stages, the manner, the place, the date, and the time of the hearing of the matter as it considers appropriate:
Provided that the hearing may be in physical or virtual or hybrid mode, as may be decided by the Commission:
Provided further that virtual hearings shall be held in accordance with the Standard Operating Procedure (as per the Annexure-II or as may be modified from time to time) for virtual hearing.
- (2) In order to ensure timely and expeditious completion of proceedings, the Commission may adopt suitable procedures of its own, including but not limited to:

- (a) Joinder of cases for hearing;
 - (b) Appointing a representative for a class of consumers or parties to file combined pleadings, affidavits, and supporting documents as also to present the case on behalf of such a class of consumers or parties;
 - (c) Seeking testimony, advice or opinion on specific issues;
 - (d) Appointing amicus curie.
- (3) The Commission may decide the petitions on the basis of the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavits or lead oral evidence.
 - (4) If the Commission directs a party to lead oral evidence, the Commission may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross-examine the person giving oral evidence.
 - (5) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties to a petition be recorded by an officer or a person designated for the purpose by the Commission. Such evidence shall form part of the pleadings in the said petition and copy thereof shall be provided to the other parties.
 - (6) The Commission may direct the parties to file written notes of arguments in the petitions at least three days before the scheduled dates of the final hearing of the petitions.
 - (7) The Commission may, after hearing the petition, direct the parties to file such information as the Commission may consider appropriate and may also direct the parties to file any pending information sought at the stage of preliminary adequacy check. If the parties fail to submit the information within the stipulated time, the Commission may proceed with the matter in a way it deems fit, including rejection of the petition.
 - (8) If any case is adjourned for further proceedings without providing any date fixed for hearing, the date of next hearing of the petition shall be posted on the website of the Commission in advance.
 - (9) The number of adjournments that can be sought by any party shall be limited to three. The Commission thereafter may decide whether to grant any further adjournment or not, with or without cost.
 - (10) The scheduled dates for hearing the petitions shall be posted on the website of the Commission. Notices for dates of hearing of the petitions shall be sent to the parties through the e-filing portal of the Commission and through the modes specified in clause (2) of Regulation 33 of these regulations, and the same shall be deemed to be sufficient notice to the parties.
 - (11) The Commission may publish monthly cause list, weekly cause list, and daily cause list in such form as may be decided by the Commission. Each petition in the cause list shall include the petition number, name of the Petitioner, the name of the first Respondent followed by “& Others”, names of the Advocates representing the Petitioner and the Respondents as per the Vakalatnamas filed.
 - (12) If, on the date of the hearing, either the Petitioner or any of the Respondents does not attend the hearing, the Commission may decide to hear the parties present and conclude the hearing in the petition or issue such directions as may be considered appropriate.

36. POWER OF THE COMMISSION TO REQUEST ANY ADVOCATE TO ADDRESS IT

- (1) THE COMMISSION MAY, IN ITS DISCRETION, REQUEST ANY ADVOCATE TO ADDRESS IT AS TO ANY INTEREST THAT IS LIKELY TO BE AFFECTED BY ITS DECISION IN ANY MATTER IN THE PETITION OR PROCEEDINGS IF THE INTEREST THAT IS LIKELY TO BE AFFECTED IS NOT REPRESENTED BY AN ADVOCATE.
- (2) The Commission may, in its discretion, appoint any person, including an advocate or a specialist in a specific field, to act as amicus curiae, on payment of such fees as may be decided by the Commission, for assisting the Commission on issues, that in the opinion of the Commission, involve substantial question of law or public interest.

37. POWERS OF THE COMMISSION TO ADD/SUBSTITUTE/REMOVE PARTY(IES)

- (1) The Commission may, at any stage of the proceedings in a petition, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear just to the Commission, order that the name of any party, whether as Petitioner or as Respondent, be struck out, and the name of any person, whether as Petitioner or as Respondent, be added whose presence before the Commission may be necessary, in order to enable the Commission to effectually and completely adjudicate upon and settle all the issues involved in the Petition.

- (2) Where a Respondent is added, the petition shall, unless the Commission otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary, and the amended copies of the petition and notice shall be served on the new Respondent and, if the Commission thinks fit, on the original Respondents.

38. AMENDMENT OF PLEADINGS

The Commission may, at any stage of the proceedings in a petition, allow either party to alter or amend its pleadings in such manner and on such terms as may be considered appropriate, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real issues in controversy between the parties:

Provided that no application for amendment shall be allowed after commencement of the final hearing of the petition, unless the Commission is of the opinion that, in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of the final hearing:

Provided further that no application for amendment shall be entertained after the conclusion of the final hearing and order is reserved in the petition.

39. APPLICATION OF LIMITATION ACT, 1963

WHILE DECIDING THE LIMITATION PERIOD FOR THE FILING OF ANY PETITION BEFORE THE COMMISSION BY ANY PARTY UNDER SECTION 79(1)(F) OF THE ACT, THE COMMISSION SHALL BE GUIDED BY THE PROVISIONS OF THE LIMITATION ACT, 1963.

40. POWERS OF THE COMMISSION TO CALL FOR FURTHER INFORMATION, EVIDENCE, ETC.

- (1) The Commission may, at any time before passing orders in any petition, require the parties or any one or more of them, or any other person whom the Commission considers appropriate, to produce such documentary or other evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.
- (2) The Commission may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisitioning of any public record from any office, examination by an officer of the Commission of the books, accounts, or other documents or information in the custody or control of any person, receiving evidence on affidavit, issuing commission for the examination of witnesses that the Commission considers relevant to the matter. For this purpose, the Commission shall exercise such powers as are vested in a Civil Court under the Code as enumerated under sub-section (1) of section 94 of the Act.
- (3) The Commission may seek information in any petition through letters or orders prior to the scheduled date of hearing:

Provided that after the hearing, the Commission may seek any additional information, if considered necessary, through letters written by the staff of the Commission or through the record of proceedings of the hearing or orders of the Commission.
- (4) After the order has been reserved in a petition, no party shall be allowed to make any submissions without the prior leave of the Commission.
- (5) Inspection and disclosure of electronic records shall be governed by the relevant provisions of the Information Technology Act, 2000.

41. REFERENCE OF ISSUES

- (1) At any stage of the proceedings in a petition, the Commission may refer such issue(s) as it considers appropriate to any person(s), including, but not limited to, the officers and consultants of the Commission, whom the Commission considers as qualified to render expert advice or opinion on such issue(s).
- (2) The Commission may nominate from time to time any person(s), including, but not limited to, the officers and consultants of the Commission, to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein.
- (3) The Commission, if it thinks fit, may direct the parties to appear before the persons designated in terms of clause (1) or clause (2) of this Regulation (designated persons) to present their respective views on the issues referred to such designated persons.
- (4) The report or opinion received from such designated persons shall form part of the record in the petition, and the copies thereof shall be given to the parties. The parties shall be entitled to file their response either in support of or in opposition to the report or the opinion of the designated persons.

- (5) While deciding the petition, the Commission shall take into account the report or opinion given by the designated persons, the responses filed by the parties to such report or opinion and if considered necessary, the Commission may examine the designated persons who have given the opinion or report.

42. PROCEDURE TO BE FOLLOWED WHERE ANY PARTY DOES NOT APPEAR

- (1) Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, if the Petitioner (including his Advocate or his authorized representative) does not appear when the petition is called for hearing, the Commission may, in its discretion, either dismiss the petition for default on the part of the Petitioner or proceed to decide the petition ex-parte in the absence of the Petitioner or adjourn the hearing of the petition to a subsequent date.
- (2) Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, if the Petitioner appears but the Respondent(s) do not appear when the petition is called for hearing, the Commission may, in its discretion, fix a fresh date of hearing or proceed to decide the petition ex-parte in the absence of such Respondent(s).
- (3) Where a petition is dismissed or is decided ex-parte, the person aggrieved may file an appropriate application within 30 days from the date of such dismissal or being decided ex parte, as the case may be, for recall of the order passed, and the Commission may recall the order on such terms as it thinks fit if it is satisfied that there was sufficient cause for the non-appearance of the Petitioner or the Respondent(s), as the case may be, when the petition was called for hearing.

43. ATTENDANCE BY MEMBERS, VOTING ON THE PETITIONS

- (1) The Members who have heard the petition at the stage of the final hearing shall vote on the decisions on the issues involved in the petition.
- (2) All issues involved in the petition shall be decided by a majority of the Members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or the senior most Member who presided in the hearing of the petition, as the case may be, shall have a second or casting vote.
- (3) Subject to the provisions of clause (2) of this Regulation, every Member shall have one vote.
- (4) If any Member does not agree with the findings or decisions of the majority of the Members, he may issue a separate order giving his own findings or decisions.
- (5) The decision of the Commission by a majority of Members shall be binding.
- (6) The reasons given by the Commission in support of the orders, including those by the dissenting Member, if any, shall form a part of the order.
- (7) The order shall be in such form as the Commission may decide.
- (8) Every order passed by the Commission shall be signed as soon as possible by the coram which heard and decided the petition.
- (9) If any Member who heard the petition during the final hearing demits office before the order is passed, the Chairperson, or in his absence the senior most Member, shall order the matter to be re-heard.

44. Orders of the Commission

- (1) All orders and decisions issued or communicated by the Commission shall be authenticated by the Secretary or an officer empowered in this behalf by the Chairperson and bear the official seal of the Commission.
- (2) All orders of the Commission shall be uploaded on the website of the Commission within three days of their dates of signing.
- (3) The date of uploading of an order on the website of the Commission shall be deemed to be sufficient service of such order upon the concerned parties, and the period of limitation for filing the review petition against any such order shall commence from the next day calculated from the date when the order was actually uploaded on the website of the Commission.
- (4) All orders of the Commission shall be electronically transmitted by the Registry of the Commission at the given official email addresses of the Petitioner, the Respondent(s) or any other party to the Petition, and the electronic transmission of such orders shall be deemed to be sufficient service upon the concerned parties.
- (5) After publication of the order passed in a petition on the website of the Commission, certified copy of the said order shall be issued to a party within three days of receipt of a written request of the concerned party.

45. RECORD OF PROCEEDINGS OF THE COMMISSION

- (1) The record of proceedings of the hearings of the petitions shall be issued after approval by the Commission under the signature of the authorized officers.
- (2) The record of proceedings of the Commission shall reflect the nature of the hearing held, the persons who attended the hearing, namely, the Advocates, representatives of the parties, Consumers and Consumer Associations, if any, the status of the case, the main issues argued in brief, any specific queries made by the Commission and replies of the parties to such queries, etc. If the proceedings are adjourned to the next date, the same shall be indicated. If the order in a petition is reserved, the same shall be clearly mentioned in the record of proceedings.
- (3) The record of proceedings of the hearings of the petitions shall be uploaded on the website of the Commission as soon as possible after approval by the Commission and shall be dispatched to the parties through the e-filing portal of the Commission.

46. INSPECTION OF RECORDS OF PROCEEDINGS AND SUPPLY OF CERTIFIED COPIES

- (1) Records of proceedings in a petition, except those parts, that, for reasons to be specified by the Commission, are confidential, privileged or otherwise not to be disclosed to any person, shall be open to inspection by a party to the petition or any other person either during the proceedings or after the orders have been passed in the petition, subject to such person complying with such terms as the Commission may direct from time to time, including with regard to the time, place, and manner of inspection and payment of fees.
- (2) An application as per Form 13 shall be made by the party or any other person who desires to inspect the records in a petition.
- (3) The Commission, on an application made by a person who is not a party to the petition, may, on good cause shown, allow such person for inspection of records or to obtain copies thereof, on payment of prescribed fees and charges.
- (4) All inspections shall be allowed only in the presence of an officer so authorised by the Secretary.
- (5) No record or document filed in any petition shall, without the leave of the Commission on a written request, be taken out of the custody of the Commission.
- (6) An application may be made to the designated officer in the Registry of the Commission for issue of certified copy of any order of the Commission or proceedings in any petition, and the copy of such order or proceedings shall be made ready and issued within seven days of the making of the application or within such further time as the concerned officer may decide.

47. INTERIM ORDERS

The Commission may pass such interim orders as it may consider appropriate at any stage of the proceedings in a petition.

CHAPTER V**ARBITRATION OF DISPUTES****48. REFERENCE OF DISPUTES FOR ARBITRATION**

- (1) The proceedings in respect of petitions filed under Section 79(1)(f) of the Act for adjudication or arbitration of disputes involving generating companies or transmission licensees in regard to matters connected with Clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 79 of the Act may be commenced by the Commission on the basis of the application filed by either of the parties to the disputes.
- (2) Where a party filing the petition has prayed for reference of the dispute to arbitration, the Commission shall issue notice to the other concerned parties seeking their views as to why the matter should not be settled through arbitration.
- (3) The Commission may, after hearing the parties to whom the notices have been issued, if satisfied that there are some elements of settlement, pass an order directing that the dispute be referred for settlement through arbitration by a person or persons as decided by the Commission in accordance with Regulation 49 of these regulations.

49. NOMINATION OF ARBITRATORS

- (1) Where the Commission decides to refer the matter to arbitration by a person or persons, the reference shall be:

- (a) To a sole arbitrator, if the parties to the dispute agree on the name of the sole arbitrator. Where the parties are unable to agree on the name of the sole arbitrator, the Commission may designate a sole arbitrator.
- (b) The Commission may refer the dispute for arbitration by a panel comprising three arbitrators, after considering the nature of the dispute and the value involved. If the Commission decides to refer to a panel of three arbitrators, the Commission shall nominate two arbitrators based on the suggestions received from both parties and the third arbitrator shall be nominated based on the suggestion of both nominated arbitrators. If both nominated arbitrators fail to agree on the third arbitrator, the third arbitrator shall be nominated by the Commission:

Provided that if any of the nominated arbitrators fails or neglects to act or continue as arbitrator, the Commission shall nominate any other person in his place on an application made by either party.

- (2) The Commission shall not nominate a person as arbitrator to whom any of the parties to the arbitration has a reasonable objection on grounds of possible bias or similar reasons, if the Commission considers the objection to be valid and justified.

50. PROCEDURE FOR ARBITRATION AND PASSING OF AWARD

- (1) Where the Commission refers a dispute to an arbitrator or panel of three arbitrators for arbitration, the sole arbitrator or the panel of arbitrators may follow such procedure as they may consider appropriate, consistent with the principles of natural justice and fair opportunity to be given to the parties to the arbitration.
- (2) In all other aspects, the arbitration shall be subject to the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), as amended from time to time.
- (3) The cost of the arbitration proceedings before the Arbitrator or Arbitrators shall be borne by such parties and in such sums as decided by the Arbitrator or panel of Arbitrators in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996, and the judicial decisions on the subject.

CHAPTER VI

INVESTIGATION AND INQUIRY

51. INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION, ETC.

- (1) The Commission may make such order or orders as it considers fit for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, and seizure, without prejudice to the generality of its powers with regard to the following:
 - (a) The Commission may, at any time, direct the Secretary or any one or more officers, consultants or any other person as the Commission considers appropriate (hereinafter referred to as "Investigating Authority") to study, investigate, or furnish information with respect to any matter within the purview of the Commission under the Act and furnish the outcome of such study or investigation before the Commission.
 - (b) The Commission may, for the above purpose, give such other directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submitted or information furnished.
 - (c) Any Investigating Authority, on being directed by the Commission to study or investigate any generating company or licensee or power exchange or any other agency under the jurisdiction of the Commission, may issue directions to one or more of the officers of such generating company or licensee or power exchange or any other agency to produce any documents including books of accounts or to furnish such information as required by the Investigating Authority. It shall be the duty of the concerned officers to produce before the Investigating Authority all such books of account, registers, and any other documents in their custody or power and to furnish any statement and information relating to the affairs of the generating company or the licensee or the power exchange or any other agency, as the case may be, as the Investigating Authority may require and within such time as the Investigating Authority may specify.
 - (d) The Investigating Authority shall submit a report of its investigation and such other information as it considers relevant, to the Commission.
 - (e) If the report or information submitted under sub-clause (d) of clause (1) of this Regulation appears to the Commission to be insufficient or inadequate, the Commission may give directions to the Investigating Authority for further inquiry, submission of report, and furnishing of information as it may consider appropriate. The Investigating Authority shall carry out such further enquiry and submit report or information to the Commission within the time stipulated.

- (f) If the report or information submitted by the Investigating Authority, in the opinion of the Commission, seems reasonable, the Commission may give an opportunity to the concerned party to make a representation on such report or information and after considering the representation, may require the concerned party to take such action in respect of any matter arising out of the report or the information as the Commission may consider appropriate.
- (2) The Commission may, at any time, seek the assistance of any institution, consultant, expert, or such other technical and professional person as it may consider necessary and ask them to study, investigate, inquire into, or submit a report or reports or furnish any information on any matter. The Commission may determine the terms and conditions for the engagement of such professionals.
- (3) If the report or information obtained in terms of clause (2) of this Regulation or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission for forming its opinion or view in any proceedings, the parties to the proceedings shall be given a reasonable opportunity to file objections and make submissions on the report or information submitted by the Investigating Authority or Professionals.
- (4) The Commission, after considering the report or information furnished by the Professionals in terms of clause (2) of this Regulation and the submissions/objections filed by the concerned parties to the proceedings in terms of clause (3) of this Regulation, may issue such directions to the concerned parties as it may consider appropriate.

CHAPTER VII

REVIEW OF ORDERS, DECISIONS AND DIRECTIONS

52. REVIEW OF ORDERS, DECISIONS AND DIRECTIONS

- (1) The Commission shall exercise jurisdiction to review its own orders, decisions, and directions in accordance with Clause (f) of sub-section (1) of Section 94 of the Act read with Section 114 and Order 47 of the Civil Procedure Code.
- (2) Any person aggrieved by a direction, decision, or order of the Commission, from which no appeal has been preferred, may file a review petition on the following grounds within forty days of the making of such decision, direction, or order:
- (a) Upon the discovery of new and important matter or evidence that, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the direction, decision, or order was passed or;
- (b) On account of some mistake or error apparent from the face of the record, or;
- (c) If there is any other sufficient reason to review the matter.
- (3) A petition for review shall be filed in the same manner as filing of a petition under of these Regulations.
- (4) The Commission may also suo motu review its own order, decision, or direction if it is noticed that the said order, decision or direction suffers from a mistake of law or fact on the part of the Commission or from an apparent error on the face of the record.
- (5) A petition for review, whether filed by a party or initiated by the Commission on its own motion, shall be listed before the Commission, preferably within a period of 15 days from the date of its registration.
- (6) The review petition shall be disposed of within 15 days from the date of hearing if the review petition is not admitted and within a period of two months from the date of admission if the review petition is admitted:

Provided that where a review petition cannot be disposed of within the period as stipulated, the Commission shall record the reasons for the additional time taken for disposal of the said petition.

53. Revision of Tariff Orders

The Commission, on being satisfied that there is a need to revise the tariff of any generating company or transmission licensee on account of non-consideration of any material or on account of a mistake in calculation, shall initiate the process of revision of the tariff and pass appropriate orders after giving the parties to the original tariff petition an opportunity to be heard.

54. Amendment of Orders

Clerical or arithmetical mistakes in the orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Commission.

CHAPTER-VIII**CONSUMER REPRESENTATION****55. Power of the Commission to promote consumer representation**

- (1) The Commission may appoint any officer or any other person to represent the interests of the consumers, as deemed fit, in the proceedings before the Commission.
- (2) The Commission may direct for payment of such fees, costs, and expenses to an officer or any other person appointed to represent the interests of consumers in any proceedings before the Commission, as considered appropriate.
- (3) The Commission may permit any Consumer, Consumers' Representative or Consumer Associations to participate in any proceedings before the Commission.
- (4) The Commission may recognize Associations, Groups, Forum or Bodies corporate as registered Consumer Associations for purposes of representation before the Commission.
- (5) Any Association, Group, Forum or Body Corporate representing interest of consumers, that is desirous of being recognized may make an application to the Commission for recognition and the Commission may, after holding such inquiry as considered appropriate, recognize such Association, Group, Forum or Body Corporate and permit them to participate in any proceedings before the Commission in such manner as the Commission considers appropriate.
- (6) An Association, Forum, Group or Body Corporate, applying for recognition by the Commission should fulfil the following criteria:
 - (a) It should preferably be registered under the Societies Registration Act or any other Act for the time being in force.
 - (b) It should be functional in its area of activity at least for a period of one year after its registration.
 - (c) Its area of operation should be spread at least in more than one State.
 - (d) One of the major works of the Association, Forum, Group or Body Corporate should be the protection of consumer interests, as per its Constitution or Articles and Memoranda of Association.
 - (e) It should have experience representing Consumer interests before various Forums or Agencies, including those relating to the electricity sector.
- (7) The Commission may, for the sake of timely completion of proceedings, direct individual Consumers, Consumer Representatives or Consumer Associations to file collective affidavit(s).

CHAPTER IX**SUO-MOTU PROCEEDINGS****56. Suo Motu Petitions**

- (1) The Commission may initiate any proceedings suo-motu for ensuring compliance with the provisions of the Act, the Rules or the Regulations framed under the Act or directions of the Commission.
- (2) The Commission may also initiate suo-motu proceedings to decide issues of general importance and issue appropriate directions for compliance.
- (3) The notice of the initiation of the proceedings may be issued by the Commission, and the Commission may give such orders and directions as may be deemed necessary for service of notices to the affected parties.
- (4) The Commission may, in appropriate cases, designate an officer of the Commission or any other person whom the Commission considers appropriate to present the matter in the capacity of a Petitioner in the case.
- (5) The Commission, to arrive at a just decision, at any time during the proceedings, shall seek necessary information from the parties in the matter in such form as it may direct.
- (6) The Commission, upon receipt of the information as submitted by the parties within the stipulated time shall list the matter for hearing:

Provided that if the information is not received by the Commission within the stipulated time, the case shall be listed for hearing before the Commission for appropriate directions.

- (7) The Commission, after hearing the affected party or parties and on being satisfied that non-compliance with the Act, the Rules, the Regulations, or directions of the Commission is established, may issue such orders or impose such penalties as are considered appropriate in accordance with the provisions of the Act.

57. Issue of Practice Directions

The Commission may from time to time issue orders and practice directions with regard to the implementation of any of its regulations and such matters incidental or ancillary thereto as the Commission may consider appropriate.

CHAPTER X

PROCEDURE FOR FRAMING OF REGULATIONS

58. Framing of Regulations

- (1) The Commission, under section 178 of the Act, has been empowered to make, by notification, relevant regulations consistent with the Act and the Rules to carry out the provisions of the Act. The Commission is required the procedure prescribed in the Electricity (Previous Publication) Rules, 2005 while making the regulations.
- (2) The Commission may decide, at any time it deems appropriate, to frame new regulations or amend or repeal the existing regulations on any subject in accordance with Regulation 178 read with other appropriate provisions of the Act.
- (3) The Commission may, for the purpose of framing the regulations, take the assistance of any institutions, consultants, experts, and such other professional bodies as it may consider necessary and appoint them to assist the Commission in framing the regulations.
- (4) As part of the process of framing regulations, the Commission may decide to come up with a staff paper highlighting broad issues under consideration, invite comments from the stakeholders in writing through public notices issued in such manner as the Commission considers appropriate and upload such notices on its website.
- (5) The Commission may seek information and data from the various stakeholders through letter(s) or order for the purpose of framing regulations and set time limit for submission of information.
- (6) The Commission shall issue draft regulations, upload the same on its website, and invite comments in writing from various stakeholders through public notices published in such manner as the Commission may decide and upload such notices on its website.
- (7) The Commission, if deemed necessary, in addition to the draft regulations, may also upload an explanatory memorandum on its website explaining the provisions of the draft regulations.
- (8) The Commission shall allow the stakeholders a minimum of 30 days from the date of such public notice to submit comments on the draft regulations:

Provided that the last day for such submission may be extended by the Commission if it feels appropriate:

Provided further that the Commission may decide to consider such comments and suggestions upon expiry of the above period.
- (9) The Commission, upon receipt of such comments and on expiry of the period for receiving comments, may conduct a public hearing in the matter.
- (10) Based on the analysis of the submissions of the stakeholders on the draft regulations, the Commission may issue the final regulations.
- (11) The regulations shall be issued under the signature of the Secretary and, in his absence, the senior most Chief in the Commission.
- (12) The Commission, if it deems appropriate, may also publish a Statement of Reasons elaborating the reasons and rationale behind the provisions of the Regulations.
- (13) The staff of the Commission shall get the Regulations notified in the Gazette of India as soon as possible they are issued.
- (14) The Regulations shall come into effect from the date of notification in the Official Gazette or any other specific dates mentioned in the Notification.

CHAPTER XI**MISCELLANEOUS****59. Time limit for disposal of petitions**

- (1) Save as otherwise provided in the Act with regard to tariff petitions and applications for grant of licence or in the Procedure for holding Inquiry by Adjudicating officer Rules, 2004 in respect of the proceedings under Section 143 of the Act, or in Clause (6) of Regulation 52 of these Regulations in respect of review petitions, the Commission shall make endeavors to dispose of the petitions preferably within a period of six months from the date of completion of the pleadings.
- (2) In cases where the petitions are not disposed of within six months from the date of completion of pleadings, the Commission shall record the reasons for the time taken for the disposal of the petitions.

60. Advisory Committee

- (1) The Commission shall, from time to time, constitute the Central Advisory Committee in terms of sub-section (1) of Section 80 of the Act.
- (2) The Committee shall consist of not more than 30 members to represent the interests of commerce, industry, transport, agriculture, labour, consumers, non-governmental organizations, academics, and research bodies in the electricity sector.
- (3) The members shall be appointed for a minimum term of two years, which may be further extended at the discretion of the Commission.
- (4) The Chairperson of the Central Commission shall be the ex officio Chairperson of the Central Advisory Committee, and Members of the Central Commission and the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government dealing with Consumer Affairs and Public Distribution System shall be ex-officio members of the Central Advisory Committee.
- (5) The Committee shall advise the Commission on the following:
 - (a) Major questions of policy;
 - (b) Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
 - (c) Compliance by the licensees with the conditions and requirements of their licence;
 - (d) Protection of consumer interests;
 - (e) Electricity supply and overall standards of performance by utilities.
- (6) The Central Advisory Committee shall meet at least once every six months or at such intervals and places as may be decided by the Commission.
- (7) The quorum at the meeting shall be 1/3 of the total membership of the Central Advisory Committee:

Provided that attendance by proxy shall not be permitted at the meeting of the Central Advisory Committee:

Provided further that the Chairperson may invite any person who is not a member of the Central Advisory Committee, as a special invitee to aid and assist the members of the Central Advisory Committee on any matter on the agenda of its meeting.
- (8) The Secretary of the Commission shall be the Secretary of the Central Advisory Committee.
- (9) While attending the meetings of the Central Advisory Committee, the members shall be entitled to Travelling Allowance and Daily Allowance as admissible to the Secretary to the Government of India:

Provided that a member not in the employment of the Central Government or State Government or Public Sector enterprise shall be entitled to an honorarium of Rs.6000/- for attending each meeting in addition to TA/DA or as may be revised by the Commission from time to time.
- (10) The notice and the agenda for the meeting of the Central Advisory Committee shall be sent to the members at least seven days before the date of the meeting.
- (11) The Secretary shall prepare or cause to be prepared the record of proceedings of the meetings of the Central Advisory Committee and shall maintain the record of proceedings after approval of the Chairperson.
- (12) The record of proceedings shall be posted on the website of the Commission.

61. Continuance of Proceeding after death

- (1) Where in any proceeding, any of the parties to the Proceedings dies or is adjudged to be an insolvent or in the case of a Company under insolvency resolution process or liquidation/winding up, the Proceedings shall continue with the successors-in-interest, the Resolution Professional, the executor, administrator, receiver, liquidator, or other legal representative of the party concerned.
- (2) In case any person wishes to bring on record the successors-in-interest, etc., the application for the purpose shall be filed within 90 days from the event requiring the successors-in-interest to come on record.
- (3) The Commission may, for reasons to be recorded, treat the Proceedings as abated, in case the Commission so directs, and dispense with the need to bring the successors-in-interest, etc. on the record of the case.

62. Proceedings to be open to the public

The Proceedings before the Commission shall be open to the public:

Provided that the Commission may, if it considers fit and for reasons to be recorded in writing, order at any stage of the Proceedings of any particular case that the public generally or any particular person or group of persons shall have restricted access:

Provided further that the Commission may decide for live streaming of its hearing in some particular cases through the link to be provided on the website of the Commission.

63. Destruction of Records

- (1) Records of the Commission except the permanent record shall be ordered to be destroyed by the Secretary after three years of the final conclusion of the proceedings, and if any appeal is filed under Section 111 of the Act, the records of the concerned petitions shall be destroyed three years after the disposal of the appeal.
- (2) Before destruction, the records should be micro-filmed or kept in scanned form for future reference.

Note: The Permanent Record shall include the order, record of proceedings, and one copy of the pleadings of the petitions.

64. Issue of orders and directions on procedures

Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these regulations, the procedure to be followed and various other matters, which the Commission has been empowered by these regulations to specify or direct.

65. Saving of the inherent power of the Commission

- (1) Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
- (2) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, that is at variance with any of the provisions of these Regulations if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- (3) Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers, and functions in a manner it thinks fit.

66. General power to amend

The Commission may, at any time and on such terms or otherwise, as it may think fit, amend any defect or error in any proceedings before it, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue arising in the proceedings.

67. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not inconsistent with the provisions of the Act, that appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

68. Power to relax:

The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before the Commission by any party or interested person.

69. Extension or abridgement of time prescribed

Subject to the provisions of the Act, the time prescribed by these regulations or by orders of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reasons by order of the Commission.

70. Effect of non-compliance

- (1) Failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceeding merely by reason of such failure, unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.
- (2) Failure to comply with the provisions of the Act, the Rules, the Regulations issued under the Act or any directions or orders of the Commission shall invite appropriate action against the concerned party or person under Section 142 of the Act.

71. Costs

- (1) If the Commission considers any party abusing the process of Court or in any manner considered dilatory, vexatious, mala fide, or abuse of process, the Commission may require such delinquent party to make a deposit/payment upfront in the manner as directed by the Commission at such cost as deemed appropriate before proceeding in the matter.
- (2) The Commission may also impose a suitable cost on any party at any stage of the proceedings, including at the stage of filing an interlocutory application, framing issues etc.
- (3) While determining the cost, the Commission may take into consideration factors such as inconvenience caused to the parties/witnesses/other persons connected with the proceedings, previous conduct of the parties etc.
- (4) The costs shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may, by order, direct. Failure of the said party to make payments or deposits of cost shall result in all consequences, including an adverse order being passed against such party.

72. Repeal and Savings

- (1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, along with all amendments, and the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure for making of application for determination of tariff, publication of the application and other related matters) Regulations, 2004, along with all amendments, shall stand repealed from the date of commencement of these regulations.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./704/2023-24]

Form 1**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NEW DELHI**

Petition/Application No. ____ of ____

Vakalatnama

Name & Address.....

.....Petitioner(s)

Vs

Name & Address.....

.....Respondent(s)

I,..... Petitioner No...../Respondent No.....in the above petition/application do hereby appoint Shri/Kum./Smt. Advocate(s) with e-portal Id..... to appear, plead and act for me/us in the above petition/application and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect thereof and applications for return of documents, enter into compromise and to draw any moneys payable to me/us in the said proceeding.

Place :

Signature of the Party

Date :

Executed in my presence.

“Accepted”

*Signature with date

*Signature with date

(Name and Designation)

(Name and Designation)

(Address for service on the Counsel for

Petitioner /Applicant/ Respondent.

Full Address.....

Registered Email Id.....

Registered Phone No

Fax No.

*The following certification to be given when the party is unacquainted with the language of the vakalatnama or is blind or illiterate: -

The contents of the vakalatnama were truly and audibly read over/translated intolanguage known to the party executing the vakalatnama and he/she seems to have understood the same.

Signature with date

(Name and Designation)

Form 2**BEFORE THE HON'BLE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NEW DELHI****Petition No. __ of __****IN THE MATTER OF:-**

Name & Address.....

....Petitioner(s)

Vs

Name & Address.....

...Respondent(s)

Memo of Appearance

I/We, the Petitioner/Respondent above named do hereby nominate/ appoint (Name) to act, plead and appear on my/our behalf in the aforesaid matter.

IN WITNESS WHEREOF I/We have set and subscribed my/our hands to this writing on this date of

Place:

Signature

(Petitioner/Respondent)

Date:

Address for Correspondence

Form 3**BEFORE THE HON'BLE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NEW DELHI****Petition No. __ of __****IN THE MATTER OF:-****Subject matter:**

(Summary of the Purpose of the Petition along with relevant regulations/ provisions of the Act under which such petition is being filed)

Name & Address.....

.....Petitioner(s)

Vs

Name & Address.....

.....Respondent(s)

Place:**Petitioner****Date:**

(Name, Designation and Signature)

Form 4**BEFORE THE HON'BLE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NEW DELHI****Petition No. ____ of ____****IN THE MATTER OF:-****Subject matter****(Summary of the Purpose of the Petition along with relevant regulations/ provisions of the Act under which such petition is being filed)**

Name & Address.....

.....Petitioner(s)

Vs

Name & Address.....

Respondent(s)

Affidavit verifying the Petition/Reply/Application

I,, S/o, aged ... years, (Designation), R/o do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That the deponent is the of Petitioner/Applicant/Respondent, and is well conversant with the facts and the circumstances of the case and therefore competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying Petition under Section of the Electricity Act, 2003, has been filed by my authorised representative/nominated counsel under my instruction and the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.
3. That the contents of Para toof the facts as mentioned in the Petition are true and correct based on the my personal knowledge, belief and records maintained in the office and the contents of Para to of the Petition are believed to be true on the basis of the legal advice received.
4. That the annexures annexed to the Petition are correct and true copies of the respective originals.
5. That the Deponent has not filed any other Petition or Appeal before any other forum or court of law with respect to the subject matter of the dispute.

DEPONENT**VERIFICATION**

Verified at New Delhi on this day of, _____, that the contents of my above noted affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT**FORM 5****TARIFF DETERMINATION/TRUING UP PETITIONS****I. General Headings**

As per Form 3

II. Index

The table of contents, mentioning the contents of the Petition and Annexure along with their page numbers shall be included here.

III. Petition (As per Regulation 15 of these Regulations)

A. Executive Summary of the Petition

- (i) Brief background of the Petitioner
- (ii) Brief background of the Respondent(s)
- (iii) Background of generating station/unit, transmission line /asset as the case may be.
- (iv) Brief description of important events relevant to the Petition.
- (v) Summary of Claims

B. Detailed Petition

- (i) Previous Orders issued having bearing on the present Petition
- (ii) Issue wise submission(s) with regards to expenditure claimed along with justification for variations with the norms/previously approved tariff/charges (in case of truing up)
- (iii) Final Claims made in the petition

C. Limitations

In case the Petition is bound by any limitations.

D. Prayers

Prayers of the Petitioner containing the tariff claimed shall be submitted here.

IV. Tariff Filing Forms

Tariff filing forms along with the checklist of the same shall be submitted in accordance with the applicable regulations on Terms and Conditions of Tariff.

V. Annexure

Other relevant information in support of the Petition shall be submitted here.

VI. Proof of payment of fees for filing of the Petition

Unique Online Payment Transaction Number

Dated at.....this.....day of....20...

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

DECLARATION

The Petitioner(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20 .

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

VERIFICATION

As per Form 4

FORM 6**ADOPTION OF TARIFF UNDER SECTION 63 OF THE ELECTRICITY ACT, 2003****I. General Headings**

As per Form 3

II. Index

The table of contents, mentioning the contents of the Petition and Annexure along with their page numbers shall be included here.

III. Petition (As per Regulation 15 of these Regulations)**A. Executive Summary of the Petition**

- (i) Brief background of the Petitioner
- (ii) Brief background of the Respondent(s)

(iii) Brief Background of the Project

B. Detailed Petition

(i) Complete Process of the Competitive Bidding process followed for selection of Bidder, including key milestones with relevant information annexed.

(ii) Details of Power Purchase Agreement / Transmission Service Agreement, as applicable

(iii) Declaration that all conditions to be fulfilled as per RFP documents till the date of filing of the Petition have been complied with

C. Submissions

Any other submissions shall be covered here.

D. Prayers

Prayers of the Petitioner shall be submitted here.

IV. Annexure

Other relevant information in support of the Petition shall be submitted here.

V. Proof of payment of fees for filing of the Petition

Unique Online Payment Transaction Number.

Dated at.....this.....day of....20...

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

DECLARATION

The Petitioner(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

VERIFICATION

As per Form 4

FORM 7

PETITIONS FOR GRANT OF TRANSMISSION LICENCE

I. General Headings

As per Form 3

II. Index

The table of contents, mentioning the contents of the Petition and Annexure along with their page numbers shall be included here.

III. Petition (As per Regulation 15 of these Regulations)

A. Background

The information including but not limited to following shall be submitted by the Petitioner.

(i) Brief background of the Petitioner

(ii) Brief background of the Respondent(s)/Long Term Transmission Customers

(iii) Proof of serving a copy of the Petition to all the Respondents

(iv) Status of the Petitioner: Individual/Partnership Firm/Private Limited Company/Public Limited Company

(v) Brief description of important events/investment approval/clearances relevant to the assets under consideration in the present Petition.

- (vi) Proof of Eligibility in accordance with Regulation 6 of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009.

B. Detailed Petition

The information including but not limited to following shall be submitted by the Petitioner.

- (i) As per Form-I of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009
- (ii) Any other submissions as required under the Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009.

C. Limitation

The Petitioner/applicant declare that the petition is within the period of limitation. (In case the petition is barred by limitation, the number of days of the delay should be given alongwith an application for condonation of delay).

D. Prayers

Prayers of the Petitioner shall be submitted here.

IV. Annexure

Other relevant information in support of the Petition shall be submitted here.

V. Proof of payment of fees for filing of the Petition

Unique Online Payment Transaction Number

Dated at.....this.....day of....20...

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

DECLARATION

The Petitioner(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

VERIFICATION

As per Form 4

FORM 8

PETITION FOR GRANT OF TRADING LICENCE

I. General Headings

As per Form 3

II. Index

The table of contents, mentioning the contents of the Petition and Annexure along with their page numbers shall be included here.

III. Affidavit

The affidavit verifying the Petition as per these Regulations and in format as specified in Form 2 shall be included here.

IV. Petition (As per Regulation 15 of these Regulations)

A. Background

The information including but not limited to following shall be submitted by the Petitioner.

- (i) Brief background of the Petitioner

- (ii) Status of the Petitioner: As per Form-I of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009
- (iii) Brief description of important events/investment approval/clearances relevant to the assets under consideration in the present Petition.
- (iv) Proof of Qualification in accordance with Regulation 3 of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009.

B. Detailed Petition

The information including but not limited to following shall be submitted by the Petitioner.

- (i) As per Form-I of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009.
- (ii) Any other submissions as required under the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009

C. Limitation

The Petitioner/applicant declare that the petition is within the period of limitation. (In case the petition is barred by limitation, the number of days of the delay should be given alongwith an application for condonation of delay)

D. Prayers

Prayers of the Petitioner shall be submitted here.

V. Annexure

Other relevant information in support of the Petition shall be submitted here.

VI. Proof of payment of fees for filing of the Petition

Unique Online Payment Transaction Number

Dated at.....this.....day of....20...

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

DECLARATION

The Petitioner(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

VERIFICATION

As per Form 4

FORM 9

REVIEW PETITIONS

I. General Headings

As per Form 3

II. Index

The table of contents, mentioning the contents of the Petition and Annexure along with their page numbers shall be included here.

III. Affidavit

The affidavit verifying the Petition as per these Regulations and in format as specified in Form 2 shall be included here.

IV. Petition (As per Regulation 15 of these Regulations)

A. Executive Summary of the Petition

- (i) Brief background of the Petitioner
- (ii) Brief background of the Respondent(s)
- (iii) Brief of the order or decision against which review is filed
- (iv) Grounds of Review in brief
- (v) Reliefs Sought

B. Detailed Petition

- (i) Brief of the Order on which review has been sought.
- (ii) Grounds of Review including legal provision, if any.
- (iii) Detailed Justifications on the grounds of review
- (iv) Relief(s) Sought
- (v) Interim relief sought (if any)

C. Limitation

The Petitioner/applicant declare that the petition is within the period of limitation. (In case the petition is barred by limitation, the number of days of the delay should be given alongwith an application for condonation of delay)

D. Prayers

Prayers of the Petitioner shall be submitted here.

V. Annexure

Other relevant information in support of the Petition shall be submitted here.

VI. Proof of payment of fees for filing of the Petition

Unique Online Payment Transaction Number

Counsel for the Review Petitioner(s)

Review Petitioner(s)

DECLARATION

The Review Petitioner(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20

Counsel for the Review Petitioner(s)

Review Petitioner(s)

VERIFICATION

As per Form 4

FORM 10**REGULATORY COMPLIANCE PETITIONS****I. General Headings**

As per Form 1

II. Index

The table of contents, mentioning the contents of the Petition and Annexure along with their page numbers shall be included here.

III. Affidavit

The affidavit verifying the Petition as per these Regulations and in format as specified in Form 2 shall be included here.

IV. Petition (As per Regulation 15 of these Regulations)**A. Executive Summary of the Petition**

- (i) Brief background of the Petitioner
- (ii) Facts of the case
- (iii) Legal provisions relied
- (iv) Relief Sought in brief

B. Detailed Petition

- (i) Previous Orders issued having bearing on the Present Petition
- (ii) Issue wise submission – establishing fulfilment of condition as per the relevant Regulations for which such petition/application has been filed.
- (iii) Relief sought

C. Prayers

Prayers of the Petitioner shall be submitted here.

V. Annexure

Other relevant information in support of the Petition shall be submitted here.

VI. Proof of payment of fees for filing of the Petition

Unique Online Payment Transaction Number

Dated at.....this.....day of....20...

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

DECLARATION

The Petitioner(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

VERIFICATION

As per Form 4

FORM 11

MISCELLANEOUS PETITIONS

I. General Headings

As per Form 1

II. Index

The table of contents, mentioning the contents of the Petition and Annexure along with their page numbers shall be included here.

III. Affidavit

The affidavit verifying the Petition as per these Regulations and in format as specified in Form 2 shall be included here.

IV. Petition (As per Regulation 15 of these Regulations)

A. Executive Summary of the Petition

- (i) Brief background of the Petitioner
- (ii) Brief background of the Respondent(s)
- (iii) Brief background of the matter
- (iv) Reliefs Sought in brief

B. Detailed Petition

(i) Jurisdiction of the Commission

The Petitioner declares that the subject matter of the petition is within the jurisdiction of the Commission (to quote specific provisions of the Act and/or Regulation)

(ii) Details of the documents based on which petition is made

(iii) Limitation

The Petitioner/applicant declare that the petition is within the period of limitation. (In case the petition is barred by limitation, the number of days of the delay should be given alongwith an application for condonation of delay giving detailed justifications)

(iv) Facts of the Case

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, followed by elaboration of issues including the questions of facts and law arising in the petition. Each paragraph should deal with, as far as possible, a separate issue)

(v) Formulate (i) the facts in issue or specify the disputes between the parties and (ii) summarise the question of law that arise for consideration in the petition.

(vi) Grounds raised with legal provisions

(vii) Matters not previously filed or pending with any other court

(The Petitioner further declares that the Petitioner had not previously filed any writ petition, or suit or petition in respect of which the petition is filed before any Court or Commission or any other Authority nor any such writ petition, or suit or petition is pending before any of them.

In case the Petitioner previously filed any such writ petition, or suit or petition, the stage at which is pending and if decided, the outcome of the same should be specified and copy of the order/judgement should also be annexed.)

(viii) Reliefs sought

In view of the facts mentioned in para 7 above, points in dispute and questions of law set out in para 8, the Petitioner prays for the following reliefs:

(a)

(b)

(c)

(ix) Interim reliefs sought, if any

(x) List of enclosures

V. Proof of payment of fees for filing of the Petition

Unique Online Payment Transaction Number

Dated at.....this.....day of....20...

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

DECLARATION

The Petitioner(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20 .

Counsel for the Petitioner(s)

Petitioner(s)

VERIFICATION

As per Form 4

FORM 12**(INTERLOCUTORY APPLICATION)**

BEFORE THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NEW DELHI

Interlocutory Application No. ___ of ___**in****Petition No. ___ of ___**

Name & Address.....

.....Applicant/Petitioner(s)

Vs

Name & Address.....

....Respondent/Respondent(s)

Petition for (mention the subject).

The Applicant(s) above named state(s) as follows:

1. Set out the relief(s)
2. Brief facts
3. Basis on which interim orders prayed for
4. Balance of convenience, if any:

(All Interlocutory Applications shall be supported by an affidavit sworn by the Petitioner/ Applicant on its behalf and attested by a Notary Public).

DECLARATION

The Petitioner/ Applicant above named hereby solemnly declare that nothing material has been concealed or suppressed and further declare that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of the originals or fair reproduction of the originals or true translation thereof.

Verified at.....on the.....day of.....20 .

Counsel for Applicant/Petitioner

Applicant / Petitioner

VERIFICATION

As per Form 4

Form 13**BEFORE THE HON'BLE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NEW DELHI****Petition No. ___ of ___****IN THE MATTER OF:-****Subject matter**

(Summary of the purpose of the Petition along with reference to appropriate regulations/provisions under which the Petition is being filed)

.....Petitioner(s)

Vs

.....Respondent(s)

APPLICATION FOR INSPECTION OF DOCUMENT/RECORDS

I hereby apply for grant of permission to inspect the document / records in the above petition. The relevant details are as follows:

- 1) Name and address of the Person seeking inspection:
- 2) Whether he/she is party to the case/or their legal practitioner:
- 3) Details of the document/record sought to be inspected:
- 4) Purpose and Reasons for seeking the inspection:
- 5) The date and duration for which inspection sought:
- 6) Whether any fee is payable and if so, proof of payment:

Place:

Date:

Applicant's Signature

For Office Use

Granted inspection on _____ / Rejected

Granted copies of documents on _____ / Rejected

(_____)

Secretary / Bench Officer as nominated by the Commission

Form 14

[To be published in pursuance of Clause (7) of Regulation 23]

NAME OF THE COMPANY**(REGISTERED OFFICE ADDRESS.....)**

1. The Petitioner above-named has filed a petition before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for determination of tariff for [Give name of the generating station transmission system].
 2. The beneficiaries of the generating station/ transmissions system are:
 - (a)
 - (b)
 - (c)
 - (d)
 -
 -
 3. Capacity of the generating station/ line length, number of bays of the transmission system:
 4. Approved capital cost of the project (Rs. in lakh)-

Original:

Final (Revised):
- Authority which has approved the Capital Cost:
5. Scheduled date of commercial operation-
 6. Actual date of commercial operation:

Original:

Final (Revised):
 7. Capital cost on the date of commercial operation (Rs. in lakh):
 8. Details of tariff (Publish only applicable portion):

	Tariff for the Previous Year	Year-wise tariff sought to be determined				
		1 st year	2 nd year	3 rd year	4 th year	5 th year
Thermal Power Generating Station						
1. Capacity Charges						
2. Energy Charges						
Hydro Power Generating Station						
1. Annual Fixed Charges						
2. Primary Energy Charges						
Transmission System						

Transmission Charges						
----------------------	--	--	--	--	--	--

9. A copy of the petition made for determination of tariff is posted on the website (indicate here the address of the website).
10. The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff contained in the petition may be filed by any person, including the beneficiaries through the e-filing portal of the Commission, with a copy to the Petitioner within 30 days of publication of this notice.

Name and Designation of the Authorized Signatory

Place.....

Date.....

Annexure-I

THE PROCEDURE FOR ON-LINE ELECTRONIC FILING (E-FILING) OF THE PETITIONS

1. Preface

This procedure will apply to e-filing of the Petitions on CERC SAUDAMINI Portal.

2. Definitions

- 2.1. “Administrator” means any officer nominated by the Commission for administering and dealing with matters connected with or related to e-filing.
- 2.2. “Physical Filing” means Actions and pleadings filed as hard copies.
- 2.3. “Electronic Filing (e-filing)” means e-filing as prescribed through the Internet (at the web portal of the Commission) or through the internet at the Commission’s e-Court helpdesk.
- 2.4 “e-Court Help Desk” means the point of contact to be manned by nominated official(s) of the Commission to assist the parties on issues connected with e-filing.
- 2.5. “PDF” means an electronic document filed in a Portable Document Format.
- 2.6. “Pleadings” includes petitions, applications, replies, counter-affidavits, additional or supplementary affidavits, rejoinders, written note of arguments and written submissions.
- 2.7. “Technical failure” means a failure of the hardware, software, and/or telecommunications facility installed in connection with the website of the Commission which results in the impossibility of submitting a file electronically. Technical failure does not include malfunctioning of the equipment of the person submitting an e-file.

3. General Instructions

- 3.1. On-line e-filing shall be made by visiting the SAUDAMINI web portal of the Commission at cerc-filing.gov.in or by clicking the Petition e-Filing hyperlink on CERC website <https://cercind.gov.in>
- 3.2. Except as provided in these procedures, documents, whether in fresh, pending or disposed of cases, will be filed electronically by advocates or parties in person from their homes, offices or other remote locations in the manner provided in these Procedures, the User Manuals and other instructions provided under “Help Manual” at CERC SAUDAMINI portal.
- 3.3. Any person may be permitted to make use of the facilities provided at the Commission’s e-Court helpdesk.
- 3.4. The size of the e-file should not exceed 300 MB. In case the file exceeds 300 MB, the Advocate or litigants should split and upload the files separately.
- 3.5. A document that an advocate or party files electronically under these Procedures has the same legal effect as a document filed in physical form.

Provided that the parties and advocates shall file the hard copies of the documents in terms of these regulations.

- 3.6 All notifications/guidelines/user manuals will be published on the SAUDAMINI portal or website of the Commission.

4. PROCEDURE FOR E-FILING

Step 1: Preparation of the petition offline:

i) The original text material, documents, additional information, main petition, as the case may be, and interlocutory applications etc. will be prepared electronically using MS Word or Open Office software. The formatting style of the text will be as under:

Paper size : A4

Margins : Top : 3 cm

Bottom : 2 cm

Left : 3 cm

Right: 1 cm

MS Word

Justification : Full

Font : Arial

Font size : 12

Line spacing : 1.5

ii) The documents should be converted into Portable Document Format (PDF) using any PDF converter or in-built PDF conversion plug-in provided in the software.

iii) Where the document is not a text document and has to be enclosed with the petition, application or other pleadings, the document should be scanned using an image resolution of 300 dpi (dot per inch) and saved as a PDF document.

iv) At a single form submit, total size of the files uploaded should not exceed 300 MB. If files to be uploaded are more than 300 MB, then the same can be uploaded in different iterations

v) The text documents prepared in MS Word/Open Office as well as scanned documents should be merged as a single PDF file and bookmarked as per the index of the petition.

vi) The merged documents should be uploaded at the time of e-filing. The screen shots of the manner of accessing the e-filing portal and filling up the relevant columns for the purpose of e-filing are available on CERC e-filing portal (SAUDAMINI) under online help in the **e-Filing user manual/ video tutorials**.

Step 2: Online filing the petition on Commission's e-Filing Portal:

i) The e-Filing portal can be accessed by clicking on the hyperlink "e-filing" placed at the bottom of the web site <https://cercind.gov.in> or on the link Petition e-filing on the left tab after registration by entering login credentials. The stakeholders' Counsels/Advocate can register them on CERC e-Filing portal by clicking E-Registration (New User). User account once created can be used in future by the party or the counsel/advocate.

ii) After successful login, stakeholders are required to fill in all the details of the petitions on the "General Information" form. On saving this form a Reference Number will be generated and other forms like Respondent Details, Related Petitions, Identical Petitions, Asset Details, Fee details Attachments, and Summary etc. will be displayed. The Petition/Application fee is payable through payment gateway only. The screen shots of the manner of accessing the e-filing portal and filling up the relevant columns for the purpose of e-filing are set out in e-Filing user manual/ video tutorials at SAUDAMINI portal.

iii) Finally, after submission of Petition, a diary number is generated by the system against the petition filed. An email confirming the same will be sent to the users' registered email id.

iv) Print out of Summary Sheet, Form1 (Payment related) taken from the e-Filing reports & summary section shall be submitted at Central Registry along with the three hardcopies.

v) The petition filed by the parties or their advocates shall be scrutinized by the CERC registry and in case any defect is found, the notification of the same shall be sent via email to the person who has filed the petition. The petitioners can also see the defects in their respective SAUDAMINI portal interface also.

vi) Corresponding to any deficiency notified, the parties or their advocates may rectify the defects and upload the fresh documents / petition through their interface.

vii) If no deficiency is found, the petition shall be registered and notification via email shall be sent to the petitioner.

Step 3: Online Filing of replies/ rejoinders/written submission/additional information etc. for respective Petition on CERC e-Filing Portal:

i) After login, the e-filing portal permits the user to upload the pleading documents pertaining to any particular petition. Petition-wise search is permitted to upload the documents. "Pleadings" tab on the menu is provided to file the documents associated with the already filed petitions.

ii) The documents uploaded by the petitioner are visible to CERC and respondents (filled by the petitioner at the time of filling petition) or mapped in the SAUDAMINI portal after filing the petition through SAUDAMINI e-Filing portal.

5. User manuals, video tutorials online help section of the SAUDAMINI portal may be referred from time to time for more details regarding e-filing. Assistance will be extended to the parties to file the petitions online through the Helpdesk available with the registry of the Commission.

ANNEXURE-II

Standard Operating Procedure for Virtual Court Room Platform

The following Standard Operating Procedure shall apply for Virtual Hearings in the Commission.

1. All notifications/ guidelines including the cause-list of the Petitions to be heard through Video Conferencing will be published on the website of the Commission (<https://cercind.gov.in>).

2. The e-hearing of the petitions shall commence at 10.30 am on the day of the hearing. The final cause list shall be posted on the Commission's website by 4.00 pm on the previous day of the hearing, indicating the details of the Petitions listed.

3. The parties whose petitions have been listed for e-hearing shall inform in advance, the names of the Party Representatives and/or the Advocates, who have been authorised to appear/ present the case, along with contact address, phone number and e-mail id.

4. The parties to a petition shall be permitted to e-file the documents/ pleadings till 4.00 pm, two days prior to the date of e-hearing or as per directions of the Commission.

5. Adjournments will not be permitted in respect of the petitions listed for hearing through Video Conferencing on the day of the hearing. Any request for adjournment of the petition(s), shall be made well in advance through email to the Secretary or to the designated officer of the Commission.

6. No mentioning of matters for admission or for consideration of IAs (Interlocutory Applications) shall be permitted during the virtual courtroom proceedings. However, the Advocates/ Party Representatives will be permitted to submit a mentioning-application well in advance, by e-mail to the Secretary, requesting that the matter may be taken up through Video Conferencing mode indicating the urgency. The mentioning-application must *inter-alia* clearly contain the case-details, the urgency involved along with the contact details of the Advocates/ Party Representatives like e-mail ID, mobile number with alternate number(s) if any, camp/ office address stating the Pin Code and the Police station. The request will be examined by the Commission and if considered necessary, the concerned party will be informed of the date of hearing of the matter.

7. The parties shall ensure that the documents filed by them only through e-filing portal are relied upon during the e-hearing. In case any party relies upon a document which does not form part of the records of the Commission, they may be permitted to do so, subject to the said document being e-filed after the e-hearing and also being shared with the other party(ies) for their response. In case the documents relied upon during e-hearing are not e-filed or shared by the parties as aforesaid, the same shall not form part of the records of the Commission at the time of disposal of the petition.

8. For case laws to be referred during the hearing, the Parties may file such case laws (only relevant extract) well in advance along with their Pleadings or may file the same along with the written submissions, as permitted.

Virtual Courtroom

9. The virtual courtroom will commence with the use of 'Vidyo'/Teams/Cisco Webex or any other software as may be notified as the primary video conferencing platform. Advocates/ Party Representatives are requested to familiarize themselves with the video conferencing platform and the guidelines published on the website of the Commission from time to time.

10. The Advocates appearing and presenting their cases via the virtual courtroom platform must observe the dress code and etiquette prescribed under the Advocates Act, 1961.

11. The Advocates/ Party Representative shall be seated in appropriately ambient surroundings ensuring that there is no background noise or disturbance (like ringing of mobile phones, background chatter, etc.).

12. The Advocates/ Party Representative should use earphones/ headsets. It will be the responsibility of the Advocates/ Party Representatives to ensure that discipline is maintained at their respective ends, and no inconvenience or disturbance is caused during the proceedings.

13. The Advocate/ Party Representative have to keep their respective devices/ microphones on mute at all times and un-mute the same only when their respective turn to present their case or to interject arises. The Advocates/ Party Representatives are requested to avoid interjections altogether and may do so with the leave of the Commission, only when it is absolutely essential.

14. Recording of the virtual courtroom, whether in part or full is prohibited. No virtual courtroom proceedings, or part thereof, shall be disseminated or otherwise presented by the counsel, advocates, litigants, general public and journalists, etc., for publication or reproduction to the media or any other person. Any infraction of this proscription will be dealt with strictly in accordance with law.

15. The overall control and administrative privileges over the virtual courtroom and video conferencing platform, subject to the instructions of the Commission, will be exercised by the Secretary or the designated officer of the Commission.

16. Any complaint in regard to the quality or audibility of feed shall be communicated by the parties to the Secretary or the designated officer of the Commission during the proceedings or immediately after its conclusion, failing which no grievance in this regard shall be entertained thereafter.

17. On the conclusion of e-hearing, or in accordance with the directions of the Commission, the contesting parties shall file their respective final written submissions on the SAUDAMINI portal.

18. The above requirements are in addition to the e-filing guidelines already in place governing the filing of petitions, replies, rejoinders, applications and communication of Record of Proceedings, Orders etc.

e-Hearing Procedure

Step 1: All Documents will be e-filed as per compliance date. Any other document will be referred by the hard copy during Court Proceedings and the soft copy of the same should be uploaded on the e-Filing portal on the same day i.e. on the date of Hearing.

Step 2: The full pleading file with CERC page numbering will be downloaded by the parties through their e-Filing portal interface before hearing.

Step 3: The parties will refer and mention CERC page number (Red colour, Top right corner) while presenting their case during the hearing so that the page number of the referred document will be same for the parties and the Commission.